अध्याय – 1

योजना एवं विकास विभाग के संगठन, कृत्य एवं कर्त्तव्य

बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार योजना एवं विकास विभाग को निम्नलिखित कार्य आबंटित है :–

1– राष्ट्रीय विकास परिषद्

2– योजनागत परियोजना समिति

3– राज्य की पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना का सूत्रीकरण, छानबीन तथा समंजन

4– योजना संबंधी आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन

5– योजना के लिए साधन श्रोतों का निर्धारण और उनका बंटवारा तथा योजनागत परियोजनाओं की सामान्य प्रगति का मूल्यांकन

6– क्षेत्रीय विकास एवं जिला योजना

7– जन शक्ति आयोजन तथा सर्वेक्षण

8– पिछड़े क्षेत्रों एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान

9– योजनाओं के सर्वेक्षण,मूल्यांकन इत्यादि के लिये विशेषज्ञ व्यक्तियों एवं संस्थाओं की पहचान तथा उन्हें कार्य आवंटन

10– विकास कार्यो/योजनाओं के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों इत्यादि का सहयोग प्राप्त करना

11– ग्रोथ–केन्द्रों में अग्रशोध परियोजना

12– सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय

13– राज्य योजना पर्षद्

14– विकास आयुक्त से संबंधित सभी विषय ।

राज्य स्तर पर वार्षिक योजना का सूत्रण, अनुमोदन एवं अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रण भी इस विभाग का प्रमुख कार्य है । विभाग प्रतिवर्ष राज्य योजनाओं का सूत्रण कर योजना आयोग, नई

दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करता है तथा उद्व्यय को प्रक्षेत्रवार निर्धारित कर विभिन्न विभागों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित करता है तथा उसके विरूद्ध वित्तीय उपलब्धियों की नियमित समीक्षा करता है ।

क्षेत्रीय स्तर पर इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जिला स्तर पर कार्यरत् जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा महत्वपूर्ण ऑकडों का संग्रहण एवं संकलन किया जाता है तथा जिला योजना कार्यालयों के द्वारा जिला योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन कराया जाता है । पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद जिला स्तरीय योजना इकाई की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है ।इसके अतिरिक्त वर्तमान में राज्य के 21 जिलों में राष्ट्रीय सम विकास योजना (पिछड़ा जिला पहल), शेष 17 जिलों में मुख्यमंत्री जिला विकास योजना तथा सीमावर्ती सात जिलों में सीमा क्षेत्र विकास योजना के समन्वय का कार्य भी इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । क्षेत्रीय स्तर पर उन कार्यक्रमों का संचालन जिला योजना कार्यालयों के द्वारा कराया जा रहा है ।

योजना एवं विकास विभाग का प्रशासनिक संगठन

2.1 विभाग का मुख्यालय : विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रुप में सचिव कार्यरत हैं । सचिव के सचिवालीय सहायतार्थ एक विशेष सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक उप सचिव तथा एक अवर सचिव एवं योजना कार्यों के संचालन एवं समन्वय में सहयोग हेतु एक निदेशक–प्रमुख, दो निदेशक(योजना सूत्रण एवं मूल्यांकन), चार संयुक्त निदेशक, छः उप निदेशक–सह–योजना पदाधिकारी तथा सात सहायक निदेशक एवं एक सिस्टम एनालिस्ट का स्वीकृत पद उपलब्ध हैं । सृजित पदो ंके विरूद्ध कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 2.1 पर ।

2.2 **बिहार राज्य योजना पर्षद्** :बिहार राज्य योजना पर्षद् योजनाओं के सूत्रण एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में परामर्श एवं नीति निर्धारण हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, बिहार तथा उपाध्यक्ष उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो इस क्षेत्र के जानकार हों, होते हैं । योजना पर्षद् में पॉच पूर्णकालिक सदस्य, छः अंशकालिक सदस्य तथा एक सदस्य सचिव(आयुक्त एवं सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग) का प्रावधान है । पर्षद् में सात परामर्शियों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारियों का पद सृजित है । वर्त्तमान में उपलब्ध प्राधिकारों का विवरण परिशिष्ट 2.2 पर दिया जाता है ।

2.3 सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालयः निदेशालय के मुख्यालय में 33 प्रशाखाऍ गठित हैं । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में 09 प्रमंडलीय कार्यालय, 38 जिला कार्यालय, 05 मूल्यांकन कार्यालय एवं एक गहन कृषि शोध कार्यालय अर्थात् कुल 53 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत् है । मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 30 राजपत्रित एवं 863 अराजपत्रित कर्मी कार्यरत् हैं । सृजित पदो ंके विरूद्ध कार्यरत बलों का विवरण परिशिष्ट 2.3 पर दिया गया है ।

2.4 क्षेत्रीय संगठन : योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत सभी 38 जिलों में जिला योजना कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय है । प्रमंडल स्तर पर सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय सांख्यिकी कार्यालय एवं 5 प्रमंडलों में प्रमंडलीय मूल्यांकन कार्यालय स्थित हैं। सृजित एवं कार्यरत पदों की विवरणी परिशिष्ट 2.4 पर है।

परिशिष्ट – 2.1

योजना एवं विकास विभाग के मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों की सूची

क्र मांक	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सचिव	18400-22400	1	1	शून्य
2	विशेष/अपर सचिव	16400-20000 16300-18300	1	-	1
3	निदेशक प्रमुख (योजना)	16400-20000	1	-	1
4	संयुक्त सचिव	14300-18300	1	1	शून्य
5	उप सचिव	12000-16500	1	1	शून्य
6	निदेशक,योजना सूत्रण	14300-18300	1	-	1
7	निदेशक, योजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	12000-16500	1	-	1
8	उप निदेशक–सह– योजना पदाधिकारी	10500-15200	6	3	3
9	सहायक निदेशक	6500-10500	2	1	1
10	संयुक्त निदेशक,योजना सूत्रण(राज्य योजना)	12000-16500	1	-	1
11	संयुक्त निदेशक,योजना सूत्रण(केन्द्रीय एवं वाह्य योजना)	12000-16500	1	-	1
12	संयुक्त निदेशक,योजना अनुश्रवण(राज्य योजना)	12000-16500	1	-	1
13	संयुक्त निदेशक,योजना अनुश्रवण(केन्द्रीय एवं वाह्य योजना)	12000-16500	1	-	1
14	सहायक निदेशक,योजना अनुश्रवण(राज्य योजना)	6500-10500	1	-	1
15	सहायक निदेशक,योजना अनुश्रवण(केन्द्रीय एवं वाह्य योजना)	6500-10500	1	-	1
16	सहायक निदेशक (आर्थिक इनपुट प्रभाग)	6500-10500	1	-	1
17	सहायक निदेशक (परियोजना निर्माण एवं अप्रेजल प्रभाग)	6500-10500	1	-	1
18	सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर प्रभाग)	6500-10500	1	-	1
	टोटल		24	6	17

परिशिष्ट – 2.2

बिहार राज्य योजना पर्षद् में स्वीकृत/रिक्त पदों की सूचना

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	उपाध्यक्ष	1	0	
2	सदस्य	5	0	
3	परामर्शी	7	5	
4	उप सचिव	1	1	
5	अवर सचिव	1	1	
6	मुख्य /निदेशक	2	1	
7	संयुक्त निदेशक	1	1	
8	उप निदेशक	4	2	
9	उपाध्यक्ष के सचिव	1	1	
10	वरीय अनुसंधान पदाधिकारी	3	0	
11	कनीय अनुसंधान पदाधिकारी	6	2	
12	लाइब्रेरियन	1	0	
13	सहायक निदेशक(सांख्यकी)	1	0	
14	प्रशासी पदाधिकारी	1	0	
15	प्रशाखा पदाधिकारी	2	2	
16	निजी सहायक	15	7	
17	सहायक अनुसंधान पदाधिकारी	1	1	
18	पुस्तकालय सहायक	1	1	
19	कैटेलोगर सह इश्यू क्लर्क	1	0	
20	काट्रोग्राफर	1	0	
21	सहायक	4	3	
22	प्रारूपक	1	1	
23	कनीय सांख्यिकी सहायक	2	1	
24	टंकक	5	3	
25	रोकड़पाल सह भंडारपाल	1	1	
26	सहायक लेखापाल सह विपत्र लिपिक	1	1	
27	दिनचर्या लिपिक	2	1	
28	मोटर चालक	1	0	
29	ट्रेजरी सरकार	1	0	
30	दफ्तरी	1	1	
31	आदेशपाल	34	28	
32	रात्रि प्रहरी	1	0	
33	फर्राश	1	0	
34	फर्राश/झाड़ूदार	2	1	
35	स्वीपर	2	0	
	कुल	115	66	

परिशिष्ट – 2.3

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत
राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का विवरण

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल
1	2	3	4
1	निदेशक	1	0
2	वरीय संयुक्त निदेशक	2	1
3	संयुक्त निदेशक	3	3
4	संयुक्त निदेशक(प्र.)बि.प्र.से.	1	1
5	उप निदेशक	17	8
6	सहायक निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	73	15
7	सहायक साख्यिकी सहायक	164	81
8	कनीय सांख्यिकी सहायक	770	458
9	स्ंकलक	122	53
10	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक	235	58
11	प्रशाखा पदाधिकारी	2	2
12	सहायक	14	4
13	निजी सहायक	15	2
14	टंकक	14	4
15	आशुटंकक (क्षेत्रीय कार्यालय)	6	2
16	लेखन सामग्री लिपिक	1	0
17	वर्षा लिपिक	1	0
18	दिनचर्या लिपिक	5	2
19	लिपिक संवर्ग	103	87
20	विपत्र लिपिक	2	2
21	रोकड़पाल	1	0
22	सहायक लेखापाल	1	0
23	लेखापाल	1	0
24	पुस्तकाध्यक्ष	1	1
25	आदेशपाल(मुख्यालय)	54	23
26	आदेशपाल(क्षेत्रीय)	91	69
27	जीप चालक (मुख्यालय)	3	2
28	जीप चालक (क्षेत्रीय)	26	15
29	प्रारूपक	1	0
30	वरीय प्रारूपक	1	0
31	नक्शा लिपिक	1	0
32	काट्रोग्राफर	1	0
33	कैमरा ऑपरेटर	1	0
34	अभिलेखवाह	1	0
35	दफ्तरी	1	0
	कुल	1736	893

परिशिष्ट – 2.4

जिला योजना इकाईयों के 38 जिलों में स्वीकृत एवं कार्यरत वल की संख्या

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल
1	2	3	4
क	राजपत्रित		
1	जिला योजना पदाधिकारी	38	21
2	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	38	21
3	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक	38	17
ख	अराजपत्रित		
1	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	38	प्रोन्नति का पद है । तत्काल सांख्यकी एवं मूल्यांकन निदेशालय से प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है ।
2	वरीय सांख्यिकी सहायक	63	47 – विभाग द्वारा भरा जाता है ।
3	संकलक	27	तत्काल निदेशालय से प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है।
4	आशुलिपिक	27	समाहरणालय से भरा जाता है ।
5	लिपिक	87	समाहरणालय से भरा जाता है ।
6	लेखापाल	38	समाहरणालय से भरा जाता है ।
7	टंकक	27	समाहरणालय से भरा जाता है ।
8	चालक	02	समाहरणालय से भरा जाता है ।
9	आदेशपाल	38	समाहरणालय से भरा जाता है ।

योजना संगठन का कार्य

3.1 पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं का सूत्रण – योजना एवं विकास विभाग का मुख्य कार्य राज्य के लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं का सूत्रण करना है विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007–12) के सूत्रण का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र के आलोक में 15 स्टीयरिंग कमिटियों का गठन कर विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करने की कार्रवाई की गयी है । इनके गठन एवं सदस्यों का विवरण परिशिष्ट 3.1 पर है । विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के निमित्त दृष्टिकोण पत्र तैयार कर योजना आयोग को समर्पित किया है।

3.2 योजनाओं की स्वीकृति :– राज्य सरकार द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को विकेन्द्रित एवं सरल बनाते हुए विभागीय स्तर पर 20.00 करोड़ तक की योजनाऐं (गैर स्थापना, गैर अनुदान छोड़कर)स्वीकृत करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है । 20.00 करोड से अधिक की योजनाऐं, स्थापना मद की योजनाऐं, अनुदान प्रदान करने की योजनाऐं तथा जिन योजनाओं में बजट उपबंध नहीं होता है उनकी स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति द्वारा की जाती है। इस समिति को सचिवालीय सहयोग, योजना एवं विकास विभाग प्रदान करता है ।

3.3 अनुश्रवण – विभागों को प्रदत्त उद्व्यय के विरूद्ध उनकी वित्तीय उपलब्धियों का आवधिक अनुश्रवण योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

संशोधित अनुश्रवण प्रणाली

वर्ष 2007–08 से राज्य योजना में व्यय की अनुश्रवण प्रणाली को और प्रभावी बनाया गया है ताकि विभाग के पास अलग–अगल कोटि की योजनाओं/कार्यक्रमों पर व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध हो यथा योजना विभाग के स्तर पर सभी कार्यक्रमों/योजनाओं (राज्य योजना, केन्द्रीय योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना तथा वाह्य सम्पोषित योजना) के तहत अलग–अलग व्यय से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध रहे । सभी विभागों को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मासिक कार्य योजना बनाने और मासिक व्यय का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक विभाग द्वारा स्वनिर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध वास्तविक उपलब्धि की समीक्षा हर माह हो।

परिशिष्ट - **3.1**

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) के लिए गठित स्टीयरिंग ग्रूप की विवरणी

क्रमांक			
1	**वित्तीय संसाधन का प्रबंधन**		
विषय:-दृष्टि बिहार:वित्तीय संसाधन का प्रबंधन-मध्यमवर्त्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन			
	गठन		
	1.	गोविन्द राव, डायरेक्टर, नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली mgr@nipfp.org.in , Ph-011-26857274	अध्यक्ष
	2.	डॉ0 नचिकेत मोर, एकजिक्यूटिब डायरेक्टर, आई0 सी0 आई0 सी0 बैंक लिमिटेंड	सदस्य
	3.	डॉ0 आर0 कनान, प्रिंसपल एडवाइजर, डेवेलपमेंट ऑफ एकोनॉमी एनालिसिस एण्ड पॉलिसी, रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया	सदस्य
	4.	डॉ0 पिनाकी चक्रवर्ती, फॉलो एट द नेशनल इन्स्टीच्यूट, ऑफ पब्लिक फिनांस एण्ड पॉलिसी	सदस्य
	5.	डा0 शैवाल गुप्ता, सदस्य सचिव, स्टेट रिसोर्स सेन्टर, एशियन डेवल्पमेंट रिसर्च इन्सटीच्यूट(आद्री), वोरिंग-पाटलीपुत्रा रोड, पटना - 800013, बिहार,दूरभाष- 9835020594, कार्यालय- 2272745 **ई0 मेल-** adri_patna@hotmail.com	सदस्य
	6	नवीन कुमार, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, पटना	सदस्य-सचिव
2	**पर्यटन**		
दृष्टि बिहार : संभाब्य पर्यटन का विकास-मध्यवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।			
	गठन		
	1	प्रिया पॉल, अध्यक्ष, ए0 पी0 जे0 सुरेन्द्रा, पार्क होटल, प्रगति भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 E-mail-delhi@apeejaygroup.com दूरभाष-011-23361193/94	अध्यक्ष
	2	डॉ0 रश्मि पोद्धार, ऑनेरेरी डॉयरेक्टर(एसथेटिक्स), दर्शन शास्त्र विभाग, बम्बे यूनिवर्सिटी, 171/172 वृज कुटीर, रूंगटा लेन, नेपियन सी रोड, मुम्बई-400006 दूरभाष-022-23671395/23634437 E-Mail-rashmi@vimatindia.com & drrashmipoddar@hotmail.com	सदस्य
	3	अजुर्न शर्मा, प्रबंध निदेशक, ली पैसेज टू इंडिया, ई-29, हाऊज खास, मेन मार्केट, नई दिल्ली-110016 दूरभाष-011.41653100 E-mail-arjun@lepassagetoindia.com	सदस्य

	4	आर0एस0 तिवारी, आयुक्त एवं सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना ।	सदस्य सचिव
3	**शहरी क्षेत्र के उद्गमित चुनौतियॉ**		
	दृष्टि बिहार : शहरी क्षेत्र के उद्गमित चुनौतियों के मुकाबले हेतु मध्यमवर्त्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1.	ओ0पी0 माथुर, मुख्य परामर्शी, एन0आई0पी0एफ0पी0, 18/2 सतसंग बिहार मार्ग, विशेष संस्थान क्षेत्र(जे0एन0यू0 के समीप) नई दिल्ली-110067, फोन न0-011-26569303/ 26569780	अध्यक्ष
	2.	प्रो0 प्रेम पंगोत्रा, प्रोफेसर, अरबन मैनेजमेंट, आई0आई0एम0, वस्त्रापुर, अहमदाबाद-380015	सदस्य
	3.	प्रो0 दर्शिनि महादेवीया, सेंटर फोर इंवौरोनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नालॉजी, कस्तुरभाई लालभी कैम्पस यूनिर्वसिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	सदस्य
	4.	डॉ0 अनुपम बी0 रसतोगी, आई0डी0एफ0सी0, रोमन हाउस, एच0टी0 पारिख मार्ग, 169 बैकबे रिक्लैमेशन, मुम्बई-400020	सदस्य
	5.	प्रो0 जमाल एच0 अंसारी, पूर्व निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिग एंड आर्किटेक्चर, 138 जाकिर बाग, नई दिल्ली-110025	सदस्य
	6.	पी0के0 बसु, आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार ।	सदस्य-सचिव
4	**कृषि विकास की संभावनाओं की सम्यक खोज**		
	दृष्टि बिहार : कृषि विकास की संभावनाओं की सम्यक खोज - मध्यमवर्त्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1.	प्रो0बी0एस0 ब्यास, प्रोफेसर इमेरिटस इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर, 396,बसुंधरा एक्सटेन्सन,गोपालपुरा बाईपास,टंक रोड जयपुर-302018 दूरभाष-0141-2705601,फैक्स-91-141-2709938 E.Mail: vsvyas@idsj.org vsvyan@mac.com	अध्यक्ष
	2.	डॉ0 अलख नारायण शर्मा, डायरेक्टर,इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड फ्लोर, एन0आई0डी0एम0 बिल्डिंग,आई0आई0पी0ए0 कैम्पस, आई0पी0 इस्टेट,नई दिल्ली-110002, दूरभाष-011-23358166,23321610, E.Mail: ID-ihd@vsnl.com	सदस्य
	3.	प्रो0 रवी एस0 श्रीवास्तवा, मेम्बर,नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राईजेज इन द अन-आर्गनाईज्ड सेक्टर,16वीं मंजील,जवाहर ब्यापार भवन,1-टाल्सटाय मार्ग नई दिल्ली-110001,	सदस्य

		दूरभाष-011-23701133/44, E.Mail: ID-ravi.sriv@nic.in , ravi@mail.jnu.ac.in	
	4.	एन0 एस0 माधवन,कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार, पटना ।	सदस्य सचिव
5	**संभाब्य अपारंपरिक उर्जा**		
	दृष्टि बिहार : संभाब्य अपारंपरिक उर्जा का विकास-मध्यवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	1	0	अध्यक्ष
	2	डा0 जे0 गुरूराजा, फौरमर सीनियर इंटर रिजनल ऐडवाइजर, यूनाईटेड नेशनस डिर्पाटमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एफेयर एंड फौरमर ऐडवाइजर, एम0एन0ई0एस0, भारत सरकार,905 एथेंस 2, प्रेंस्टिज एक्रोपोलीस, कोरामंगल, होसर रोड, बैंगलोर-560029, कर्नाटक.दूरभाष . 91.80.22067379, E-mail:- J-gururaja@yahoo.com	सदस्य
	3	ए0के0 वोरा, पूर्व प्रबंध निदेशक, टाटा बी0पी0 सोलर, E-mail:- akvindia41@yohoo.co.in	सदस्य
	4	राजेश गुप्ता, सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना ।	सदस्य सचिव
6	**दक्ष परिवहन प्रक्षेत्र की ओर**		
	दृष्टि बिहार : दक्ष परिवहन प्रक्षेत्र की ओर-मध्यवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1	**श्री रवि पार्थशास्त्री,** आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 लिमिटेड, द आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 वित्तीय केन्द्र, प्लाट सं0- सी0-22 जी0 ब्लॉक बांद्रा कुरला कम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई- 400051, Tel. - 2653 3000 ravi.parthasarathy@ilfsindia.com	अध्यक्ष
	2	**श्री दीपक दासगुप्ता,** भा0प्रा0से0,(सेवानिवृत) अध्यक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग सोसाईटी ऑफ इंडिया, हाउस सं0- सी0 604, सेक्टर 42 सेन्टर पार्क, गुडगॉव, हरियाणा,Tel- 0124 403 6505 E.Mail-dasguptad2758@yohoo.co.uk	सदस्य
	3	**श्री आर0 सी0 सिन्हा,** भा0प्रा0से0,(सेवानिवृत) उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य पथ विकास निगम, महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कम्पनी 12 फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड् सेंटर 1 कैफे पराडें, मुम्बई- 400 005, Tel.- 022163871 **E-mail-**vcmd@madeindia.org	सदस्य
	4	**श्री एस0 एस0 कोहली,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडिया आधारभूत वित्तीय संरचना कम्पनी लिमिटेड, 1201 नवरंग हाउस, कस्तुरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य

		kohlissurinder@yahoo.com	
	5	**श्री यू0 के0 सिन्हा,** भा0प्रा0से0, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यू0टी0आई0 मैचूअल फण्ड, यू0टी0आई0 टावर, बांद्रा कुरला कम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई-400051ए Tel.. 26528523 ई-मेल-cmd@uti.co.in	सदस्य
	6	**श्री के0 रामाचन्द्र,** प्रसिडेन्ट एण्ड सी0ई0ओ0, आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, द आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 वित्तीय केन्द्र, प्लाट सं0- सी0-22 जी0 ब्लॉक बांद्रा कुरला कम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई.400051, Tel.-26593020 ई-मेल- ramchand.karunakaran@ilfsindia.com	सदस्य
	7	**श्री संजय रेड्डी,** प्रबंध निदेशक, जी0भी0के0 ग्रूप, जी0भी0के0 इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पालह हाउस सं0-156-156, सरदार पटेल रोड्, सिकन्दराबाद - 500 003, Tel.- 040 2790 2663 sudharani@gvk.com	सदस्य
	8	**श्री राज कुमार सिंह,** आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, Fax No. 0612 223 3914 ई-मेल- transecy-bih@nic.in	सदस्य-सचिव
7	**उच्च तकनिकी शिक्षा**		
	विषयः- दृष्टि बिहार : उच्च तकनिकी शिक्षा के अभाव की पूर्ति-मध्यमवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1	डा0 वाई0एस0 राजन,प्रिंसिपल एडभाईजर, सी0आई0आई0,नईदिल्ली ई-मेल- y.s.rajan@ciionline.org	अध्यक्ष
	2	डा0 मनोहर चेलानी, सचिव, जेनरल एजूकेशन प्रमोशन सोसाईटी फोर इंडिया(ई0पी0एस0आई), पी0एच0डी0हाउस, दुसरा तल्ला, 4/2, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016, फोन न0- 26533563/26533572, मोवाईल- 9868260382 ई0मेल- mail@epsfi.org	सदस्य
	3	प्रो0 अशोक के0 सरकार, प्रो0 ऑफ सिविल इंजिनियरिंग, वी0आई0टी0स0,पीलानी, राजस्थान- 333031, दूरभाष - 01596-245073, ई0मेल- asarkar@bits-pilani.ac.in	सदस्य
	4	डा0 एस0के0 सलवान, वाईस चांसलर, पी0टी0यू0, जालंधर, दूरभाष - 0181- 2453199, ई0मेल-sk_salwan@yahoo.co.in	सदस्य
	5	एम0एम0 झा, आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य सचिव

8	**सरकारी-निजी-भागीदारी**		
	विषयः- दृष्टि बिहार : सरकारी-निजी-भागीदारी पर नई पहल-मध्यमवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1	मि0 विनायक चटर्जी, चेयरमैन, फीडबैक भेनचर्स (प्रा0) लि0, फीडबैक हाउस,7, लोकल शौपिंग, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-100017, दूरभाष-011-26495761/26495766 फैक्स-011-26495762 मो0-9811066711,ई0मेल- **vinayak@feedbackventures.com**	अध्यक्ष
	2	डा0 पार्थ मुखोपाध्याय,2-डी0,126, रिचवुड ईस्टेट, डी0एल0एफ0,फेज-4,गुड़गॉव, 122002, दूरभाष-0124-4042006 मोवाईल-9810005303 ई0मेल- pmukhopadhyay@gmail.com	सदस्य
	3	मि0 शैलेश पाठक, हेड : पी0पी0पी0 इनिसीएटिव, आई0डी0एफ0सी0 लिमिटेट, दी कैपिटल कोर्ट, 6ठा तल्ला, अलोफ पाम मार्ग,मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 दूरभाष-011-26713356-58, दूरभाष-011-26713356-58, फैक्स नं0- 011-26713359, मो0- 9871544441, E-mail- shailesh@idfc.com	
		मिसेज भावना भाटिया, रिजनल प्रोग्राम लीडर-साउथ एशिया पी0पी0आई0ए0एफ0, द्वारा -वर्ल्ड बैंक, 70-लोदी इस्टेट, नई दिल्ली-110003 दूरभाष- 011-51177820/51479815-16 फैक्स- 011-26713359 मो0-9811164140 ई0मेल- bbhatia@worldbank.org	विशेष आमंत्रित
	5	श्री अमित कपूर, पार्टनर, जे0 सागर एसोसियेट, 84-ई, सी-6 लेन,ऑफ सेन्ट्रल एवेन्यू, सैनिक फार्म्स,नई दिल्ली-110062, दूरभाष-011-29552593/29551541फैक्स- 011-29552717, मो0-9899381000 ई0मेल-**mit@jsalaw.com**	सदस्य
	6	श्री अतहर साहब, कंट्री हेड-ईफ्रास्ट्रक्चर, ए0ई0एस0(इंडिया) प्रा0 लिमिटेड, 08, चौथा तल्ला, टावर-बी, ग्लोवल विजिनेश पार्क, गुड़गॉव-122002, दूरभाष-0124.4300300फैक्स - 0124.4300299 मोवाईल-9871696555 **ई0 मेल-athar.shahab@aes.com**	सदस्य
	7	श्री शेखर दामले, हेड- प्रोजेक्ट फाईनेंस, एल0 एण्ड टी0 लि0, सी0एल0 एण्ड टी0 हाउस, एन0एम0मार्ग, वल्लार्ड ईस्टेट, मुम्वई-400001, दूरभाष- 022.67525732/5889 फैक्स- 022.67525844/5796, मोवाईल- 09821111181 ई0 मेल - csd@lth.ltindia.com	सदस्य
	8	श्री एस0 विजय राधवन, औद्योगिक विकास आयुक्त, उद्योग विकास, बिहार, पटना	सदस्य सचिव

9	**मैक्रो फ्रेमवर्क पर नई पहल**		
	दृष्टि बिहार : मैक्रो फ्रेमवर्क पर नई पहल–मध्यमवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन।		
	गठन		
	1	सुमन के0 बेरी, डायरेक्टर जेनरल, नेशनल कॉसिल फॉर एप्लाईड इकोनॉमिक रिसर्च, पारिशीला भवन, 11, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली–110002 ई–मेल– sbery@ncaer.org , Ph-011-23370466 / 23379861	अध्यक्ष
	2	मि0 दीपक दासगुप्ता, लीड इकोनोमिस्ट, वर्ल्ड बैंक, 70, लोदी स्टेट, नई दिल्ली–110003	सदस्य
	3	मि0 नरहरि राव, प्रधान अर्थशास्त्री, एसियन डेवलमेंट बैंक, इण्डिया रेसिडेंट मिशन, 4 सैन मार्टिन मार्ग, चाणक्य पुरी, मुख्य डाकघर, नई दिल्ली– 110021	सदस्य
	4	मि0 डी0के0 जैन, मुख्य महाप्रबंधक,स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पश्चिम गॉधी मैदान, पटना	सदस्य
	5	डॉ0 शशांक भिदे, एन0सी0ए0ई0आर0, पारिशीला भवन, 11, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली–110002	सदस्य
	6	डॉ0 कन्हैया सिंह, एन0सी0ए0ई0आर0, पारिशीला भवन, 11, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली–110002	सदस्य
	7	श्री रामेश्वर सिंह, सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य सचिव
10	**विधालयी शिक्षा की चुनौतियॉ**		
	दृष्टि बिहार : विद्यालयी शिक्षा की चुनौतियों की पूर्ति–मध्यमवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1	**प्रो0 अनिल सदगोपाल,** सेवानिवृत प्रो0 एवं डीन शिक्षा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ।	अध्यक्ष
	2	**प्रो0 रामाकान्त अग्निहोत्री,** भाषायी विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली–110007	सदस्य
	3	**प्रो0 विजया एस0 वर्मा,** सेवानिवृत प्रो0 भौतिकी एवं डीन (योजना), दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली–110007	सदस्य
	4	**प्रो0 वशी अहमद,** सेवानिवृत प्रोफेसर (भूगोल) पटना विश्वविद्यालय, पटना	सदस्य
	5	**प्रो0 रुपरेखा वर्मा,** सेवानिवृत प्रो0 (फिलोस्पी) दर्शनशास्त्र एवं प्रभारी वाईस चान्सलर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
	6	**श्री रवि कुमार फेलों,** काउंसिल ऑफ सोसल डेवलपमेंट, लोधी	सदस्य

		इस्टेट, नई दिल्ली, 110003	
	7	**डा0 वी0पी0 निरंजनाराध्य,** सेन्टर फार चाईल्ड एन्ड लॉ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बैगलोर	सदस्य
	8	**प्रो0 अजरा रज्जाक,** जामिया मिलया इस्लामियॉ,नई दल्ली,110025.	सदस्य
	9	**डा0 एम0एम0 झा,** आयुक्त एवं सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग ।	सदस्य सचिव
11	**उर्जा आस्वस्तता की सुनिश्चितता**		
	दृष्टि बिहार:उर्जा आस्वस्तता की सुनिश्चितता–मध्यमवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन		
	गठन		
	1	**श्री राजीव बी0 लाल,** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुबई, दूरभाष–022–22838185, फैक्स नं0–022–22046309 E-Mail – rlall@idfc.com	**अध्यक्ष**
	2	श्री वी0 एस0 अयलावादी, पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, 15/12 सर्वप्रिया विहार, प्रथम तल्ला नई दिल्ली–110016,दूरभाष–011 .26520817(R), 26852238(R), Mob- 09891246009, E-mail- vsailawadi@yahoo.com	सदस्य
	3	**श्री अनिल कुमार सरदाना,** प्रबंध निदेशक नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, ग्रिड सब- स्टेशन बिल्डिंग, हडन लाईन किंग्स वे कैम्प, नई दिल्ली–110009 दूरभाष –011–66112210/02 E-mail- md.office@ndpl.com	सदस्य
	4	**श्री एल0 आर0 श्रीवास्तव,** वरीय महाप्रबंधक, द टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड, बम्बें हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, मुम्बई–400001,दूरभाष–66658761(D)/66658773 extn 1842, E-mail- lrshrivastav@tpc.co.in	सदस्य
	5	**प्रो0 सिद्वार्थ सिन्हा,** प्रो0 इंडियन इन्सटीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद–380015 **दूरभाष– No.- 079-26308357(G) (PA; Suresh), 079-26324875(D)]** **E-mail- sidharth@iimahd.ernet.in**	
	5	आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक के अध्यक्ष के द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
	6	बी0 एस0 ई0 एस0 के अध्यक्ष के द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
	7	सी0 ई0 एस0 सी0 के अध्यक्ष के द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
	8	श्री राजेश गुप्ता,सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।	सदस्य सचिव
12	**सूचना प्रावैधिकी संवेग**		

	दृष्टि बिहार : सूचना प्रावैधिकी संवेग का निर्माण–मध्यमवर्ती संदर्श विषय पर स्टीयरिंग ग्रूप का गठन ।		
	गठन		
	1	श्री रामादोराय चेयरमैन, टाटा कन्सलटेन्सी सविर्सेस	अध्यक्ष
	2	श्री प्रमोद भसीन, सी0ई0ओ0 जी0ई0एन0पी0ए0सी0टी0	सदस्य
	3	श्री राजेन्द्र पवार, चेयरमैन, एन0आई0आई0टी0	सदस्य
	4	श्री अरुण मैरा, चेयरमैन, बोस्टन कन्सलटिंग ग्रुप	सदस्य
	5	श्री रमण राय, सी0ई0ओ0, क्वात्रों	सदस्य
	6	श्री सौरभ श्रीवास्तव, चेयरमैन, इन्डियन वेन्चर कैपिटल एसोशिएसन	सदस्य
	7	श्री नवीन कुमार, आयुक्त एवं सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग।	सदस्य सचिव

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के कार्य

(क) निदेशालय द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यों का मूल स्वरुप निम्नवत् है:-

(1)कृषि सांख्यिकी:-

(क) कृषि सांख्यिकी के तहत प्रत्येक कृषि वर्ष के चार मौसम यथा भदई, अगहनी, रब्बी एवं गर्मा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रत्येक प्लॉट का सर्वेक्षण कर जिन्सवार फार्म में अंचल कार्यालय के माध्यम से जिला सांख्यिकी कार्यालय को फसल क्षेत्र के बारे में प्रतिवेदन देना है ।

(ख) फसल उत्पादन के अनुमान हेतु नेत्रांकन और फसल कटनी प्रयोग की विधि अपनायी जाती है। सभी फसलों का नेत्रांकन 05 प्रतिशत ग्रामों के फसल सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है तथा 19 फसलों, 05 फलों एवं 09 सब्जियों का फसल उत्पादन के अनुमान हेतु, फसल कटनी प्रयोग सम्पादित कराये जाते हैं। नेत्रांकन का कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारी करते हैं तथा फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन अंचल निरीक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के द्वारा संपन्न किया जाता है।

(ग) क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं फसल कटनी प्रयोगों की जाँच निदेशालय के अतिरिक्त कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के पदाधिकारियों द्वारा करने का प्रावधान है।

(घ) फसल सर्वेक्षण कार्य को ससमय करने एवं इसमें गुणोत्तर वृद्धि लाने के उद्देश्य से द्रुत सर्वेक्षण योजना एवं फसल सांख्यिकी में सुधार योजना नामक दो केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ कार्यान्वित हैं।

(ड.) राज्य में फसल बीमा योजना लागू है। इस निमित्त निर्दिष्ट फसल का जिला/अंचल स्तर पर उपज दर का आक्कलन निदेशालय द्वारा संगणित किया जाता है, जिसके आधार पर बीमा की राशि का भुगतान किया जाता है।

(च) निदेशालय द्वारा कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत निम्न प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं:-

(i) दैनिक एवं मासिक वर्षापात।
(ii) साप्ताहिक फसल/मौसम एवं फसल प्रतिवेदन।
(iii) 39 फसलों के 71 पूर्वानुमान।
(iv) फसल का मौसमवार एवं स्रोतवार सिंचाई सांख्यिकी।
(v) भूमि उपयोगिता विवरणी।
(vi) विभिन्न फसलों का उपज दर।
(vii) प्रक्षेत्र मूल्य।
(viii) फसल क्षेत्र, फसल उत्पादन एवं उपज दर का सूचकांक।

(2) जीवनांक सांख्यिकी

इसके तहत निदेशालय राज्य में जन्म एवं मृत्यु के निबंधन का कार्य बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 के तहत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव निबंधक हैं। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/ जिला अस्पताल/ अनुमंडलीय अस्पताल/ रेफरल अस्पताल के उपाधीक्षक एवं रेफरल अस्पताल के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी निबंधक हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखण्ड क्षेत्र के लिए अपर जिला निबंधक, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जिले के लिये अपर जिला निबंधक एवं जिला पदाधिकारी जिला निबंधक हैं।

(3) अर्थ सांख्यिकी

इसके तहत निम्न कार्य किये जाते हैः-

सामाजिक-सह-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु विषयों का चयन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस हेतु न्यादर्श का चयन, सर्वेक्षण विधि का निर्धारण, अनुदेश पुस्तिका एवं प्रपत्रों की आपूर्त्ति भी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ही करता है। राज्य न्यादर्श में सर्वेक्षण का कार्य इस निदेशालय के 17 निरीक्षणालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(क) राज्य में सकल घरेलू उत्पाद, बचत एवं पूंजी निर्माण एवं बचत, संसाधन एवं क्षेत्रीय लेखा के गणना हेतु निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर प्रशाखाएँ गठित हैं, जो विभिन्न स्रोतों से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के मार्ग-दर्शन में विभिन्न राज्यों से आकड़ों पर तत्संगत आँकड़ों का संकलन एवं कर विश्लेषण का कार्य करता है।

(ख) इसके अतिरिक्त मूल्य सांख्यिकी, उद्योगों का वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, आवास सांख्यिकी, स्वास्थ्य सांख्यिकी एवं जेल सांख्यिकी का कार्य किया जाता है।

(4) मूल्यांकन

राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित विषयों पर मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु मूख्यालय में मूल्यांकन इकाई एवं क्षेत्रीय स्तर पर 05 मूल्यांकन कार्यालय गठित हैं।

(5) प्रशिक्षण, शोध एवं प्रकाशन

इस प्रभाग द्वारा कृषि सांख्यिकी, जीवनांक सांख्यिकी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, मूल्यांकन रिफ्रेशर के लिए बहुस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराया जाता है एवं निदेशालय द्वारा सम्पादित कार्यो का प्रकाशन भी किया जाता है। निदेशालय 'बिहार एक झलक' तथा 'राज्य सकल घरेलू उत्पादन' का प्रकाशन नियमित रुप से कराता है।

(6) तदर्थ सर्वेक्षण एवं गणना

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण एवं गणना संपोषित की जाती है, जिसका राज्य में क्रियान्वयन निदेशालय के माध्यम से कराया जाता है। निदेशालय द्वारा सम्पादित 'पंचम आर्थिक गणना' का सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो गया है तथा सारणीयण कार्य

प्रगति पर है । भारत सरकार के द्वारा संपोषित चतुर्थ लघु सिंचाई गणना का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

राज्य योजना पर्षद के कार्य

राज्य योजना पर्षद योजनाओं के सूत्रण एवं अनुश्रवण के संबंध में परामर्श एवं नीति निर्धारण हेतु गठित है । इसके कार्य निम्नांकित हैः–

(i) राज्य योजनाओं का सामान्य सूत्रण तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होगा, के संबंध में परामर्श देना ।

(ii) दीर्धकालीन योजना जो आगामी 10 वर्षो के लिए होगी, का सामान्य सूत्रण, दिशा निर्धारण एवं विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं का निर्धारण ।

(iii) दीर्धकालीन योजनाओं के तहत समय–समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा कराना तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र तथा अन्य तकनीकी प्रगति को देखते हुए योजनाओं के स्वरूप में बदलाव हेतु सुझाव देना ।

(iv) राज्य सरकार को योजना सूत्रण में सहयोग देना तथा विभिन्न विकासात्मक विभागों के कार्यक्रम, परियोजना आदि की तैयारी हेतु दिशा–निर्देश देना ।

(v) राज्य की अर्थ व्यवस्था को देखते हुए तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास कार्यो की क्षमता तथा दिशा के संबंध में नीति निर्धारण करना ताकि तदनुसार, योजना सूत्रण हो सके ।

(vi) जिला योजना तथा उक्त के अधीन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत अन्तिम स्तर की योजनाओं के सूत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करना तथा उन योजनाओं की समीक्षा हेतु निर्देश ।

(vii) राज्य में आर्थिक उदारीकरण के परिवेश में विस्तृत आर्थिक सुधार हेतु कदम उठाना, विशेषकर, राजस्व व्यवस्था, विभिन्न नियमों के सरलीकरण पर कार्य करना ताकि आर्थिक सुधार की गति निरंतर बनी रहे ।

(viii) ऐसे नीतिगत विषयों पर सुझाव देना जिससे आधारभूत संरचना के विकास में राज्य सरकार को सहायता मिल सके ।

योजना एवं विकास विभाग की विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन

(क) राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

राष्ट्रीय सम विकास योजना(जिला)

योजना एवं विकास विभाग राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़ा जिला पहल कार्यक्रम के समन्वय हेतु सरकार के द्वारा नोडल विभाग के रुप में नामित है । यह कार्यक्रम अब बैकवार्ड रिजन ग्रांट फंड में रुपांतरित हो चुका है, जिसका नोडल विभाग राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग को बनाया गया है। इस योजना के लिए शतप्रतिशत राशि भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है ।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के अधीन राज्य के 21 जिलों का चयन किया गया था । ये जिलें हैः– गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णियॉ, कटिहार, अररिया, जमुई एवं लक्खीसराय । उपर्युक्त जिलों का जिला योजना प्रारुप मार्गदर्शन के आधार पर तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया तथा उसके आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।

(ख) मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

राज्य के जिन 17 जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना में शामिल नहीं किया गया हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जिला विकास योजना दो चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है । प्रथम चरण के जिले हैं– अरवल, बक्सर, सीतामढ़ी, सारण, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं गोपालगंज । द्वितीय चरण में भागलपुर, बॉका, शेखपुरा, मुँगेर, खगड़िया, बेगुसराय, सहरसा एवं किशनगंज जिले सम्मिलित किये गये हैं । इन जिलों के जिला योजना प्रारुपों की स्वीकृति प्रति जिला 30 करोड़ रू0 की दर से, राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है ।

(ग) राष्ट्रीय सम विकास योजना (विशेष योजना)

केन्द्र सरकार से शत प्रतिशत सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सम विकास योजना कुल 8103.94 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यान्वित कराई जा रही है। इस योजना अन्तर्गत उर्जा प्रक्षेत्र में मुजफ्फरपुर एवं बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण, उप संचरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं 2043.27 किलोमीटर राजकीय उच्च पथों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है । इसके तहत योजना आयोग राशि सीधे केन्द्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों को संबंधित विभागों की अनुशंसा पर उपलब्ध कराता है ।

(घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्रीय योजना है जो बिहार राज्य में वर्ष 1999–2000 से कार्यान्वित है। पूर्व में यह गृह विभाग के माध्यम से होता था , 2002–03 में इस विभाग को इसका दायित्व सौपा गया । यह योजना बिहार और नेपाल के सीमा पर पड़नेवाले कुल 7 जिलों के 31 प्रखंडों में कार्याधीन है,जिनकी सूची निम्नलिखित है ।

जिला एवं प्रखंडों की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखंडों का नाम
1	मधुबनी	माधवापुर, हरलाखी, वासोपट्टी, जयनगर, लदनियाँ, शुतौना, लोकही
2	सीतामढ़ी	बरगैनियाँ, सुरसंड, परिहार, मेजरगंज, सोनवरसा
3	किशनगंज	ठाकुरगंज, दीघलबैंक, टेढ़ागाछ
4	सुपौल	निर्मली, वसंतपुर
5	अररिया	नरपतगंज,फारबिसगंज,कुरसेला,सिकटी
6	पूर्वी चम्पारण	रक्सौल, अदापुर, छौड़ादानो, घोड़ासहन, ढाका
7	पश्चिमी चम्पारण	बगहा, रामनगर, गौनाहा, मैनाटॉड, सिकटा

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0-यो05/विविध-48/2006-428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के ज्ञाप सं0-103977-700 दिनांक 11.10.1985 तथा उक्त पत्र के साथ संलग्न नियमावली के आलोक में विभाग की परामर्शदातृ समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1. श्री नीतीश कुमार, मुख्य (योजना) मंत्री - अध्यक्ष
2. श्री प्रदीप सिंह(जदयू), स0वि0स0 - सदस्य
3. श्री विजय कुमार शुक्ला(जदयू), स0वि0स0 - ''
4. श्री रामचन्द्र सिंह निषाद(राजद), स0वि0स0 - ''
5. श्री विभाष चन्द्र चौधरी(भाजपा), स0वि0स0 - ''
6. श्री विनोद यादव(भाजपा), स0वि0स0 - ''
7. श्री सच्चितानंद यादव(जदयू), स0वि0स0 - ''
8. श्री नीलम्बर चौधरी, स0वि0प0 - ''
9. श्री नागमणि, स0वि0प0 - ''

2. समिति के जो सदस्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य के पद से मुक्त हो जायेगें, वें समिति की सदस्यता से भी स्वत: मुक्त हो जायेगें ।

3. समिति के सचिव, योजना एवं विकास विभाग के उप सचिव होंगे ।

4. समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य हुआ करेगी।

5. विभागीय परामर्शदातृ समिति के निम्नांकित कर्त्तव्य एवं दायित्व होंगे:-

क) विभाग में कार्याधीन योजनाओं एवं विभाग द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा ।

ख) विभाग में सुचारू रूप से कार्य सम्पादन के लिये विभागीय प्रशासन एवं उसके ढाँचे में सुधार के लिए सुझाव ।

ग) कार्य की प्रगति तीव्र करने एवं प्रशासन मे मितव्ययिता लाने के लिए परामर्श देना ।

घ) भविष्य में विकास कार्य के लिये योजना तैयार करना ।

6. समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को सचिव समिति की बैठक बुलायेंगे। सचिव समिति में उपस्थापित किये जाने वाले कार्यक्रम का विवरण तैयार कराकर सदस्यों के बीच प्रसारित करेंगे, जिसके साथ वे कार्यक्रम के प्रत्येक मद की व्याख्या करते हुये संलेख और प्रभारी मंत्री के आदेशानुसार अगर अन्य कोई कागजात समिति में उपस्थापित करना हो तो, संलग्न करेंगे ।

7. समिति की बैठक में सचिव कार्यक्रम के प्रत्येक मद की व्याख्या करेंगे, तदुपरांत अध्यक्ष महोदय सदस्यों से विचार विमर्श करने का अनुरोध करेंगे और समिति के सचिव तदनुसार विभागीय संचिका में समिति का सामान्य विचार अंकित करेंगे ।

8. समिति का कार्य केवल सलाहकारी रहेगा एवं उसकी कार्यवाही अत्यन्त गोपनीय होगी । सदस्यों के बदले कोई अन्य समिति की बैठक में भाग नही ले सकेगें। समिति की बैठक में विचार किये गये विषय पर वोट नही दिये जायेंगे ।

9. बैठक के पश्चात समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण विधान सभा/विधान परिषद को भेजेगा ।

10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(**कमलेश्वर गिरि**)

उप सचिव ।

ज्ञापांक सं0-यो05/विविध-48/2006- 428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । इसकी 100(एक सौ) प्रतियॉ विभाग को उलब्ध कराने की व्यवस्था करायी जाय ।

ह0/-

उप सचिव ।

ज्ञापांक सं0-यो05/विविध-48/2006-428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि: सभी संबंधित माननीय सदस्य/सचिव, बिहार विधान सभा/ परिषद/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

उप सचिव ।

ज्ञापांक सं0-यो05/विविध-48/2006- 428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि: मुख्य (योजना) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

उप सचिव ।

ज्ञापांक सं0–यो05/विविध–48/2006– 428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक सा0का0विविध0311/06–828 दिनांक 26.08.2006 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

उप सचिव ।

ज्ञापांक सं0–यो05/विविध–48/2006– 428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/वित्त आयुक्त बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/योजना एवं विकास विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव ।

ज्ञापांक सं0–यो05/विविध–48/2006– 428 /यो0वि0 दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपि: उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव ।

अध्याय–2

योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य

District Planning Officer :- Duties and functions of District planning officers are:-

(i) Indepth study of the geo-physical characteristics, settlement pattern, resource endowments, potentials, felt needs and priorities of the district,

(ii) Preparation of inventory of resources available in the district,

(iii) Critical appraisal of the level of development in the various socio-economic fields in the district.

(iv) Identification of sub-regions, if any having different geophysical characteristics, patter of primary and secondary activities as also level of development.

(v) Identification of growth centres of different orders along with their areas and to fined out the gaps and deficiencies in the provision of felt services and facilities at their level,

(vi) Preparation of profile, furnishing comprehensive details about the district as a whole and the subregions, if any, separately which should serve as the general frame work for the formulation of district plan. The profile should also contain a sot of maps including one showing a hierarchy of growth centres with their hinter lands.

(vii) Preparation of details of all on-going Plan and non-plan scheme to help the district officers in the review of the progress of such schemes and also their effective monitoring and evaluation.

(viii) Preparation of perspective and annual Plan for the development of the district based on the guidelines issued by the Planning Department from time to time also keeping in view the national/State norms as well as the felt needs, potentials and priorities of the district.

(ix) Performance of duties and functions as Member-Secretary of the Executive Committee of the District Planning and Development Council.

(x) Furnishing all the required informations to the District Planning and Development Council as also to the Executive Committee of the Council.

(xi) Assisting the District Planning and Development Council/Executive Committee in making/sector/programme wise allocation of funds received from the State Government and also to work out suitable criteria for making such allocation with the approval of the Planning and Development Department.

(xii) Keeping close contacts with all the district level officials of various departments for preparation of plans and development of the various sectors.

(xiii) Securing people's participation-in the implementation of District Plan,

(xiv) Submission of the District Plan, as approved by the District Planning and Development Council to the Planning and Development Department for examination and corporation in the State Annual Plan.
(xv) Submission of periodical progress reports, as required by the Planning Department, and
(xvi) Such other work as may be specified by the Planning and Development Department from time to time.

System Analyst

1. To look after the data management system at the district level including collection, storage, analysis and retrieval of data for planning purposes.
2. To build up a data Bank and feed the information to the District level technical officials for formulation of District Plan in proper and scientific manner.
3. To up-date the resource surveys, statistical economic data and socio-economic indicators of development periodically.
4. To initiate advance studies and projections of economic data necessary for preparation of perspective District Plan.
5. To assist the District Planning Officer as and when required.
6. Such other work as may be specified by the Planning and Development Department and District Planning Officer from time to time.

Credit Planner cum R.D.Expert

1. To define the precise scope and content of District Planning in the context of Rural Development.
2. To devise the various steps in District Plan for Rural Development and to indicate methodology for each step.
3. To undertake Village/Block Surveys, specific project studies, economic analysis and projections, estimates and selective evaluation studies.
4. To suggest the methodology for integrating various block level Rural Development Programmes with District Plan.
5. Scruitiny of existing rural development scheme with regard to their relevance for the District and to recommend for their continuance or withdrawal.
6. To formulate and appraise bankable projects/programmes with ensure mobilization of institutional credit through various financial institutions including co-operative credit.
7. To maintain effective laisen with the Lead Bank in the preparation of credit plan for the District.
8. To assist the District Planning Officer in proper maintenance of accounts.
9. To maintain scheme register.
10. Such other works as may be specified by the Planning Department and District Planning Officer from time to time.

Assistant Statistical Officer

1. To collect the essential Planning data at District level both geo-data and socio-economic information and the compile these data in tables specified by Planning Department.
2. To assist the system analyst in his works.
3. To analyse the resources inventory data, and to conduct necessary preliminary surveys and studies as assigned by credit Planner-cum-Rural Development Export.
4. To assist the District Planning Officer in submission of periodical progress reports as required by Planning Department.
5. To prepare the list of schemes sector-wise to help the District Planning Officers in the approval/Monitoring/evaluation of such schemes by D.P.D.C.
6. Such other works as may be assigned by D.P.O., System Analyst from time to time.

Senior Statistical Assistant

1. To assist Assistant Statistical Officer in collecting, and compiling the essential Planning data-both geo-data and socio economic information.
2. To undertake preliminary surveys as assigned by Rural Development Experts/ Assistant Statistical Officers.
3. To assist the R.D. Expert in drawing up self of projects of Development.
4. To assist system Analyst in building up data Bank.
5. Such other works as may be assigned by District Planning Officer/System Analyst/Credit Planner cum Rural Development Expert from time to time.

Compiler

1. To compile geographical and socio-economic data.
2. To compile the periodical progress report.
3. Graphical representation of Development activities.
4. To compile the scheme register.
5. Such other work as may be assigned by the District Planning Officer/System Analyst/Credit Planning-cum-R.D. Expert.

Duties and functions of District Statistical Officers at district headquarters

Main functions of the District Statistical Officers are:-

(1) He should assist the district agencies in filling up the quarterly proforma relating the progress of the Plan and other relevant statistics and to ensure that they are filled up properly.

(2) He should also look critically into the compilation of Agricultural statistics, Community Project and National Extension Service statistics.

(3) He should maintain a register of physical targets, aims and objectives, amount sanctioned and spent on each scheme that is implemented in the district.

(4) He should maintain all the basic statistics pertaining to his district and try to build up these statistics villagewise.

(5) *Preparation of statistics abstract and statistical series*- The District Statistical Officer should also concentrate on building the series from the village level at a later data wherever possible. The progress of the work in this direction should be intimated to the Bureau from time to time by the officers.

(6) *Ad hoc enquiries*- The District Statistical Officers will have to take part in *ad hoc* enquires that the conducted by the Bureau for collection of any information on *ad hoc* basis.

(7) The District Statistical Officers should give a brief note on the type of statistics available in the district, their coverage sources, extent or reliability, etc.

(8) Co-ordinating the statistical activities of different departments at the district level.

(9) Ensuring that the data collected by the different district agencies are furnished in time and conform to contain minimum standards.

(10) Undertaking on-the-spot investigations on the collections of data.

(11) Periodic training of primary reporters of data in the different fields.

(12) Collection of such economic and statistical data which are either not available at present or are extremely meager inadequate or unreliable and for collection of which there is no suitable agency existing at the district level and which can be collected with the sanctioned staff.

(13) Maintain data relating to district development scheme included in the Plan and periodic assessment of the progress thereof.

(14) Meeting such other demands of statistics as may arise from time to time for administrative and policy purpose.

(15) Supervising the work of primary reporting agencies and exercising cross checks between entries made in different columns and rows of different forms of returns, reports and statements, comparison with similar data relating to previous periods and examine if data collected correspond to concepts and definitions adopted.

(16) Submitting critical annual reports on his district statistics.

योजना एवं विकास विभाग के वर्ग-3 के कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य

(A) दिनचर्या लिपिक का कर्त्तव्य -

1. सभी प्राप्त पत्रों /प्रेषित पत्रों को पंजी में दर्ज करना/ भारत सरकार से प्राप्त पत्र लाल स्याही से लिखना ।
2. सहायकों के नाम पत्रों को उनके कर्मयुक्त में चढ़ाना एवं उनको वितरति करना ।
3. पंजी मे अंकित पत्रों के सामने सहायकों से कर्मपुस्त लेकर अपने पंजी में संचिका संख्या लिखना ।
4. भारत सरकार/विधान मंडल के पत्रों का जबाव जाने पर उस पत्र के सामने उत्तर की तारीख और संख्या अंकित करना ।
5. अनुत्तरित भारत सरकार/ विधान मंडलों के लंवित प्रश्नों के उत्तर नहीं जाने की सूची उच्चधिकारियों के समक्ष लाना
6. संबंधित अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहना और उनके आदेशों तथा निर्देशों का पालन करना ।

(B) अभिलेखवाह के कर्तव्य -

1. अभिलेखें को विहित क्रम में सुरक्षित रखना
2. नियमित और उचित रुप से झाड़ पोछ कर अभिलेखों को साफ सुथरा रखना, सीम कीट आदि से उनकी हिफाजत का विहित प्रबंध करना ।
3. कार्यावाह सहायक को अभिलेख देना ।
4. विभाग से अभिलेख अभिलेखाकार में भेजने का प्रबंध करना और कागज पत्रों की सूची पत्र तैयार करना ।
5. संग्रहीता के निदेशें के अनुसार कार्य करना ।

(C) टंकक का कर्त्तव्य -

1. कर्म पुस्त रखना ।
2. अपने अपने नाम अंकित सभी विषयों को टंकित करना ।
3. मिलान का कार्य करना ।

4. प्रधान टंकक और उच्चधिकारियों को रिर्पोट करना और उनके अनुदेशों का पालन करना ।
5. टंकण यंत्रों की हिफाजत करना और साफ सफाई का ध्यान रखना।

(D) प्रधान टंकक का कर्तव्य–

1. टंकण और मिलान करना ।
2. अपने अधीनस्थ टंककों के बीच कार्य वितरित करना और टंकण तथा मिलान करना ।
3. प्राप्तता क्रम निर्धारित करना, जिसके अनुसार प्रशाखा में टंकण कार्य हो ।
4. टंककों की कर्मपुस्ती देखना–टंकण संबंधी आवश्यक निदेश देना ।
5. लेखन सामग्रियों को प्राप्त कर टंककों के बीच वितरित करना ।
6. उच्चाधिकारियों द्वारा सौपा गया अन्य कार्य तथा निदेशों का पालन करना ।

(E) आशुलिपिक/निजी सहायक के कर्तव्य–

1. अपने पदाधिकारी से डिक्टेशन लेना और उसकी प्रतिलिपि तैयार करना तथा उनके अनुदेशों का पालन करना ।
2. पदाधिकारियों कार्यालय कक्ष एवं आवासों में सभी कागजातों को पंजी संचिकाओं को उचित रुप में संरक्षित करना पंजी में सूचीबद्ध करना, देखभाल करना ।
3. पदाधिकारियों के गोपनीय कार्यों करना और उनके निदेशानुसार कार्य करना ।
4. पदाधिकारियों के नाम पृष्ठांकित संचिका पत्र को प्राप्त करना और कार्य उपरांत यथास्थान प्रेषित करना ।

(F) i उच्चवर्गीय सहायक का कर्तव्य–

1. डाक प्राप्त करना ।

2. प्राप्त डाक को छाँटना-प्रशाखा का नाम अंकित करना । भारत सरकार के पत्र विधानमण्डल पत्रों जिनका उत्तर देना है, लाल पेंसिल से 3 अक्षर लिखना ।
3. विभागीय आदेशानुसार संबंधित पदाधिकारी के सम्मुख डाक रखना।
4. कागज पत्र आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों सहायकों के बीच बाँटना ।
5. भारत सरकार विधान मंडल पत्रों में विलम्ब को उच्च पदाधिकारियों को ध्यान में लाना ।
6. विभागीय पुस्तकालय का प्रभारी ।
7. उच्च पदाधिकारियों के आदेश पालन करना ।

ii सहायक का कर्तव्य-

1. शाखा के आवंटित कार्य एवं उससे संबंधित संचिकाओं अभिलेखों का प्रभारी/साधारण एवं पर्यवेक्षण के प्रभारी ।
2. प्राप्त पत्रों को संबंधित संचिका में दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करना ।
3. प्रशाखा पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी के निदेशानुसार मामले का परीक्षण करना, उन्हें सहायता करना ।
4. प्राप्त पत्रों को निष्पादन के बाद कर्म पुस्ती में संचिका संख्या, दिनांक अंकित करना ।
5. आवश्यक निर्धारित पंजियों को संधारित एवं संरक्षण करना ।
6. भारत सरकार एवं विधानमंउल से प्राप्त सभी पत्रों को समयानुसार निष्पादित कर हरेक अनुमोदित उत्तर प्रारुप पर दैनिकी संख्या चढ़ाना, उत्तर के लिए सजग रहना ।
7. माँगी गयी विषयों एवं मामलों को सूची संधारित करना एवं सुलभ कराना ।
8. प्रशाखा पदाधिकारी के आदेशानुसार कार्य करना ।

(G) विपत्र लिपिक का कर्तव्य–

1. लेखा संबंधी सभी तरह का कार्य ।
2. लेखा संबंधी कार्यालय अभिलेख/पंजी/तथा वेतन भरपाई पंजी का संधारन ।
3. सभी तरह के विपत्रों को तैयार कर विपत्र की जाँच कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना ।
4. विपत्र को मैसेंजर पंजी पर अंकित कर पारित करने हेतु कोषागार प्रेषित करना ।
5. सभी तरह के आवंटन पंजी तथा अग्रिम पंजी का संधारण करना। कार्यालय के सभी पदाधिकारी/कर्मचारियों की वेतन विपत्र तैयार कर पारित करने हेतु कोषागार प्रेषित करना । कार्यालय/कोषागार तथा बैंक के बीच समन्वय स्थापित करना ।
6. लेखा के पदाधिकारी के निदेशानुसार अन्य कार्य करना तथा उनके आदेशों को पालन करना । विभागीय कैश बुक तथा रोकड़ का संधारण ।

नोटः– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 12298 दिनांक 02. 12.2006 के आलोक में विभागीय ज्ञाप पत्रांक 64 दिनांक 04.01.2007 द्वारा विभाग में कार्यरत्त टंकक/ विपत्र लिपिक एवं दिनर्चया लिपिक के सभी पद उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित किया जा चुका है । परंतु अभी तक उच्च वर्गीय लिपिक के कार्य तथा कत्वर्य को कार्मिक विभाग से परमिाणित नही किया गया है ।

(H) ट्रेजरी सरकार–

कार्यालय के लेखा शाखा में सभी तरह के तैयार विषयों को मैसेजर पंजी पर अंकित करना सबंधित कोषागार में प्रस्तुत करना । विपत्र को पारित करा कैश की राशि को लाकर विभागीय रोकड़पाल के पास देना । रोकड़पाल तथा लेखा लिपिक के निदेशानुसार अन्य कार्य करना ।

(I) शोध सहायक–

योजना एवं विकास विभाग के योजना एवं पंचवर्षीय योजना के संबंधित कार्य/प्रारुप सूत्रण का कार्य विभागीय समन्वय

पटल का कार्य/राष्ट्रीय सम विकास योजना संबंधी कार्य/योजना आयोग तथा भारत सरकार के प्राप्त पत्रों का निष्पादन विभिन्न परियोजना से संबंधित कार्य/इसके अतिरिक्त उच्च पदाधिकारियों के आदेशानुसार सौंपे गए अन्य कार्य ।

अध्याय 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।

योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत विभागीय योजनाओं के सूत्रण, स्वीकृति एवं अनुश्रवण के लिए वित्त विभाग के पत्र संख्या 5685 दिनांक 08.10.2005 के संदर्भ में का0आ0सं0 149 दिनांक 21.04.2006 के द्वारा निर्धारित किया गया है। दोनों संदर्भित पत्रों की अनुलग्नक 1 एवं 2के रुप में संलग्न है ।

अनुलग्नक 1

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पत्रांक: एम04-45/94-पार्ट-1-5685वि(2), पटना, दिनांक 08 अक्टूबर, 2005

विषय: योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन ।

प्रसंग: (i) वित्त विभाग संकल्प संख्या-2046 दिनांक 14.03.1986 ।
(ii) वित्त विभाग संकल्प संख्या-4592 दिनांक 29.07.1987 ।
(iii) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या-1611 दिनांक 06.05.1994 ।
(iv) वित्त विभाग संकल्प संख्या-301 दिनांक 31.01.1995 ।
(v) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या-537 दिनांक 11.03.2005 ।
(vi) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग संकल्प संख्या-558 दिनांक 14.03.2005 ।
(vii) वित्त विभाग पत्रांक-2218 दिनांक 16.03.2002 ।
(viii) बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 59 एवं 60 ।

उपर्युक्त प्रसंग(i) के द्वारा विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार को प्रणाली एवं व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे तथा कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु सरकारी विभागों की शक्तियों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था ।

2. उपर्युक्त प्रसंग(ii)के द्वारा प्रसंग(i) में प्रत्यायोजित शक्तियों के संबंध में कतिपय शंकाओं एवं मतभेदों को देखते हुए संशांधन किए गए थे ।

3. उपर्युक्त प्रसंग(iii)के द्वारा योजना एवं बाह्य पोषित योजनाओं (विश्व बैंक सहित) की समीक्षा एवं स्वीकृति के लिए प्राधिकृत समितियों का पुनर्गठन किया गया था ।

4. उपर्युक्त प्रसंग(iv)के द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा अनुशंसित योजनाओं के लिए संलेख एवं स्वीकृत्यादेश प्रारुप में बिना वित्त विभाग में संचिका भेजे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे ।

5. उपर्युक्त प्रसंग(v)के द्वारा बिहार कार्यपालक नियमावली, 2005 प्रख्यापित की गई थी जिसके नियम संख्या 32 में योजना मद में योजनाओं की स्वीकृति एवं समीक्षा के लिए प्राधिकृत समिति के गठन का प्रावधान किया गया था । नियम 16 में वित्त विभाग को वित्त विभाग की सहमति आदि के संबंध में सामान्य अथवा विशेष निर्देश देने तथा नियम बनाने का प्रावधान किया गया है।

6. उपर्युक्त प्रसंग(vi)के द्वारा प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है।

7. उपर्युक्त प्रसंग(vii)के द्वारा महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है ।

8. उपर्युक्त प्रसंग(viii)में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान किया गया है ।

9. प्राधिकृत समितियों के गठन तथा वित्त विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों संबंधी आदेश में विसंगतियाँ/अस्पष्टताएँ हैं । इन कारणों से विभागों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है और योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया में अस्पष्टता बनी हुई है । चालू तथा नई योजनाओं की परिभाषा में अस्पष्टता है । इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन एक ही स्तर से किया जाय जिससे आदेशों में विसंगतियाँ नहीं आयें तथा एकरुपता बनी रहे ।

10. उपर्युक्त उद्देश्य से सरकार द्वारा पूर्व में गठित समितियों की अनुशंसाओं तथा केन्द्र सरकार में इस संबंध में व्यवस्था पर विचारोपरांत योजना मद में चालू एवं नई योजनाओं की समीक्षा (Appraisal) एवं स्वीकृति(Approval) के लिए निम्न व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) समीक्षा समितियाँ(AppraisalCommittees)

विभागीय स्थायी वित्त समिति:-

विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति(Standing Financial Committee) में निम्न सदस्य होंगे:-

(क) विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव - अध्यक्ष
(ख) आंतरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य
(ग) योजना संबंधी प्रशाखा के संयुक्त सचिव - सदस्य

सचिव अथवा आंतरिक वित्तीय सलाहकार यदि चाहें तो योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग तथा किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकते हैं ।

विभागीय व्यय वित्त समिति:-

विभागीय व्यय वित्त समिति(Departmental Expenditure Finance Committee) में निम्न सदस्य होंगे:-

(क) विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव - अध्यक्ष
(ख) सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रतिनिधि - सदस्य
(ग) वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/प्रतिनिधि - सदस्य
(घ) विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य सचिव

प्राधिकृत समिति:-

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति वर्तमान की तरह रहेगी

(क) विकास आयुक्त - अध्यक्ष
(ख) वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त - सदस्य
(ग) आयुक्त-सह-सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग-सदस्य सचिव
(घ) संबंधित विभागीय आयुक्त-सह-सचिव/सचिव - सदस्य
(ड़) संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य

(ii) यह व्यवस्था योजना मद में योजनाओं की समीक्षा(Appraisal)एवं स्वीकृति(Approval) के लिए ही है ।

(iii) चालू योजना वही मानी जाएगी जिसकी पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी हो लेकिन स्वीकृति राशि के विरुद्ध पूर्ण राशि आवंटित नहीं की गई है ।

(iv) लेकिन ऐसी योजनाएँ चालू नहीं मानी जायेंगी जिनमें अवधि विस्तार पिछले वर्ष तक के लिए ही किया गया हो । यदि किसी योजना में अवधि विस्तार किया जाना है तो यह नई योजना ही मानी जाएगी।

(v) यदि किसी नई योजना में पद सृजन/उत्क्रमण अथवा वाहनों का क्रय शामिल हो तो उक्त योजना की समीक्षा प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जायेगा ।

(vi) यदि योजनाओं के अवधि विस्तार में पदों का भी अवधि विस्तार है तो यह नई योजना के अंतर्गत पद सृजन का मामला होगा । अत: इसमें प्राधिकृत समिति द्वारा समीक्षा तथा मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । प्रशासी विभाग यदि चाहे तो ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार औचित्य के साथ एक से अधिक वर्षो के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की समीक्षा तथा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के लिए ला सकता है । सक्षम स्तर से अनुमोदन हो जाने पर योजना आगामी वर्षो के लिए चालू योजना की श्रेणी में मानी जायेगी ।

(vii) स्थायी अथवा अस्थायी पदों के सृजन, वाहनों का क्रय, विशेष आकस्मिकता आदि के लिए मितव्ययिता परिपत्रों का पालन अनिवार्य होगा ।

(viii) चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा उन पर प्रतिबद्धता की राशि को प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात् ही अवशेष योजना उद्व्यय और बजट उपबंध में अंतर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा । नई योजनाएँ उतनी ही लागत की ली जायें जिनपर वर्तमान वर्ष में प्रस्तावित व्यय अवशेष योजना और बजट उपबंध के अंतर्गत ही हो और योजना के लिए शेष राशि के लिए आगामी वर्ष में योजना एवं बजट उपबंध की उपलब्धता हो ।

(ix) योजना मद में नई योजना स्कीम:-

क्रम संख्या	**योजना का लागत**	**समीक्षा प्राधिकार**	**स्वीकृत प्राधिकार**	**अभ्युक्ति**

1	2	3	4	5
1	50 लाख तक	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव	
2	50 लाख से 2.50 करोड़ तक	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री	विभागीय सचिव की अध्यक्षता में
3	2.50 करोड़ से 5.00 करोड़ तक	विभागीय व्यय वित्त समिति	विभागीय मंत्री	विभागीय सचिव की अध्यक्षता में
4	5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक	विभागीय व्यय वित्त समिति	विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री	विभागीय सचिव की अध्यक्षता में
5	10.00 करोड़ से अधिक	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	विकास आयुक्त की अध्यक्षता में
6	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	विकास आयुक्त की अध्यक्षता में

यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के अत्क्रमण अथवा नया वाहन क्रय भी शामिल हों तो प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जायेगा । इसी तरह अवधि विस्तार के प्रस्ताव भी प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(x) निवेश पूर्व कार्य/ योजना (Pre Investment activity)

क्रमांक सं0	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार	अभ्युक्ति
1.	20 लाख तक DPR तथा Pre Investment activity (भूमि अधिग्रहण/आधारभूत सुविधाओं को छोडकर) बजट उपबंध/ योजना उद्व्यय उपलब्ध होने पर	विभागीय सचिव	विभागीय सचिव	
2.	शेष मामले में	प्राधिकृत समिति	क्रम सं0 (IX) के अनुसार सक्षम प्राधिकार	

(xi) पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति:-

(I) 10 करोड़ लागत से कम योजनाओं के मामले:-

(क) प्रोजेक्ट के निर्धारित अवधि के अंदर वैधानिक लेवी/करों, विनिमय दरों तथा मूल्य दरों में वृद्धि के कारण तथा इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक की लागत में वृद्वि में अनुमोदन उपरोक्त कंडिका **iv** में दी गई स्वीकृति प्राधिकार के द्वारा योजना एवं विकास विभाग के साथ विमर्श के वाद स्वीकृत किये जायेगें।

(ख) उक्त तीन कारणों के अतिरिक्त 20 प्रतिशत से ज्यादा लागत में वृद्वि के प्रस्ताव की समीक्षा (appraisal) तथा अनुमोदन कंडिका में दी गई appraisal authority एवं स्वीकृति प्राधिकार (approval authority) के द्वारा की जायेगी।

(II) 10 करोड़ से ज्यादा लागत के योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन:-

(क) मात्र उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्वि में अनुमोदन प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग की सहमति से किए जायेगें ।

(ख) प्रथम पुनरीक्षण के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमोदन प्रशासी विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग की सहमति से किये जायेगें ।

(ग) प्रथम पुनरीक्षण के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि के अनुमोदन के प्रस्ताव की समीक्षा (Appraisal) योजना एवं विकास विभाग द्वारा तथा अनुमोदन विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री के द्वारा किये जायेगें ।

(घ) प्रथम पुनरीक्षण के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारणों के कारण 20 प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि के अनुमोदन के प्रस्ताव की समीक्षा (Appraisal) प्राधिकृत समिति द्वारा तथा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा दिया जायेगा ।

(ड़) द्धितीय या उसके बाद के पुनरीक्षण प्रसताव के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त अद्यतन अनुमोदित लागत से 5 प्रतिशत की वृद्धि की समीक्षा (Appraisal) योजना एवं विकास विभाग द्वारा तथा अनुमोदन विभागीय मंत्री द्वारा किय जायेगा ।

(च) द्वितीय या उसके बाद के पुनरीक्षण प्रस्ताव के मामलों में उक्त तीन कारणों के कारण लागत में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारणों के कारण अद्यतन अनुमोदित लागत से 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की समीक्षा (Appraisal) प्राधिकृत समिति द्वारा तथा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जायेगा।

नोट:- वैधानिक लेवी/करों में प्रोजेक्ट ऑथोरिटिज द्वारा भुगतेय केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लगाये गये कर, आयात एवं निर्यात शुल्क शामिल है, लेकिन जल, विघुत शुल्क तथा पी.ओ.एल. की दरों में वृद्धि शामिल नहीं है ।

(xii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, केन्द्र चालित योजना एवं वाह्य सम्पोषित योजना प्रक्षेत्र में चालू तथा नई योजनायें:-

केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू योजनाओं जिनके योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध हो, ऐसी योजनाओं के लिये अलग से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी ।प्रशासी विभाग योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपात राशि विमुक्त करने के लिये सक्षम होगा । लेकिन, इन प्रक्षेत्रों में नई योजनाओं के लिये तभी बिचार होगा जब उनसे उत्पन्न राज्य सरकार के वित्तीय भार के संबंध में वित्त विभाग की सहमति एवं योजना की ग्राह्यता के संबंध में सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो ।

(xiii) चालू योजना क्षेत्र की चालू योजना:-

राज्य योजना क्षेत्र की चालू योजनाओं के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । इसके लिए योजना की स्वीकृत लागत के अन्तर्गत

ही संबंधित वर्ष के लिए योजना उद्व्यय तथा बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने के लिये प्रशासी विभाग सक्षम होगा । लेकिन ऐसी योजनायें जिनमें अवधि विस्तार की आवश्यकता होती है वे एक तरह से प्रति वर्ष नई योजना की तरह ही मानी जायेगी ।यदि उनमें पदों का अवधि विस्तार है तो योजनाओं की समीक्षा प्राधिकृत समिति तथा अनुमोदन मंत्रिपरिषद् द्वारा ही किया जायेगा ।

(xiv) राज्यादेश:-

उपर्युक्त प्रसंग **(iv)** के द्वारा निर्धारित व्यवस्था ही रहेगी ।प्रशासी विभाग आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर संलेख आवश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होगा । इसी तरह योजना से संबंधित राज्यादेश भी आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जायेगा ।

(xv) राज्यादेशों का संसूचन:-

बिहार वित्तीय नियमावली के निमय-67 के अनुसार विभाग प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के अन्तर्गत राज्यादेशों की महालेखाकार को सीधे संसूचित कर सकते हैं ।तदनुसार विभाग प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत राज्यादेशों का संसूचन महालेखाकार की सीधे कर सकता है । लेकिन योजना मद में भी उपर्युक्त प्रसंग **(vii)** के अनुसार जिन मदों में राशि की कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है, विभागों द्वारा उनसे संबंधित सभी राज्यादेशों का संसूचन वित्त विभाग के माधयम से ही किया जायेगा।

11. उपर्युक्त कंडिका 9 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पूर्व में निर्गत संबंधित संकल्प इस हद तक संशोधित माने जायेगें । वर्तमान में चल रही विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी और व्यवस्था को सृदृढ़ करने के लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी । इस आदेश में निहित वित्तीय आदेश के प्रत्यायोजन का प्रयोग वही किया जायेगा जहॉ आवश्यक/ अपेक्षित निधियॉ परियोजना स्कीम अनुक्रमण के अनुसार वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना परिव्यय में उपलब्ध हों । शक्तियों की सामान्य मितव्ययिता हिदायतों आदि जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जानेवाली प्रक्रियात्मक तथा अन्य अनुदेशों द्वारा शासित किया जाना जारी रहेगा ।

12. इस संबंध में बिहार कार्यपालक नियमावली,2005 के नियम 32 तथा द्वितीय अनुसूची की मद संख्या-29 को संशोधित करने का अनुरोध मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से किया जा रहा है ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र मं प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक: एम4-45/94-पार्ट-1 5685 वि0, पटना दिनांक 8.10.05

प्रतिलिपि: मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना को संकल्प के अनुसार कार्यपालक नियमावली में संशोधन करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित ।

ह0/-

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक: एम4-45/94-पार्ट-1 5685 वि0, पटना दिनांक 8.10.05

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक: एम4-45/94-पार्ट-1 5685 वि0, पटना दिनांक 8.10.05

प्रतिलिपि: वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/ कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक: एम04-45/747यो0प्रा0,यो0वि0,पटना दिनांक 29 नवम्बर,05

प्रतिलिपि: योजना एवं विकास विभाग के सभी पदाधिकारियों/ निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन एवं सचिव बिहार राज्य योजना पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रमोद कुमार वर्मा)

योजना पदाधिकारी ।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः   यो04 / विविध– 47 / 07–   / यो0वि0,पटना, दिनांकः   अप्रैल, 2007

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव / सचिव,
योजना से संबंधित सभी विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय– **वार्षिक योजना 2007–08 में योजनाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था।**

महाशय,

उपर्यक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये योजना उदव्यय् का संसूचन विभागीय पत्रांक–743 दिनांक 14.03.2007 से की गई है । इस संदर्भ में योजनाओं के अनुश्रवण हेतु निम्न व्यवस्था निरूपित की जाती है :–

1. संबंधित विभागों के आयुक्त एवं सचिव / सचिव से अनुरोध है कि वे उप सचिव स्तर के अन्यून पदाधिकारी को योजनाओं के अनुश्रवण के लिए नोडल पदाधिकारी नामित करें एवं उक्त पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की कृपा करेगें जो उनके बदले प्रतिवेदनों को हस्ताक्षरित करेगें एवं योजना व्यय के संबंध में बैठकों में भाग लेगें । इन पदाधिकारियों का नाम, पद नाम एवं दूरभाष संख्या योजना एवं विकास विभाग को अतिशीघ्र संसूचित करने की कृपा की जाय ।

2. योजना एवं विकास विभाग इस पत्र के अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित पदाधिकारियों को संबंधित प्रशासी विभागों के लिए नोडल पदाधिकारी के रुप में नामित किया है । ये पदाधिकारी उस विभाग के संबंधित योजना व्यय, उद्व्यय, प्राधिकृत समिति की बैठक, विभागीय स्वीकृति समितियों यथा स्थायी वित्त समिति एवं व्यय वित्त समिति के निमित्त एकल संपर्क पदाधिकारी होगें।

योजनाओं के अनुश्रवण हेतु एक प्रपत्र निर्धारित कर सलंग्न करते हुए अनुरोध है कि इस प्रपत्र में मई 2007 माह से प्रत्येक माह के दस तारीख तक पूर्ववर्त्ती माह की निर्दीष्ट सूचनायें भरकर प्रतिवेदन योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाय । **किसी अन्य प्रपत्र में प्रतिवेदन ग्राह्य नहीं होगा** । वित्तीय वर्ष 2007–08 का प्रथम प्रतिवेदन 10 मई 2007 तक भेजा जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(रामेश्वर सिंह)
सचिव ।

अनुलग्नक-'क'

योजना एवं विकास विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारियों की सूची

नोडल पदाधिकारी	आवंटित विभाग	नोडल पदा0 के अनुपस्थिति में वैकल्पित नोडल पदा0
1. डा0 राम नयन, **निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,** दूरभाष संख्या:- 2217977	स्वास्थ्य/मानव संसाधन विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/कृषि विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्राम्य कार्य/ पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग ।	**श्री कमलेश्वर गिरि**, उप सचिव दूरभाष संख्या:- 2217977
2. **श्री कमलेश्वर गिरि**, उप सचिव दूरभाष संख्या:- 2217977	भवन/ राजस्व एवं भूमि सुधार/ अल्पसंख्यक कल्याण/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ परिवहन विभाग/ वन एवं पर्यावरण विभाग।	**डा0 राम नयन,** **निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,** दूरभाष संख्या:- 2217977
3.**श्री अखिलेश कुमार सिन्हा**, उप निदेशक-सह यो0पदा0 दूरभाष संख्या:- 2217977	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ उद्योग/ विज्ञान एवं प्रावौद्यिकी/ कला,संस्कृति एवं युवा विभाग/ सूचना एवं जनसंपर्क/ वाणिज्य कर/ सहकारिता/ उत्पाद एवं निबंधन विभाग	**श्री प्रमोद कुमार वर्मा**, उप निदेशक-सह यो0 पदा0, दूरभाष संख्या:- 2217977
4. **श्री प्रमोद कुमार वर्मा**, उप निदेशक-सह यो0पदा0 दूरभाष संख्या:- 2217977	वित्त विभाग/विधि विभाग/गन्ना विकास विभाग/पर्यटन विभाग/गृह विभाग/पथ निर्माण विभाग	**डा0 अरविन्द कुमार,** उप निदेशक-सह-यो0पदा0 दूरभाष संख्या:- 2217977
5. **डा0 अरविन्द कुमार,** उप निदेशक-सह-यो0पदा0 दूरभाष संख्या:- 2217977	खाद्य एवं आपूर्ति/ उर्जा विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग/ पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग	**श्री प्रमोद कुमार वर्मा**, उप निदेशक-सह यो0पदा0 दूरभाष संख्या:- 2217977

अध्याय – 4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान

राज्य योजना की योजनाओं के स्वीकृति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या –784 दिनांक 31. 12.2005 के द्वारा व्यवस्था निरूपित की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

का0आ0संख्या-यो0प्रा04/2-6/05-784यो0प्रा0यो0वि0, पटना, दिनांक 31.12.2005

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5685 दिनांक 08.10.2005 द्वारा प्रशासी विभाग के अंतर्गत विभागीय वित्त समिति एवं विभागीय व्यय वित्त समिति का गठन किया गया है । इससे संबंधित कार्य के निषपादन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था योजना एवं विकास विभाग के स्तर पर निरूपित की जाती है:-

1. व्यय वित्त समिति एवं स्थायी वित्त समिति दोनों से संबंधित मामलों में नॉडल पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार वर्मा, योजना पदाधिकारी होगें ।बैठक से संबंधित सभी सूचनाएँ उन्हें आयुक्त एवं सचिव के कोषांग, अन्य पदाधिकारी गण द्वारा पृष्ठांकित की जाएगी ।

(क) संलेख नही मिलने की अवस्था में उप सचिव के माध्यम से संलेखों के बिना बैठक में भाग लेने के संबंध में विभागीय असमर्थता संसूचित करेगें ।

(ख) कम्प्यूटर/रजिस्ट्र पर योजनावार की विवरणी अंकित कराएगें एवं संचिका में प्रतिनिधि पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगें (अलग-अलग विभागों के लिए खोली गयी अलग-अलग संचिका में) ।

(ग) संबंधित पदाधिकारी बैठक में भाग लेने के उपरान्त संचिका में अपना मंतव्य अंकित करेगें । नॉडल पदाधिकारी भी इसे कम्प्यूटर/रजिस्ट्र में अंकित कराएगें ।

1. बैठक की कार्रवाही प्राप्त होने पर उसका मिलान नॉडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं उसमें विसंगति होने की स्थिति में प्रतिनिधि पदाधिकारी के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव को अवगत कराया जाय ।
2. संलेख की जॉच प्रतिनिधि पदाधिकारी द्वारा की जाएगी । जॉच पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक बैठक की सूचना आयुक्त एवं सचिव की दैनिक सारणी में अंकित किया जाएगा ।किस प्रतिनिधि द्वारा बैठक में भाग लिया गया इसे प्रतिदिन दैनिक सारणी में अंकित किया जाएगा । यह कार्रवाई आयुक्त एवं सचिव के सेल, द्वारा किया जाएगा ।
4. प्रतिनिधि पदाधिकारीयों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया है, उसकी पूर्ण सूचना यथा स्वीकृत/अस्वीकृत/आंशिक स्वीकृत नॉडल पदाधिकारी देगें ।

5. दिनांक 29.12.2005 तक, अर्थात यह आदेश जारी करने के पूर्व किसी पदाधिकारी द्वारा किसी समिति में भाग लिया गया है तो कृपया पूर्ण सूचना दिनांक 01.01.2006 के पहले नॉडल पदाधिकारी को दे ।

ह0/-

(एन0 एस0 माधवन)

आयुक्त एवं सचिव ।

का0आ0संख्या-यो0प्रा04/2-6/05-784यो0प्रा0यो0वि0, पटना, दिनांक 31.12.2005

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी /सभी संबंधित वरीय सांख्यिकी सहायक /सहायको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(उदय नारायण ठाकुर)

सरकार के उप सचिव ।

योजना एवं विकास विभाग,

अध्याय–5

विभाग द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित या कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निदेशिका और अभिलेख

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

विषय : मुख्यमंत्री जिला विकास योजना अंतर्गत जिला येाजना सूत्रण हेतु मार्गदर्शन

1– राज्य में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत पिछड़े जिले के पहल के तहत राज्य के 21 जिलों में जिला येाजना का सूत्रण कर कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिसका मुख्य उद्येश्य केन्द्र व राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रमों और नीतियों को व्यवस्थित करना है। इससे विकास के अवरोध दूर होंगे, विकास की प्रक्रिया में तेजी आयेगी तथा लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा । राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के 21 जिलों के अतिरिक्त शेष 17 जिलों में भी विकास की आवश्यकता है। अत: मुख्यमंत्री जिला विकास येाजना के तहत इन जिलों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जिला येाजना का सूत्रण किया जाना है तथा इसके अन्तर्गत 2005–06 तथा 2006–07 में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिला को 15 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

2– येाजना का मुख्य उद्येश्य निम्न कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्या को हल करना है तथा भौतिक एवं सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटना है। तद्नुसार जिला पदाधिकारी से अपेक्षा की जायगी कि वे वार्षिक कार्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए दसवीं पंचवर्षीय येाजना काल के शेष दो वर्षीय समेकित विकास येाजना तैयार करें। यह येाजना एस.डब्ल्यू.ओ.टी.(स्वॉट)(क्षमताओं, कमजोरियों, अवसरों और घमकियों के विश्लेषण, चालू स्कीमों की समीक्षा और कुछ सामाजिक विकास के क्षेत्रकों की पहचान पर आधारित होगी जिनमें **राज्य के हस्तक्षेप से विकास की प्रमुख बाधाओं को दूर करने में उस जिले को सहायता मिलेगी। यह अतिरिक्त सहायता इन क्षेत्रकों में स्कीम के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाई जायगी जिससे कि समयबद्ध तरीके से उस जिले की गरीबी कम होगी तथा जीवन स्तर उॅचा होगा ।**

3– प्रत्येक जिले को प्रति वर्ष 15 करोड़ रूपये अर्थात प्रति जिले के लिए 30 करोड़ रूपये मुहैया कराया जायेगा। जिलों को निधि येाजनाओं के संतोषजनक प्रगति के आधार पर विमुक्त की जायगी ।

4- जिला योजनाओं का सूत्रण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायगा तथा उसे जिला स्तर पर गठित समिति से अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 7.5 करोड़ रूपये की विमुक्ति की जायगी। दूसरी किस्त की विमुक्ति उपलब्ध राशि के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायगा।

5- इस योजना का मुख्य उद्येश्य यह होगा कि सामाजिक विकास से संबंधित प्रक्षेत्रों की पहचान कर उन प्रक्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकार से दूसरे श्रोत केन्द्र/राज्य सरकार से दूसरे श्रोतों से प्राप्त होनेवाली निधि के अतिरिक्त जो क्रिटीकल गैप बच जाता है उसे भरने के लिए निधि का उपयोग किया जायगा ।

6- इस निधि का उपयोग बैंकों से ऋण प्राप्त कर रोजगारोन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सबसीडी के रूप में किया जा सकता है, परन्तु यह सबसीडी 25 प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। इस निधि का उपयोग प्रशासनिक भवनों के निर्माण अथवा नवीकरण, स्थापना पर नहीं किये जायेंगे। इसके तहत कोइ नया पद सृजित नहीं किया जायगा ।आवर्त्ती व्यय का वहन इस राशि से नहीं किया जा सकेगा ।

7- इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य से संबंधित ली जानेवाली योजनाओं को एक वर्ष में पूरा किया जायगा । विशेष परिस्थिति में अधिक से अधिक छः माह की अतिरिक्त अवधि और दी जायगी । योजनाऐं निश्चित रूप से इसके अवधिकाल में पूरी की जायेगी । सामान्यतया लागन के पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं रहेगा ।

8- इस निधि का उपयोग कर इस प्रकार की योजनाएँ भी तैयार की जानी चाहिए, जिससे परिसम्पतियों का सृजन हो और उस परिसम्पतियों का संधारण लाभान्वित समिति अथवा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि इस योजना का लाभ समाज के सबसे गरीब, कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले और स्थानीय स्तर पर अधिक समृद्धि हो । समिति लाभान्वितों से परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए उचित यूजर चार्ज ले सकेगी ।

9- **जिला योजना सूत्रण**

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 योजना काल के लिए जिला योजना का सूत्रण किया जायगा ।

10- **जिला योजना सूत्रण हेतु मेथेडोलोजी**

प्रत्येक जिला योजना में जिले की विशिष्ट समस्याओं और सुझाई गई कार्यनीति पर प्रकाश डालते हुए एक कार्यकारी सारांश निहित होना चाहिए। प्रत्येक योजना दस्तावेज में निम्नलिखित अध्याय होने चाहिए -

क) पृष्ठभूमि
ख) जिला प्रोफाइल
ग) संसाधन सूची
घ) एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण और गंभीर अंतरालों की सूची
च) उद्येश्यों का सारांश/पाँच वर्षो के पश्चात उपलब्ध होने वाले लाभ
छ) तिमाही वार समय एवं लागत अनुसूचियों सहित स्कीमों के ब्योरे
ज) वेंचमार्क सर्वेक्षण / मोनेटरिंग और समवर्त्ती मूल्यांकन
झ) संलग्नक

11- **पृष्टभूमि**

इस अध्याय में निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

1- विशेष रूप से राजधानी शहर और अन्य बड़े उपभोग केन्द्रों तक पहुंच के अर्थ में अवस्थिति ।
2- पिछड़े जिले पहल के संचालन और कार्यान्वयन के लिए ढांचे के विशेष संदर्भ सहित प्रशासनिक ढांचा ।
3- राज्य और राष्ट्रीय औसतों के साथ तुलना किए गए जनसंख्या/घनत्व और सामाजिक आर्थिक संकेतकों संबंधी बुनियादी डाटा।

12- **संसाधन सूची**

1- प्राकृतिक संसाधन अर्थात् वन, खनिज, नदियाँ और झरने आदि ।
2- मानव संसाधन अर्थात् कार्यशील आयुवर्ग में जनसंख्या, बेरोजगारी का स्तर, उपलब्ध कौशल ।
3- आधारिक संरचना अर्थात् सड़कें, रेलवे, दूर-संचार, सिंचाई, ऋण सुविधाएं, अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल और कॉलेज आदि।
4- व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान, आई.सी.ए.आर. संस्थान, पौलिटैक्निक/आई.टी.आईज, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आदि सहित संस्थान ।

5- प्रभावी गैर-सरकारी संगठन, स्व-सहायता समूह आदि ।

6- जिले की विशेष आर्थिक कार्य-कलाप ।

13- सामर्थ्य कमजोरियां, अवसरों और धमकियाँ(एस.डब्ल्यु.ओ.टी.) विश्लेषण और महत्वपूर्ण अन्तरालों की पहचान

1- सामर्थ्य और कमजोरियों पर प्रकाश डालना तथा धमकियों पर काबू पाते हुए सामर्थ्य बढ़ाना ।

2- विकास में बाधा डालने वाले प्रशासनिक संरचनाओं/नियमों/कानूनों पर प्रकाश डालना।

3- क्षेत्रों की पहचान (स्थानिक) जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

4- उन समुदायों/समूहों की पहचान करना जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

5- तीन-चार अग्रणी क्षेत्रकों की पहचान करना ।

6- इन क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण अन्तरालों की पहचान करना ।

टिप्पणी : जिला योजना को निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या स्कीम को जिले के भीतर अधिक गरीब पाकेटों में ही केन्द्रित करना चाहिए अथवा यह जिलें के सभी भागों में लागू होनी चाहिए । इसी प्रकार एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या कतिपय समूहों/समुदाय विशेष ध्यान दिए जाने के पात्र है अथवा नहीं ।

14- विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए निधि वितरण का मानदण्ड

1- इस निधि को विभागीय निधि का विकल्प नहीं माना जाय। इसका उपयोग ऐसी परियेाजनाओं के लिये नहीं किया जाय जिसके लिए प्रशासी विभाग से सामान्य तौर पर निधि उपलब्ध करायी जाती है। यह निधि योजना का अंग है अतएव इसका उपयोग नई परिसम्पतियों के सृजन पर करना वांछनीय होगा ।

2- ग्रामीण पथों का महत्व निर्विवाद है। स्वभावित है कि ग्राामीण पथों के लिए अधिकाधिक राशि की मांग की जाय। सृजित परिसम्पतियों के संधारण की समस्या, उपलब्ध प्रशासनिक/तकनीकी क्षमता के उपयोग की आवश्यकता एवं जिलों के संतुलित विकास की दृष्टि से विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि इस निधि से अधिक-से-अधिक 20 प्रतिशत राशि ही ग्रामीण पथों के लिए कर्णाकित की जाय।

3- उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये ऐसी परियेाजनायें, जिनके द्वारा उपलब्ध सिंचाई क्षमता के सदुपयोग एवं निस्सरण में सहायक हों तथा जिनके चलते उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना हो, वैसी सिंचाई/निस्सरण की योजनाओं को भी प्राथमिता दी जाय, चूँकि

ऐसी परियोजनाओं से न केवल उत्पादन में वृद्धि बल्कि नियोजन के अवसर के विस्तार में भी मद मिलेगी। अतएव सिंचाई, निस्सरण की परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत राशि इस निधि से कर्णाकित की जाय ।

4- ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना के लाभ हेतु शहरी क्षेत्र में आते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्येश्य ग्रामीण क्षेत्र के वैसे गाँव जिनकी जनसंख्या 5000 अथवा उससे ज्यादा है, उन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना की एक श्रृखला तैयार की जाय जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या की अपने क्षेत्र में हीं उक्त संरचना का लाभ मिल सके तथा चयनित गाँव शहरी सुविधा युक्त हो।

अतएव इस निधि का उपयोग उन चिन्हित गाँवों में 10-15 शैय्या युक्त अस्पताल, उच्च विद्यालय भवन, प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय, पार्क, खेल-कूद मैदान, विद्यालयों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि सुविधाओं के विकास के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं इसके लिए उपलब्ध राशि का न्यूनतम 40 प्रतिशत राशि इन परियेाजनाओं पर व्यय किया जा सकता है।

5- ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में अपेक्षित सुधार/वृद्धि में मतस्य पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है । अतएव मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु इस राशि का 10 प्रतिशत इन परियोजनाओं पर व्यय किया जा सकता है ।

6- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के मामले में कुल परिव्यय का 7.5 प्रतिशत सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं जैसे पुलिस बलों/अर्द्ध सैनिक संगठनों को सम्बद्धता उपलब्ध कराने के लिए पुलों/सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि उपयुक्त/संभाव्य पाया जाए तो स्कीमों के कार्यान्वयन में पुलिस /अर्द्ध सैनिक संगठनों को भी स्कीमों के कार्यान्वयन में शामिल किया जाए।

7- शेष 12.5 प्रतिशत राशि को आय में वृद्धि करने वाले प्रक्षेत्र यथा पशुपालन, गव्य विकास तथा पर्यटन आदि की योजनाओं पर व्यय किया जाय ।

उपर्युक्त प्रतिशत के अन्तर्गत योजनाओं का सूत्रण बंछनीय होगा परन्तु यदि स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत प्रक्षेत्रीय प्रतिशत बंधेज में आंशिक परिवर्त्तन होता है तो ठास कारणों के आधार पर मान्य किया जा सकता है।

15- **परियोजनाओं के चयन की परिसीमाएं**

(क) **ग्रामीण पथ -**

1- जिला योजना के लिये उपलब्ध इस निधि से वैसी पथ परियोजनायें ली जाय जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सिद्धान्तों के अनुकूल हो

तथा वैसे गॉव के लिए पथ सम्पर्क योजना ली जाय जो अभीतक किसी प्रकार के पथ से जुड़े नहीं है।

(ख) **विद्यालय भवन**

1- विद्यलय भवन के निर्माण के सिलसिले में सर्वाधिक उच्च प्राथमिता पूर्व स्वीकृत विद्यालय भवनों को दी जाय, अर्थात जिन विद्यालयों की स्वीकृति राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा सबसे पहले दी गयी हो, उन्हें निर्माण कार्यो में प्राथमिकता दी जाय। विद्यालय भवन के निर्माण में मापदंड के सिलसिले में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी स्पेशीफिकेशन को अपनाया जाय ।

विद्यालय भवन के निर्माण में जन-सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी परियोजनाऐं जिनके लिए दानस्वरूप निधि एवं जमीन उपलब्ध हो उन्हें प्राथमिकता दी जाय।

(ग) **जन-स्वास्थ्य**

1- जिला योजना के अन्तर्गत वैसे स्वास्थ्य केन्द्रों या उप-केन्द्रों का निर्माण कराया जाय, जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत हो। भवन निर्माण के सिलसिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर जिले के सभी प्रखंडों को श्रेणीबद्ध कर लिया जाय ताकि वैसे प्रखंड जहॉ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाऐं सबसे कम उपलब्ध हो, उन्हें प्राथमिकता दी जा सके ।

इसके अतिरिक्त योजनओं के चयन में निम्नंकित सामान्य सिद्धान्तों का भी अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय -

(क) यह निधि किसी भी प्रकार के स्थापना पर यथा पद सृजन पर व्यय नहीं की जा सकती है।

(ख) इस निधि का उपयोग गाड़ियों के क्रय तथा उनके संधारण पर नहीं किया जायेगा ।

(ग) इस निधि का उपयोग किसी ऐसे आवर्त्तक व्यय के रूप में नहीं किया जायेगा जो किसी दूसरी योजना का दायित्व है।

(घ) इसका उपयोग रख-रखाव पर भी नहीं किया जायेगा ।

(च) इस निधि का उपयोग किसी वर्ग विशेष यथा सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए भी वर्जित माना जायेगा ।

16- **योजनाओं के चयन हेतु समिति का संगठन का स्वरूप**

(क) इस कार्यक्रम के तहत शहरी सुविधायुक्त गॉवों के चयन/ योजनाओं के चयन हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित होगी। जिसका स्वरूप निम्नप्रकार होगा –

1–	जिला पदाधिकारी	––	अध्यक्ष
2–	आरक्षी अधीक्षक	––	सदस्य(वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए)
3–	अध्यक्ष, जिला परिषद	––	सदस्य
4–	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	––	सदस्य
5–	कार्यपालक अभियन्ता भवन	––	सदस्य
6–	कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण/आर.ई.ओ.	––	सदस्य
7–	कार्यपालक अभियन्ता लघु सिंचाई	––	सदस्य
8–	जिला कल्याण पदाधिकारी	––	सदस्य
9–	जिला शिक्षा पदाधिकारी	––	सदस्य
10–	नाबार्ड के प्रतिनिधि	––	सदस्य
11–	जिला लीड बैंक के प्रतिनिधि	––	सदस्य
12–	जिला में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि जिसका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेगें	––	सदस्य
13–	जिला योजना पदाधिकारी	––	सदस्य सचिव

(ख) राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति होगी जिसमें विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त, एवं योजना विभाग के आयुक्त एवं सचिव /सचिव के अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव /सचिव, आर0ई0ओ0 एवं पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं भवन निर्माण विभाग इसके सदस्य होगें । संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के साथ नाबार्ड के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होगें ।

यह समिति विस्तृत योजना तैयार करायेगी । यह विभागों तथा एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने सहित परियोजनओं के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी ।

17– **जिला योजना के कार्यान्वयन के लिये एजेन्सियों का चयन**

1– जिला योजना के लिए यह निधि विकास कार्यक्रमों के लिये, पूरक स्वरूप दी जा रही है। अतएव विभिन्न प्रक्षेत्रों के प्रशासी विभागों का दायित्व है कि इस निधि में उपलब्ध निधि के सदुपयोग के कारगर व्यवस्था करें। चूँकि इस निधि के उपयोग के लिए

समन्वय का दायित्व जिला पदाधिकारी को सौंपा गया है अतएव जिला पदाधिकारी से आग्रह है कि जिलों में उपलब्ध प्रशासनिक / तकनीकी क्षमता का उपयोग इस निधि से ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में करें। पथ निर्माण विभाग के योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण अभियंत्रण संगठन द्वारा कराया जाय। स्कूल भवन या स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा कराया जाय। इसी प्रकार लघु सिंचाई या सिंचाई योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सम्बंधित विभागों के अभियंताओं को सौपा जाय। चूँकि इस निधि की राशि विकास योजनाओं के पूरक स्वरूप दी जा रही हैं । अतएव इसके लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी का गठन का प्रश्न नहीं उठता है।

18- **परियोजनाओं की स्वीकृति**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शन पत्रांक 1662 दिनांक 25.02.1997 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जायगा । इसकी सक्षमता के उपर की योजनाओं की स्वीकृति जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के माध्यम से सरकार से प्राप्त करेंगे ।

19- **परियोजनाओं का कार्यान्वयन**

इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जायगा ताकि योजना कार्य की गुणवत्ता बरकरार रहे एवं इसमें विचौलियों के प्रवेश को रोका जा सके। किसी भी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी को इस कार्यक्रम के तहत विभागीय अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाना निषिद्ध है।

20- **परियोजनाओं का संधारण**

1- इस योजना के तहत कार्यान्वित स्कीमों के पूर्ण होने के बाद उनके संधारण का दायित्व संबंधित प्रशासी विभागों का होगा। जिला पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि पूर्ण की गयी योाजनाओं के संबंध में पूर्ण सूचना सम्बन्धित प्रशासी विभागों को उपलब्ध करावें, जिससे प्रशासी विभाग द्वारा समुचित संधारण हेतु व्यवस्था की जा सके ।

21- **अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा का उपाय**

1- सरकार का निर्णय है f कइस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.45 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों को लाभ पहुँचाने वाली येाजनाओं पर किया जाय। अत: जिला योजना परियोजनाओं के सूत्रण के समय जिले को आवंटित धन राशि की तदनुकूल निर्धारित एक न्यूनतम राशि का उपयोग अनुसूचित जाति के लाभों की परियोजनाओं पर सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित उद्व्यय से ली गयी इस प्रकार की स्कीमों का व्योरा योजना एवं विकास तथा कल्याण विभाग को भी संसूचित किया जाना चाहिये ।

22- **बेंचमार्क सर्वेक्षण / मॉनीटरिंग**

1- किसी राज्य स्तरीय मायन्ता प्राप्त संस्थान को इस कार्य हेतु पहचान की जानी चाहिए और कार्यक्रम की मानीटरिंग व मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क सर्वेक्षणों

हेतु वार्षिक आधार पर 4 से 5 लाख रू0 की राशि आवंटित की जानी चाहिए। प्रथम चरण में वर्तमान सुविधाओं/संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में किए जाने वाले मूल्यांकनों हेतु बेंचमार्क उपलब्ध होगा। एक एम.आई.एस. तैयार की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक तिमाही में स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इंगित की जाएगी। तिमाही के आधार पर प्रत्येक परियोजना हेतु संगत आउटपुट सूचकों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे उसके आधार पर प्रगति को मानीटर किया जा सके। कड़ी मॉनीटरिंग अनुसूची कार्यान्वयन प्रक्रिया का ही हिस्सा होनी चाहिए। स्कीमों की मानीअरिंग राज्य स्तरीय संचालन समिति/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जानी चाहिए और अधिकार प्राप्त समिति व उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

2- प्रत्येक जिले के लिए एक वेबसाइट तैयार किया जाना है जो जिले की पृष्टभूमि सूचना, जिला येाजना, बेंचमार्क सर्वेक्षण के परिणाम और तेयार की गई एम.आई.एस. की जानकारी होगी जिसे विकसित किया गया है। स्कीमों की प्रगति की दर्शाने के लिए इसे साप्ताहिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए ।

(3) प्रत्येक जिला को परियोजना शुरू करने के पहले तथा योजनाओं को पूरा होने के पश्चात स्थिति को दर्शाने तथा संबंधित जिला के अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने में इस कार्यक्रम के प्रभाव का मुल्यांकन करने के लिए संगत दृश्य रिकार्डिग (फोटो/विडियोग्राफी) कराना भी आवश्यक होगा ।

पी012053/14/2003-एम0एल0पी0- / दिनांक 09.02.2004

योजना आयोग

(बहुस्तरीय योजना प्रभाग)

विषय: पिछड़े जिले पहल -राष्ट्रीय सम विकास योजना -स्कीम और जिला योजना की तैयारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ।

1. **स्कीम**

1.1 राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत पिछड़े जिले पहल शुरु की गयी है जिसका मुख्य उदेश्य केन्द्र व राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रमों और नीतियों को व्यवस्थित करना है जिससे विकास के अवरोध दूर होंगे, विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा लोगों की जीवन शैली में सुधर होगा । इस स्कीम का उदेश्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए सकेंद्रित विकास कार्यक्रम है जिससे असंतुलन कम करने और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी ।

1.2 यह घटक 100 जिलों को कवर करेगा । किसी राज्य में पिछड़े जिलों की पहचान पिछड़ापन सूचकांक के आधार पर की गई है जिसके समान महत्व के तीन पैरामीटर्स है; वे हैं :- (i) प्रति कृषि कामगार के उत्पादन का मूल्य; (ii) कृषि मजदूरी पद; और (iii) उस जिले की अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत । प्रत्येक राज्य में जिलों की संख्या का आंकलन निर्धनता के प्रसार के आधार पर किया गया है (जिलों की सूची संलग्नक-1 पर है)। इसके अलावा, पिछड़े जिलों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 16 जिलों को वार्षिक योजना 2003-04 में कवर किया जा रहा है ।

1.3 स्कीम का मुख्य उदेश्य निम्न कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्याओं को हल करना है तथा भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटना है । तदनुसार, जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे वार्षिक कार्य योजनाओं के ताने -बाने के साथ- साथ तीन वर्षीय मास्टर प्लान तैयार करें । यह योजना एसडब्ल्यूओटी (स्वॉट) (क्षमताओं, कमजोरियों,

अवसरों और धमकियों) के विश्लेषण, चालू स्कीमों की समीक्षा और कुछ अग्रणी क्षेत्रकों की पहचान पर आधारित होगी जिनमें राज्य के हस्तक्षेप से विकास की प्रमुख बाधाओं को दूर करने में उस जिले को सहायता मिलेगी ।यह अतिरिक्त सहायता इन अग्रणी क्षेत्रकों में स्कीमों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाई जाएगी जिससे कि समयबद्ध तरीके से उस जिले की गरीबी कम होगी।

2. निधियां जारी किया जाना

2.1 प्रत्येक जिले को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 15.00 करोड़ रूपये अर्थात् प्रति जिले के लिए कुल 450.00 करोड़ रूपये मुहैया कराए जाएंगे।राज्यों को निधियां सुविधाजनक किस्तों में 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर जारी की जाएगी जोकि स्कीमों की संतोषजनक प्रगति पर निर्भर करेगा ।

2.2 राज्य सरकार उक्त निधियां प्राप्त करने के पन्द्रह दिनों के भीतर ही इस उदेश्य से बनाए गए एक अलग शीर्ष ''जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी'' के तहत निधियां जारी करेगी ।ऐसां नही करने पर बाद की किस्तें जब्त कर ली जाएंगी तथा इससे पूर्व जारी निधियों को ऋण मान लिया जाएगा ।

2. डिलीवरी मेकेनिज्म

3.1 उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में भारत सरकार के स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति हैं, जिसमें वित्त मंत्री, योजना राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार और सचिव, योजना आयोग इसके सदस्य हैं। यह समिति राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) की पहलों से संबंधित नीतियों का अनुमोदन करेगी, राज्य सरकारों के लिए सुधार एजेन्डा निर्धारित करेगी तथा समय- समय पर आरएसवीवाई कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगी।

3.2 सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में भारत सरकार के स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति है जो जिला योजनओं को अनुमोदित करेगी, उनकी तथा इस कार्यक्रम की मानींटरिंग तथा समीक्षा करेगी, मूल्यांकन और मध्यावधि मूल्यांकन

करवाएगी तथा आरएसवीवाई के परिचालन से संबंधित सभी मामलों की देख-भाल करेगी ।

3.3 प्रप्येक राज्य सरकार को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करनी है, जियमें लगभग पांच अन्य सदस्य होंग। वित्त विभाग और योजना विभाग के सचिव, उस जिले (उपायुक्तअथवा जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी) के मुख्य कार्यपालकम अधिकारी, नाबार्ड और गैर सरकारी संगठनों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हो सकते हैं ।वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की स्थिति में इस समिति को चाहिए कि वह राज्य के गृह सचिव को भी शामील करे । यह समिति विस्तृत जिला योजनाएं तैयार करवाएगी तथा और एजेन्सियों के बीच समन्वयस्थापित करने एवं सहक्रिया सुनिश्चित करने सहित उन स्कीमों की मानीटरिंग करने के लिण भी उत्तरदायी होगी ।

4. जिला योजनाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

4.1 इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिककार्य योजनाओं के ताने-बाने के साथ-साथ प्रत्येक जिले के लिए एक तीन वर्षीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ।

4.2 जिन मुख्य सिद्धान्तों पर विचार किया जाना है, वे है:-

4.2.1 राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय स्कीमों, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, आदि से निधियों के प्रवाह सहित, अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए विशिष्ट स्कीमों के बारे में सूचित किया जाएगा । उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के स्तर के बारे में संतुष्ट होने पर राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत केवल स्कीमों के विस्तृत कवरेज के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में जिसके लिए राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय स्कीमों सहित अन्य दूसरे स्रोतों से निधी उपलब्ध है, के लिए निधियोँ आवंटित करने में सावधानियां बरती जानी चाहिए ।

4.2.2 आरएसवीवाई निधियों के लाभ को अंतर क्षेत्री संपर्को के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए । आरएसवीवाई निधियों का प्रयोग बैंकिंक क्षेत्रक और लाभकारी योगदान के परस्पर संबंधों के द्वारा बृहत योजना आकार को लीवरेज करने के लिए भी किया जाना चाहिए ।

4.2.3 सभी स्कीमों के लागत प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया जान चाहिए ताकि इस स्कीम के अंतर्गत निवेशित निधियों के प्रतिलाभ को बढ़ाया जा सके। दूसरे शब्दों में, किसी कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट स्कीमों के बीच परस्पर

प्राथमिकताओं का निर्धारण केवल गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए । स्कीमों के और उनके स्थनों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए ।स्कीमों की प्राथमिकता सूची और सकीमों को शुरु करने के कारण तथा स्थानों के चयन के मापदण्डों को वेबसाइठ पर भी अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

4.2.4 योजना निरुपण, कार्यान्वयन और मानीटरिंग जैसे प्रत्येक स्तर पर लोगों की भागीदारी और पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं स्व- सहायता समूहों की संलग्नता सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

4.2.5 पंचायती राज संस्थाओं और स्व-सहायता समूहों को भी जागरुकता और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि में शामिल किया जाए तथा ऐसी स्कीमों के लिए लगभग दो प्रतिशत निधियों का उपयोग किया जाए ।

4.2.6 विशेष रुप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में रोजगार संबंधित स्कीमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । फिर भी, स्व-रोजगारवाली स्कीमों सब्सिडी के बदले क्रेडिट पर आधारित होनी चाहिए। अत: प्रत्येक बैंक ग्राहय उद्यम बनाया जाना चाहिए तथा मूल्यांकन एवं बैंकिंग अनुशासन के अधीन होनी चाहिए ।उद्यमों को निजी/ ग्रूप पहलों के माध्यम से प्रोन्नत करना चाहिए न कि सरकारी/ सरकार द्वारा प्रायोजित सहकारी क्षेत्रक के माध्यम से/बीमार सरकारी/सरकार द्वारा प्रायोजित सहकारी उद्यमों को सहारा देने के एि निधियाँ मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए । इसका लक्ष्य आवर्ती निधि और अपेक्षित आधारिक संरचना और प्रशिक्षण इनपुटों के संबंध में स्व-सहायता दलों को लधु सहायता के माध्यम से आय-सृजक कार्यकलापों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है । तथापि सब्सिडी से जुड़ी स्कीमों की अनुमति केन्द्र/ राज्य योजना स्कीम की विस्तारित कवरेज के लिए अनुपूरक उपाय के रूप में नितान्त अनिवार्य होने पर ही दी जानी चाहिए और उसे समान केन्द्रीय सरकारी स्कीमों के मामले में उपलब्ध कराए जाने वाली सब्सिडी के स्तर पर ही रखा जाना चाहिए ।वे स्कीमों जिनमें सामुदायिक परिसम्पतियों का सृजन शामिल है, वहाँ जहॉ संभव हो लाभभोगी योगदान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

4.2.7 राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के अन्तर्गत आबंटन के वी आई सी,पी एम आर वाई, एस जी एस वाई, जे एस आर वाई, आदि के अन्तर्गत किए गए आबंटनों सहित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजना/ राज्य योजना स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता के पूर्ण रुप से समाप्त हो जाने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए ।

4.2.8 राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत निधियों का प्रयोग परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए और ना कि प्रशासनिक भवनों के निमार्ण अथवा नवीकरण, स्थापना लागत/ स्टॉफ लागत और अन्य इस प्रकार की स्कीमों पर। इस कार्यक्रम के लिए कोई नये पद सृजित नहीं किए जाने है ।

4.2.9 सभी स्कीमों को तीन वर्ष की निर्धारित समय -समय के भीतर पूरा किया जाना है । लागत बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएंगी ।यदि कोई परियोजना 3 वर्ष में पूरी नहीं की जा सकती तो उसे सभी शामिल किया जा सकता है यदि राज्य सरकार तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् इसे वित्त पोषित करने का वचन देती है।

4.2.10 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कीमों संधारणीय हों और परिसम्पयिों की सावधानी से आयोजित की जाए ताकि वे लाभप्रद हों तथा स्कीम समाप्त हो जाने के पश्चात् भी बनी रहें ।प्रत्येक परियोजना की संधारणीयता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है ।सामुदायिक परिसम्पतियों के मामले में, जहॉ संभव हो, कार्यक्रम में ही भविष्य में होने वाले रख-रखाव शामिल होना चाहिए । अर्थात् यदि एक सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाता है तो वे व्यक्ति जो उसका प्रयोग करते हैं, उनपर प्रभार लगाए जाने चाहिए ताकि रख-रखाव के लिए एक संग्रह निधि स्थापित की जा सके ।

4.2.11 जिले के भीतर गरीब पॉकेटों और अलाभान्वित समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

4.2.12 योजना जिले के लिए विजन पर आधारित होनी चाहिए और ना कि स्कीमों का समूह होना चाहिए जिनके लिए मौजूदा स्रोतों से किया जाने वाला वित्तपोषण अपर्याप्त रहता है ।

5. जिला योजनाएं तैयार करने हेतु कदम

5.1 पहला कदम जिले में वर्तमान स्थिति का जायजा लेना होगा अर्थात् एक संसाधन सूची, विभिन्न स्कीमों के लिए, निधियों का मौजूदा प्रवाह, जिले की सामर्थ्य, महत्वपूर्ण अन्तरालों की पहचान और इन अन्तरालों को भरने के लिए स्कीमों तैयार करना । इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज और एन जी ओज) गैर- सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए ।जिले में ऋण के उच्च प्रवाह को सुनिश्चित करने के एि जिला योजना तैयार करते समय नाबार्ड द्वारा तैयार की गइ जिले की पोटेशियेकल लिंक्ड क्रेडिट प्लान का प्रयोग

किया जाए । बैच मार्क बैचमार्क सर्वेक्षण शुरु करने के निदेश दिए जाने चाहिए।

5.2 योजना नीचे दिए गए स्कीम अध्याय के अनुसार तैयार की जानी चाहिए और योजना आयोग के प्रधान सलाहकार/सलाहकार जिन्हें जिला सौंपा गया है; के परामर्श सहित राज्य स्तर की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कराई जानी चाहिए।

5.3 योजना को योजना आयेाग को भेजा जाना है जहॉ इसकी संबंधित विषय प्रभागों द्वारा जांच की जाएगी और अथवा संशोधनों के लिए वापिस भेजी जाएगी अथवा अनुमोदन हेतु अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत की जाएगी। अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन और सारांश रिकार्ड की प्राप्ति के पश्चात् राज्य सहमति ज्ञापन (एमओए का फार्मेट संलग्नक **III** पर है) हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन की प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी और जिले के लिए निधियों की पहली किश्त जारी की जाएगी ।

6. स्कीम अध्याय

6.1 प्रत्येकजिला योजना में जिले की विशिष्ट समस्याओं और सुझाई गई कार्यनीति पर प्रकाश डालते हुए एक कार्यकारी सारांश निहित होना चाहिए । प्रत्येक योजना दस्तावेज में निम्नलिखित अध्याय होने चाहिए ।

1. पृष्ठभूमि
2. संसाधन सूची
3. एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण और गंभीर अंतरालों की सूची

4. उद्देश्यों का सारांश/ तीन वर्षो के पश्चात् उपलब्ध किए जाने वाले प्रत्याशित लाभ ।
5. तिमाहीवार समय और लागत अनुसूचियों सहित स्कीमों के व्यौरे
6. बैचमार्क सर्वेक्षण/मानीटरिंग और समवर्ती मूल्यांकन
7. संलग्नक

6.2 पृष्ठभूमि

6.2.1.इस अध्याय में निम्मलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

1. विशेष रूप से राजधानी शहर और अन्य बड़े उपयोग केन्द्रों तक पहुंच के अर्थ में अवस्थिति ।

2. पिछड़े जिले पहल के संचालन और कार्यान्वयन के लिए ढांचे के विशेष संदर्भ सहित प्रशासनिक ढांचा ।

3. राज्य और राष्ट्रीय औसतों के साथ तु लना किए गए जनसंख्या/घनत्व और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों संबंधी बुनियादी डाटा ।

6.3. **संसाधन सुची**

1. प्राकृतिक संसाधन अर्थात् वन, खनिज, नदियॉ और झरने आदि ।
2. मानव संसाधन अर्थात् कार्यशील आयुवर्ग में जनसंख्या, बेरोजगारी का स्तर, उपलब्ध कौशल ।
3. आधारिक संरचना अर्थात् सड़के, रेलवे, दूर-संचार, सिंचाई, ऋृण सुविधाएं, अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल और कालेज आदि ।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान, आई सी ए आर संस्थान, पौलिटैक्निक/ आई टी आईज, इंजीनियरिंग कालेजों, आदि सहित संस्थान ।
5. प्रभावी गैर-सरकारी संगठन, स्व-सहायता समूह आदि ।
6. जिले की विशेष आर्थिक कार्य-कलाप ।

सामर्थ्य कमजोरियां, अवसरों और धमकियॉ (एस डब्ल्यु ओ टी) विश्लेषण और महत्वपूर्ण अन्तरालों की पहचान

1. सामर्थ्य और कमजोरियों पर प्रकाश डालना तथा धमकियों पर काबू पाते हुए सामर्थ्य बढ़ाना ।
2. विकास में बाधा डालने वाले प्रशासनिक संरचनाओं/ नियमों/कानूनों पर प्रकाश डालना ।
3. क्षेत्रों की पहचान (स्थानिक) जिनकी ओर विशष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है ।
4. उन समुदायों/ समूहों की पहचान करना जिन्हें विशिष्ठ हस्तक्षेपों की आवश्यकता है ।
5. तीन-चार अग्रणी क्षेत्रकों की पहचान करना ।
6. इन क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण अतरालों की पहचान करना ।

टिप्पणी : जिला योजना को निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या स्कीम को जिले के भीतर अधिक गरीब पाकेटों में ही केन्द्रित करना चाहिए अथवा यह जिलें के सभी भागों में लागू होनी चाहिए । इसी प्रकार एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या कतिपय समूहों /समुदाय विशेष ध्यान दिए जाने के पात्र हैं अथवा नहीं ।

6.3 **योजनाबद्व ब्योरे**

1. निम्नलिखित क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान दिया जाए:

- चैक डेमों सहित भूमि और जल प्रबंधन, पारम्परिक जल संरचनाओं, लघु स्तर (लिफ्ट) सिंचाई परियोजनाओं, लघु मोड बांधों इत्यादि का पुनरूद्धार ।
- स्वास्थ्य आधारिक संरचना विशेष रूप से ए एन एम/आंगनबाडी़ केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण और संस्थागत डिलीवरियों हेतु सुविधाओं का प्रावधान ।
- शिक्षा आधारिक संरचना ।
- मार्किट में उभरती मांग और हथकरघा, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वर्तन बनना लकड़ी का काम, खिलौने बनाने और अन्य पारम्परिक विधा विशेष इत्यादि में स्थानीय कारीगरों की दक्षताओं के अनुसार व्यावसायिक रूप से लाभकारी संगत कुशलताओं जैसे बिजली की वस्तुओं को बनाना, प्लम्बिंग, लघु निर्माण, मोटर साइकिल/पम्प मरम्त इत्यादि को अपग्रेड करने के लिए आउटरीच प्रणाली का उपयोग करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आधारिक संरचना को बढ़ाना ।
- सघन क्षेत्रों विशेष रूप सिंचाई स्त्रोतों के सभी कमाण्ड क्षेत्रों में कृषि और बागवानी कार्यो के तीव्रीकरण, जल संसाधनों के अभीष्टतम उपयोग हेतु कमाण्ड क्षेत्र के फार्म पर ही विकास, शुष्क भूमि कृषि/स्थानिय स्थितियों के योग्य उच्च मूल्य कृषि की शुरूआत, पशुरोग संबंधी सुविधाओं और विपणन आधारिक संरचना के माध्यम से डेयरी, छोटे पशुओं और मत्स्य पालन से होने वाले उत्पादन में सुधार करके, इत्यादि के माध्यम से कृषि और संम्बद्व कार्य-कलापों से आय में वृद्वि करना ।
- वास्तविक आधारिक संरचना जैसे महत्वपूर्ण सड़क सम्पर्को, ग्राम विद्युतीकरण, इत्यादि के महत्वपूर्ण अन्तरालों को भरना ।
- नाबार्ड द्वारा जिले के लिए तैयार की गई संभाव्यता संबंधित क्रेडिट योजना में पहचान की गई कमियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और पशु संबंधी क्षेत्रकों में परिसम्पत्तियों को बनाए रखने के लिए जिले द्वारा 15% तक निधियों का उपयेाग किया जाए । तथापि, रखरखाव से पूर्व और बाद में परिसंपत्ति का दृश्य प्रलेखन प्रस्तुत करना होगा।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के मामले में कुल परिव्यय का 7.5% सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं जैसे पुलिस बलों/अर्ध सैनिक संगठनों को सम्बद्वता उपलब्ध कराने के लिए पुलों/सड़कों के निर्माण हेतु उद्विष्ट किया जाए । इसके अतिरिक्त, यदि उपयुक्त/संभाव्य पाया जाए तो स्कीमों के कार्यान्वयन में पुलिस/अर्धसैनिक संगठनों को भी स्कीमों के कार्यान्वयन में शामिल किया जाए।

6.6 बेंचमार्क सर्वेक्षण/मानीटरिंग

6.6.1 कोई भी संस्थान जो जिले में है अथ्वा उसके नित सान्निध्य में है, उसकी इस कार्य हेतु पहचान की जानी चाहिए और कार्यक्रम की मानीटरिंग व मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क सर्वेक्षणेां हेतु वार्षिक आधार पर 4 से 5 लाख रू0 की राशि आवंटित की जानी चाहिए । प्रथम चरण में वर्तमान सुविधाओं/संसाधनें का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में किए जाने वाले मूल्यांकनों हेतु बेंचमार्क उपलब्ध होगा । एक एमआई एस तैयार की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक तिमाही में स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इंगित की जाएगी । तिमाही के आधार पर प्रत्येक परियोजना हेतु संगत आउटपुट सूचकों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे उसके आधार पर प्रगति को मानीटर किया जा सके । स्कीम अवधि की समाप्ति के पश्चात् मूल्यांकन हेतु लम्बी पक्वना अवधि वाले आउटपुट सूचकों का भी उल्लेख किया जाए । कडी़ मॉनीटरिंग अनुसूची कार्यान्नवयन प्रक्रिया का ही हिस्सा होनी चाहिए ।स्कीमों की मानीटरिंग राज्य स्तरीय संचालन समिति/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जानी चाहिए और अधिकार प्राप्त समिति व उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टे योजना आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

6.6.2 प्रत्येक जिले के लिए एक वेबसाइट तैयार किया जाना है जो जिले की पृष्ठभूमि सूचना, जिला योजना, बेंचामार्क सर्वेक्षण के परिणाम और तैयार की गई एम आई एस की जानकारी होगी जिसे विकसित किया गया है । स्कीमों की प्रगति को दर्शाने के लिए इसे साप्ताहिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: रा0स0वि0यो03-7/05-1883/यो0वि0,पटना, दिनांक 13 अगस्त, 2005

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, जमुई, लक्खीसराय, वैशाली, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बिहार ।

विषय: राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल योजना के अधीन स्टेशनरी, वाहन हेतु पेट्रोल तथा परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु राशि के वहन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल के अधीन कार्यान्वित की जानेवाली योजना के कार्यान्वयन में स्टेशनरी, वाहन हेतु पेट्रोल एवं डी0पी0आर0 तैयार करने में व्यय की राशि के वहन के संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है । राज्य सरकार ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल अंतर्गत जिले को उपलब्ध करायी गयी राशि का 0.5 प्रतिशत राशि स्टेशनरी, एक वाहन के लिए प्रतिमाह 110 लिटर पेट्रोल, डीजल तथा परियोजनाओं के डी0पी0आर0 के तैयारी पर व्यय किया जाय । योजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने में उपर्युक्त से अधित व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि योजना/परियोजना की लागत मूल्य में जोड़ दिया जाय । किसी भी परिस्थिति में इस राशि से वाहन/क्रय नहीं किया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन द्रुत गति से कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-7/05-1883/यो0वि0,पटना, दिनांक 13 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना से संबंधित सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक–रा0स0वि0यो03–8/2005–2315/यो0वि0,पटना,दिनांक 28.09.2005

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार सिन्हा,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

राष्ट्रीय सम विकास योजना से संबंधित

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय: राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के पहल के अधीन प्राप्त राशि पर अर्जित सूद के उपयोग के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिये पहल के अधीन प्राप्त राशि पर अर्जित सूद की राशि के उपयोग के संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल योजना के अधीन आवंटित राशि पर अर्जित सूद की राशि को इस योजना हेतु अतिरिक्त संसाधन के रूप में उपयोग किया जायेगा तथा इसकी पूर्ण विवरण भी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ अलग से अंकित किया जायेगा ।अर्जित सूद की राशि का व्यय आकस्मिक मद में पूर्णत: वर्जित है ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अशोक कुमार सिन्हा)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–रा0स0वि0यो03–8/2005–2315/यो0वि0,पटना,दिनांक 28.09.2005

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संख्या- रा0सम0वि0यो0-3-16/06-1178 /यो0वि,बिहार,पटना, 5 अप्रैल,2006

प्रेषक,

एन0 एस0 माधवन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

बिहार ।

विषयः राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला) एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के जाँच एवं अनुश्रवण के संबंध में ।

महाशय,

राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल के अधीन एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत काफी बड़ी संख्या में योजनाओं का कार्यान्वयन क्षेत्रीय स्तर पर कराया जा रहा है । इन योजनाओं की लागत की सीमा एक लाख से दस करोड़ के भीतर है तथा निर्माण प्रकृति की योजनाओं का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरुप खुली निविदा के आधार पर संवेदकों के माध्यम से करायी जा रही है । अतः यह आवश्यक है कि कार्यान्वित योजनाओं के स्थल जाँच एवं अनुश्रवण की एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित व्यवस्था निर्धारित की जाय ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम लाभ गुणवत्ता सहित जन सामान्य को प्राप्त हो सके । इस हेतु एक तालिका निर्धारित की गयी है, जो निम्न प्रकार है-

क्रमांक	**योजनाओं का मूल्य**	**प्रक्षेत्र**	**सीमा**	**जाँच पदाधिकारी**
1	एक लाख रूपये से कम की योजनाओं	सभी प्रक्षेत्र	प्रखंड	जिला / अनुमंडल में पदस्थापित उप समाहर्ता या योजना से संबंध नहीं रखने वाले लाईन विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी
2(क)	एक लाख से पाँच लाख रूपये तक की योजनाओं	कार्य	जिला	उप समहर्ता जो इस योजना से संबंधित नहीं है एवं सहायक अभियंता जो योजना से संबंधित नहीं हों (कनीय अभियंता,

क्रमांक	योजनाओं का मूल्य	प्रक्षेत्र	सीमा	जॉच पदाधिकारी
				यदि सहायक अभियंता अनुपलब्ध हों)
(ख)	एक लाख से पॉच लाख रूपये तक की योजनाओं	अकार्य	जिला	अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर के उप समाहर्ता/लाइन विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी जो योजना से संबंधित न हों एवं कार्यपालक अभियंता जो उस विभाग से संबंधित न हो । कार्यपालक अभियंता की अनुपलब्धता में सहायक अभियंता ।
3	पॉच लाख से पच्चीस लाख रूपये तक की योजनाओं	कार्य	जिला	
		गैर कार्य		अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के उप समाहर्ता/लाइन विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी जो योजना से संबंधित न हों।
4	पच्चीस लाख से पच्चास लाख रूपये तक की योजनाओं	वर्ष कार्य तथा गैर कार्य	जिला	उप विकास आयुक्त/ वरिष्ठ अपरसमाहर्ता एवं कार्यपालक अभियंता जो योजना से संबंधित न हों।
5	पच्चास लाख से एक सौ पच्चास लाख रूपये तक की योजनाओं *	कार्य एवं गैर कार्य	जिला	जिला पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी द्वारा बनायी गयी अभियंताओं की टीम।
6	एक सौ पच्चास लाख एवं उपर की योजनाओं *	कार्य एवं गैर कार्य	प्रमंडल	प्रमंडलीय आयुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बनायी गयी अभियंताओं की टीम ।

* योजनाओं के फोटोग्राफी अनिवार्य है ।

यह प्रमंडलीय आयुक्तों का दायित्व होगा कि उपर्युक्त तालिका के अनुरुप जॉच पदाधिकारी का चयन कर प्रतिनियुक्ति का आदेश निर्गत करेंगे। यदि किसी जिला विशेष में आवश्यक संख्या में पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो प्रमंडल के अधीन आने वाले अन्य जिलों से पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेंगे ।

प्रतिनियुक्त जाँच पदाधिकारियों द्वारा 5.00 लाख से कम लागत की योजनाओं से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को दिया जायेगा तथा 5.00 लाख से उपर लागत की योजनाओं का जाँच प्रतिवेदन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी को भी दी जायेगी । इन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । प्रमंडलीय आयुक्त अपने जाँच प्रतिवेदन को मंतव्य के साथ योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे । जाँच हेतु मानक अनुलग्नक 'क' के साथ संलग्न है ।

प्रत्येक योजना का स्थलीय निरीक्षण/जाँच न्यूनतम तीन बार होना अनिवार्य होगा जिसमें दो बार निरीक्षण/जाँच कार्यान्वयन अवधि में क बार योजना एवं पूर्ण होने पर कराना अनिवार्य होगा ।

संलग्न प्रपत्र IV में योजना का नाम एवं प्रा0 राशि जिलों में संधारित प्रपत्र II के अनुरुप होगा । इसमें जाँच पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधित आयुक्त के स्तर से होने के बाद जाँच पदाधिकारियों के नाम अंकित कर योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध करावेंगे ।ताकि इन नामों को वेबसाईट में डाला जा सके ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एन0 एस0 माधवन)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक: रा0सम0वि0यो0-3-16/06- /यो0वि,बिहार,पटना, अप्रैल,2006

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव,बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक: रा0सम0वि0यो0-3-16/06- /यो0वि,बिहार,पटना, अप्रैल,2006

प्रतिलिपि: पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना से संबंधित सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

आयुक्त एवं सचिव ।

अनुलग्नक 'क'

योजनाओं के जॉच/ निरीक्षण हेतु मानक प्रपत्र

(जॉच/ स्थलीय निरीक्षण की तिथि .....)

जिला :- प्रखण्ड:- पंचायत:-

(1) कार्यक्रम का नाम:-

(2) योजना का नाम एवं संख्या:-

प्रक्षेत्र

(3) योजना की प्रकृति:- (संख्या/ कि.मी./हेक्टेयर)

(4) प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि:-

(5) निविदा स्वीकृति की तिथि:-

(6) योजना पूर्णता की निर्धारित तिथि:-

(7) कार्य एजेन्सी का नाम/विभाग/सम्वेदक:-

(8) प्राक्कलित लागत:-

(9) कार्यकारी एजेन्सी को विमुक्त राशि:-

(10) (i) मापी पुस्तिका के अनुसार किया गया अद्यतन कार्य:-

(ii) अन्तिम मापी की तिथि:-

(11) (i) सम्वेदक को किये गये अद्यतन भुगतान की राशि:-

(ii) अन्तिम भुगतान की तिथि:-

(12) भौतिक प्रगति:- (प्रतिशत में)

(13) किये गये कार्य पर मन्तव्य (प्रारम्भ नहीं/ संतोषप्रद/ असंतोषप्रद)

(14) विलम्ब का कारण (यदि कोई हो):-

(15) पूर्व में किये गये निरीक्षण का विवरण:-

क्रमांक	जॉच की तिथि	जॉच पदाधिकारी	दिये गये निदेश का विवरण	अनुपालन की स्थिति	अनुपालन नहीं होने के कारण
1	2	3	4	5	6

(16) योजना कार्यान्वयन के प्रगति के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफी को सुरक्षित संधारित रखा गया है अथवा नहीं ?

(17) योजना कार्यान्वयन के संबंध में मन्तव्य:-

तकनीकी जॉच पदाधिकारी
नाम एवं पदनाम

प्रशासनिक जॉच पदाधिकारी का
का नाम एंव पदनाम

(ध्यान दें:- जॉच प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफी की प्रति नामित वरीय पदाधिकारी को भेजने के साथ योजना अभिलेख के साथ भी सुरक्षित रखा जाय)

{ PROFORMA-IV }

RASTRIYA SAM VIKAS YOJNA

DEPUTATION ORDER FOR INSPECTING OFFICER

Name of the District- **Month-** (Rs in Lakh)

Name of the Sector & Code-

Sl.No.	Name of the Scheme	Work/ Non Work	Unit	Estimated Cost	Administrative Inspecting Officer		Technical Inspecting Officer	
					Name	Desig - nation	Name	Desig- nation
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Signature)
Commissioner of Division …….

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

27 अग्रहायण 1925(श0)

(सं0 पटना 689) पटना, वृहस्पतिवार, 18 दिसम्बर, 2003

ज्ञापांक-3296/यो0वि0

योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

12 दिसम्बर, 2003

योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अधीन पिछड़े जिलों के लिए विशेष पहल योजना में बिहार राज्य में गया, जहानाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिलों को चिन्हित किया गया है । इस उग्रवाद प्रभावित जिलों में पूरे उद्व्यय की 7.5 प्रतिशत राशि सुरक्षा संबंधी परियोजना पर खर्च की जाएगी । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्न कृषि उत्पादकता, अभियोजना की समस्या को दूर करना तथा भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं में क्रांतिक अंतरालों(Critical gaps) को पाटना है ।

2. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक स्टीयरिंग कमिटि का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(1) मुख्य सचिव- अध्यक्ष
सदस्यगण
(2) विकास आयुक्त
(3) वित्त आयुक्त
(4) गृह सचिव
(5) आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग
(6) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(7) सचिव, पथ निर्माण विभाग
(8) सचिव, योजना एवं विकास विभाग-सदस्य सचिव

---

3. राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटि को यह अधिकार होगा कि संबंधित विभागीय सचिवाबंधित जिला पदाधिकारी संबंधित पुलिस अधीक्षक को आवश्यकतानुसार समिति की बैठक में आमंत्रित कर सके ।

4. इस परियोजना के तहत चुने गए जिले के लिए एक जिला योजना तैयार की जायेगी जिसमें सभी स्रोतों से हो रहे निधि के प्रवाह को ध्यान में रखा जायेगा, तदुपरांत इस मद में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग इस योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जायेगा ।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(देवेन्द्र नारा यण सिन्हा)
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बिहार गजट(असाधारण), 689-लाईनों--571--25--एम0 एस0 हसस

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

आ0संख्या: रा0स0वि0यो03-19/2004-**1846**/यो0वि0,पटना दिनांक 11 अगस्त, 2005

आदेश

राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत पिछड़े जिलों के लिए पहल योजना के अधीन जो कार्य कराये जाने हैं, उन्हें लोक निर्माण संहिता के अनुरुप तथा निविदा के माध्यम से कराये जाने का अनुदेश निर्गत है । जिला पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में इसके तहत लघु निर्माण प्रकृति के कार्यों को कराये जाने के विषय पर दिशा-निदेश की माँग की गयी थी । दिनांक **15.07.2005** को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में इस विषय से संबंधित बैठक में इसकी पूर्ण समीक्षा के उपरांत संकल्प संख्या **981** दिनांक **17.05.2005** के प्रावधानों में निम्न प्रकार से संशोधन किये जाने के बिन्दु पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है:-

(क) विद्यालय भवन निर्माण:- विद्यालय भवन के निर्माण कार्य संबंधित विद्यालयों के शिक्षा समिति तथा उच्च विद्यालयों के मामलों में प्रबंधन समिति द्वारा कराया जा सकता है ।

(ख) आँगनवाड़ी भवन का निर्माण:- आँगनवाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण कार्य गठित माताओं की समिति द्वारा कराया जा सकता है।

(ग) एक मार्केट यार्ड का निर्माण:- छोटे-छोटे मार्केट यार्ड के निर्माण कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कराया जा सकता है ।

2. दिशा निदेश के उपर्युक्त प्रावधान विद्यालय भवन, आँगनवाड़ी भवन एवं मार्केट यार्ड के उन्हीं योजनाओं, जिनको अधिकतम लागत सीमा **5.00** लाख रुपये होगी, पर लागू होगी । पाँच लाख रुपये से उपरी सीमा के योजनाओं पर पूर्व संकल्प संख्या **981** दिनांक **17.05.2005** के प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कार्यों के संदर्भ में संकल्प संख्या **981** दिनांक **17.05.2005** जिसके तहत योजनाओं का कार्य लोक निर्माण संहिता के अनुरुप निविदा के माध्यम से कराया जाना है, यथावत् रहेगा ।

(**विजय कुमार वर्मा**)

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-19/2004-**1846**/यो0वि0,पटना दिनांक 11 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि: सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय: योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

प्रसंग: वित्त विभागीय संकल्प संख्या-एम04-45/94-पार्ट-I-5685वि0(2) दिनांक 08.10.2005

1. उपर्युक्त प्रसंग के द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी विस्तृत निदेश निर्गत किये गये थे । राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं का त्वरित स्वीकृति के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है । तदनुसार उपर्युक्त प्रसंग की कंडिका 10 उप कंडिका(IX) के अंतर्गत योजना मद में नई योजना स्कीम के लिए समीक्षा प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार की शक्ति यॉं निम्न प्रकार से संशोधन की जाती है:-

क्रमांक	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार	वर्त्तमान शक्तियॉं	नई शक्तियॉं
1	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव	50 लाख तक	*2.50 करोड़ तक
2	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री	50 लाख से 2. 50 करोड़ तक	*2.50 करोड़ से 5.00 करोड़ तक
3	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री	2.50 करोड़ से 5. 00 करोड़ तक	*2.50 करोड़ से 5.00 करोड़ तक
4	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री	5.00 करोड़ सं 10.00 करोड़ तक	*5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक
5	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	10.00 करोड़ से अधिक	20.00 करोड़ से अधिक
6	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में	यथावत्

*यदि योजना में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा न या वाहन के क्रय भी शामिल हों तो प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जायेगा । इसी तरह अवधि विस्तार के प्रस्ताव भी प्राधिकृत समिति के समक्ष ही प्रस्तुत किये जायेंगे ।

2. राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

यह देखा गया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत काफी संख्या में योजनायें हैं जिनपर वर्त्तमान प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत प्रत्यायोजन एवं तकनीकी स्वीकृति स्वीकृति प्राप्त करने में अत्यन्त विलंब होता है ।

इस प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमंडलीय आयुक्त/अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाय । तदनुसार उपर्युक्त योजनाओं के लिए ही निम्नवत् तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है:-

प्रमंडलीय आयुक्त	प्रशासनिक स्वीकृति	50 लाख से 10.00 करोड़ तक
जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति	50 लाख रुपये तक
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 लाख से 10.00 करोड़ तक
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 लाख रुपये तक

उपरोक्त शक्तियाँ मात्र राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के संबंध में ही लागू होंगी । अन्य मामलों में लोक निर्माण संहिता के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे ।

3. उपर्युक्त कंडिका 1 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के तदनुरुप कार्यपालक नि यमावली में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से अनुरोध किया जा रहा है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञापांक: 3828(वित्त), पटना, दिनांक 12.06.2006

प्रतिलिपि: मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प के अनुसार का र्यपालक नियमावली में संशोधन करने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञापांक: 3828(वित्त), पटना, दिनांक 12.06.2006

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञापांक: 3828(वित्त), पटना, दिनांक 12.06.2006

प्रतिलिपि: वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक- रा0स0वि0यो03-20/06-1026/यो0वि0, पटना, दिनांक 6 मई, 2006

प्रेषक,

एन0 एस0 माधवन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोशी प्रमंडल एवं पूर्णियाँ प्रमंडल ।

राष्ट्रीय सम-विकास योजना से संबंधित सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय: राष्ट्रीय सम विकास योजना का वेवसाइट निर्माण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि -

1. राष्ट्रीय सम-विकास योजना के अंतर्गत पिछड़ा जिला पहल के माध्यम से राज्य के 21 जिलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को त्वरित गति देने का लक्ष्य निर्धारित है । इन कार्याक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक जिले का जिला योजना प्रारूप तैयार किया गया है तथा इस जिला योजना प्रारूप में सम्मिलित योजनाओं का कार्यान्वयन भी कराया जा रहा है । सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है इन योजनाओं के लिए वेवसाइट तैयार किया जाय जिसमें जिले की पृष्ठभूमि सूचना, जिला योजना में सम्मिलित एवं कार्यान्वित सभी योजनाओं का पूर्ण विवरण एवं सर्वेक्षण/जाँच के परिणाम अंकित होगें । इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तो होगी ही साथ ही साथ समस्त योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को भी प्राप्त हो सकेगी ।

2. इस वेवसाइट में योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्धारित अनुश्रवण प्रपत्र II के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए कुल निर्धारित उद्व्यय 45.00 करोड़ (राष्ट्रीय सम विकास योजना के संदर्भ में) की समस्त योजनाओं को पंचायतवार अंकित की जायेगी । वेवसाइट में संवेदकों के नाम, जाँच पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम तथा पचास लाख एवं उससे उपर लागत की योजनाओं की अद्यतन फोटोग्राफी का विवरण होगा । वेवसाइट में सम्मिलित होने वाले आइटमों की सूची को अनुलग्नक क में देखा जा सकता है । वेवसाइट तैयार करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं की सहजता से उपलब्धता अनिवार्य होगी:-

2.1 प्रपत्र II (पंचायतों के नाम के उल्लेख सहित) ।

2.2 कार्यकारी एजेन्सी एवं सम्वेदकों के नाम ।

2.3 प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा नामित जाँच पदाधिकारियों की सूची (विभागीय पत्रांक 1178 दिनांक 05.04.2006 के संदर्भित) ।

2.4 50.00 लाख एवं उससे उपर लागत की योजनाओं की अद्यतन (जैसे हो वैसे) फोटोग्राफी ।

2.5 आप कृपया इसे सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त अंकित ऑकड़े सहजता से उपलब्ध हो जाय क्योंकि यह वांछनीय नहीं होगा कि एक बार वेवसाइट कार्यरत हो जाय तो अपूर्ण ऑकड़े दिखायी दे ।

3. आप अवगत है कि योजना एवं विकास विभाग के द्वारा NIC के सहयोग से जिला योजना पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पदाधिकारी तथा एक-एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया गया है तथा उन्हें आपके जिले के लिए निर्धारित विशिष्ट पासवर्ड की जानकारी भी दे दी गयी है ।

4. ऑकडों के संकलन के लिए क्रमानुसार प्रक्रिया को एक प्रपत्र में अनुलग्नक के रूप में प्रत्र के साथ संलग्न किया जाता है ।(अनुलग्नक ख)

5. डाटा के संकलन हेतु इंटरनेट ऑन लाइन सुविधा आवश्यक है । अत: जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर को NIC में स्थापित कराकर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिला पदाधिकारी जिला योजना कार्यालय के कम्प्यूटर को इंटरनेट ऑन लाइन की सुविधा अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई कर सकते हैं । यदि यह भी संभव नहीं हो तो निजी व्यवस्था के अंतर्गत भी करायी जा सकती है ।निजी व्यवस्था की स्थिति में वेवसाईट डाटा इन्ट्री का कार्य संबंधित जिला योजना पदाधिकारी पूर्णत: अपनी देखरेख में करावेंगे । वैसे जिलों में जहाँ एन0आई0सी0 अथवा इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वैसे जिलों में यह कार्य प्रमंडलीय मुख्यालय अथवा पटना में कराया जा सकता है । उपर्युक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है ताकि वेवसाइट में RSVY का मूल ऑकड़ों का संकलन पूर्ण एवं शुद्ध रुप से 09.05.2006 तक पूर्ण हो जाय । इस कार्य पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सम विकास योजना की आकस्मिकता मद के राशि से होगी ।

ऑकड़ों के अपडेटिंग के संबंध में कालान्तर में अलग से दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे ।

फोटो गैलेरी:- पत्र के कंडिका 2.4 में अंकित योजनाओं (50.00 लाख अथवा उपर लागत) के फोटोग्राफी के अतिरिक्त, आपके जिला में कार्यान्वित राष्ट्रीय सम विकास योजना के महत्वपूर्ण घटनाक्रम यथा भी0आई0पी0 द्वारा शिलान्यास, उद्घाटन, मेला, सेमिनार, परिसम्पत्ति वितरण इत्यादि का Digitally फोटोग्राफी कराकर उसका सी0डी0 योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि इन तस्वीरों को Upload कराया जा सके ।

विश्वासभाजन

(एन0 एस0 माधवन)
आयुक्त एवं सचिव।

अनुलग्नक–क

वेवसाइट में अंकित होने वाले आइटमों की सूची

Sl. No.	Items
1	Block
2	Panchayat
3	Sector
4	Nature of Scheme
5	Scheme Name
6	Estimated Cost
7	Physical Target
8	Unit
9	Adm. Approval month & Year
10	Expected Completion Period (in months)
11	Executing Agency
12	Physical Status
13	Physical Completion(%)
14	Amount released to executing agency
15	Total Expd. so far
16	Reporting Month & Year
17	Contractor Name
18	Verification Officer Name
19	Verification Officer Designation
20	Date of Inspection
21	Quality of work
22	Adm & Maintenance agency
23	Current picture for schemes above 50 lakhs

अनुलग्नक - ख

राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत पिछड़ा जिला पहल के अंतर्गत Data Entry के संबंध में दिशा निर्देश

1. RSVY से संबंधित Web Site का Web Address- planning.bih.nic.in है ।

2. राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला) से संबंधित Software में आँकड़ों के इन्ट्री के लिए 5(पाँच) स्क्रीन बनाये गये हैं जो अनुलग्नक ख- Screen 1 से Screen 5 के रुप में संलग्न है ।

3. सर्वप्रथम **अनुलग्नक क** के आइटमों के आधार पर मूल आँकड़ों (Raw Data) से संबंधित विवरणी समेकित रुप में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर लें।

4. तत्पश्चात् Web Address देकर Web Site खोलें, जिसके क्रम में आपके कम्प्यूटर पर जो स्क्रीन उपस्थित होगा उसे Screen -1 का नाम दिया गया है । इसका अनुलग्नक - **ख** Screen - 1 से सम्पुष्टि हेतु मिलान कर लें ।

5. Screen -1 में सभी जिलों के नाम पूर्व में अंकित है उनमें से आप अपने जिला का नाम चयन करेंगे । प्रत्येक जिला के लिए Password आपको पूर्व में सूचित कर दिया गया है ।

6. जिला के चयन के बाद तीन मुख्य Option आते हैं- Status Report, Block, Panchayat.

7. सर्वप्रथम Block Option का चयन किया जाना है जो **अनुलग्नक -ख** Screen 2 के रुप में दिखायी देगा । इस Screen में जिले के सभी प्रखण्ड के नाम इन्ट्री किया जाना है।

8. सभी प्रखण्ड के इन्ट्री के बाद Panchayat Option का चयन किया जाना है **{अनुलग्नक - ख Screen 3 }** ।इस Screen में किसी एक प्रखण्ड का चयन कर उससे संबंधित सभी पंचायत का नाम इन्ट्री किया जाना है । इसी प्रकार उस जिला के सभी प्रखण्डों के सभी पंचायतों का नाम इन्ट्री किया जाना है । इसके अतिरिक्त अगर कोई स्कीम

हर प्रखण्ड में कार्यरत है तो All Block का Option देना है । यदि योजना नगर क्षेत्र में कार्यरत है तो प्रखण्ड के स्थान पर नगर निगम/परिषद्/पंचायत का नाम अंकित करना है तथा पंचायत के स्थान पर वार्ड अंकित करना है ।

9. उपरोक्त कार्यो के पश्चात योजनावार विवरणी इन्ट्री की जानी है । इसके लिए Status Report का Option चयन करना है । चयन करने पर **अनुलग्नक - ख Screen 4** प्राप्त होता है ।

इस Screen में सर्वप्रथम **Screen 2** एवं **3** में किये गये इन्ट्री के आधार पर तैयार लिस्ट से प्रखण्ड तथा पंचायत का चयन करना है जिसमें संबंधित योजना ली गई है । इस के अगले क्रम में प्रक्षेत्र तथा योजना के Nature/Activity का चयन करना है । प्रक्षेत्रों के नाम पूर्व से सॉफ्टवेयर में अंकित है, इसीप्रकार योजना का Nature/Activity भी पूर्व से सॉफ्टवेयर में अंकित है । सहज सुविधा हेतु उन्हें दिशा निर्देश के साथ **अनुलग्नक ग** के रुप में संलग्न कर दिया गया है । आपके द्वारा योजना का सही प्रक्षेत्र तथा उसका Nature/Activity लिस्ट से चयन कर इन्ट्री करना है ।

10. इसके आगे होने वाली सभी प्रविष्टियाँ Screen 4 में ही होनी है जिसका उल्लेख निम्नवत है ।

Scheme Name- इसमें योजना के नाम को अंकित करना है । योजना के नाम के उल्लेख करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी है:-

(क) योजना का नाम एकाकी रुप में अंकित होना है, किसी भी परिस्थिति में संयुक्त रुप किये गये नाम अंकित नहीं होंगे ।

(ख) योजना के नाम के साथ स्थल के नाम को अंकित किया जाना अनिवार्य है, यथा गाँव, टोला आदि का स्पष्ट नाम अंकित किया जाय ।

(ग) पथ की योजना, यदि एक से अधिक पंचायत से संबंधित है, तो उस योजना का पूरा नाम का उल्लेख किया जाय परन्तु पंचायत के कॉलम में जिस पंचायत से योजना शुरु हो रही है, उस पंचायत को अंकित किया जायेगा;

(घ) पुल के मामले में आकार, स्पेन आदि का उल्लेख योजना के नाम के साथ किया जायेगा ।

Estimated Cost- इस कॉलम में योजना के प्राक्कलित राशि लाख रुपये इकाई में अंकित किया जाय । दशमलव के बाद दो अंकों तक ही राशि को सीमित रखना है ।

Physical Target & Unit - इकाई दर्शाते हुए भौतिक लक्ष्य दिया जाय । Unit के कॉलम में योजना कार्य के लक्ष्य की इकाई को अंकित करना है यथा:-पथ

के संदर्भ में कि0मी0, भवन के संदर्भ में संख्या, कृषि कार्य आदि के मामले में हेक्टेयर आदि अंकित होंगे ।

Adm Approval Month & Year- जिस माह तथा वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई उसका उल्लेख किया जाना है । यदि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ हो तो माह एवं वर्ष मे '----' का चयन किया जाना है ।

Expected Completion Period (in months)- योजना के पूर्ण होने की निर्धारित कालावधि का माह(कुल संख्या में) अंकित किया जाय ।

Executing Agency- कार्यकारी एजेन्सी का नाम दिया जाना है। इसके लिए Software में दिए गए लिस्ट से नाम चयन करना है।(अनुलग्नक- घ)

Physical Status- इसके लिए Software में तीन Option पूर्व से अंकित है- Not Started, Work in Progress एवं Completed.

उन योजनाओं के लिए Not Started चयन करना है जिनपर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है । यहाँ इस संदेह को दूर कर लिया जाय कि यदि प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, उसके लिए इस Option को चयन नहीं करना है बल्कि इसके लिए Work in Progress का चयन किया जाय ।

जिन योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है तथा कार्य प्रगति पर है उसके लिए Work in Progress का Option चयन करना है ।

पूर्ण योजनाओं के मामले में Completed Option चयन करेंगे ।

Physical Completion %- भौतिक प्रगति का प्रतिशत दिया जाना है।

Amount Released to Executing Agency- कार्यकारी एजेन्सी को विमुक्त की गई राशि का उल्लेख लाख रुपये में अंकित किया जाना है ।

Total Expenditure So far- उक्त योजना में अभी तक की गई कुल वास्तविक व्यय राशि को लाख में दर्शाया जाना है । दशमलव के बाद दो अंको तक ही राशि को सीमित रखना है ।(इसमें कार्यकारी एजेन्सी को दिये गये अग्रिम राशि को नहीं अंकित करना है ।)

Reporting Month & Year- प्रतिवेदन जिस माह, वर्ष का है उसे लिस्ट से चयन करना है ।

Contractor Name- संवेदक का नाम दिया जाना है । फर्म का नाम नहीं ।

Verification Officer Name & Designation- प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम ।

Date of Inspection- जाँच की तिथि ।

Quality of Work- प्रतिनियुक्त जाँच पदाधिकारी के द्वारा किये गये जाँच के क्रम में जो जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होंगे, उसके निष्कर्ष के आधार पर कार्य के Quality का Option लिस्ट से चयन किया जाना है- Not Started, Satisfactory, Unsatisfactory .

Administrative & Maintenance Agency- जिस विभाग/संस्थान द्वारा पूर्ण किये गये योजना का संधारण किया जाना है, उसका नाम लिस्ट से चयन किया जाना है । (अनुलग्नक ड़)

उपरोक्त मदों में इन्ट्री के पश्चात् **Add** बटन दबाया जाना है जिससे सभी आँकड़े 'Save' हो जायेंगे ।

11. '**Add'** Button दबाने के बाद **Screen 5** आता है । इस Screen द्वारा 50.00 लाख रुपये से अधिक योजना का फोटो Upload किया जाना है ।

50.00 लाख रुपये से अधिक योजना की फोटो GIF/JPEG format में 72-120 DPI में Scan/Save किया जाना है । इसका SIZE 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

'Browse' Button से File का चयन किया जाना है तथा Upload Button से File को Upload किया जाना है ।

अनुलग्नक – ख Screen 1

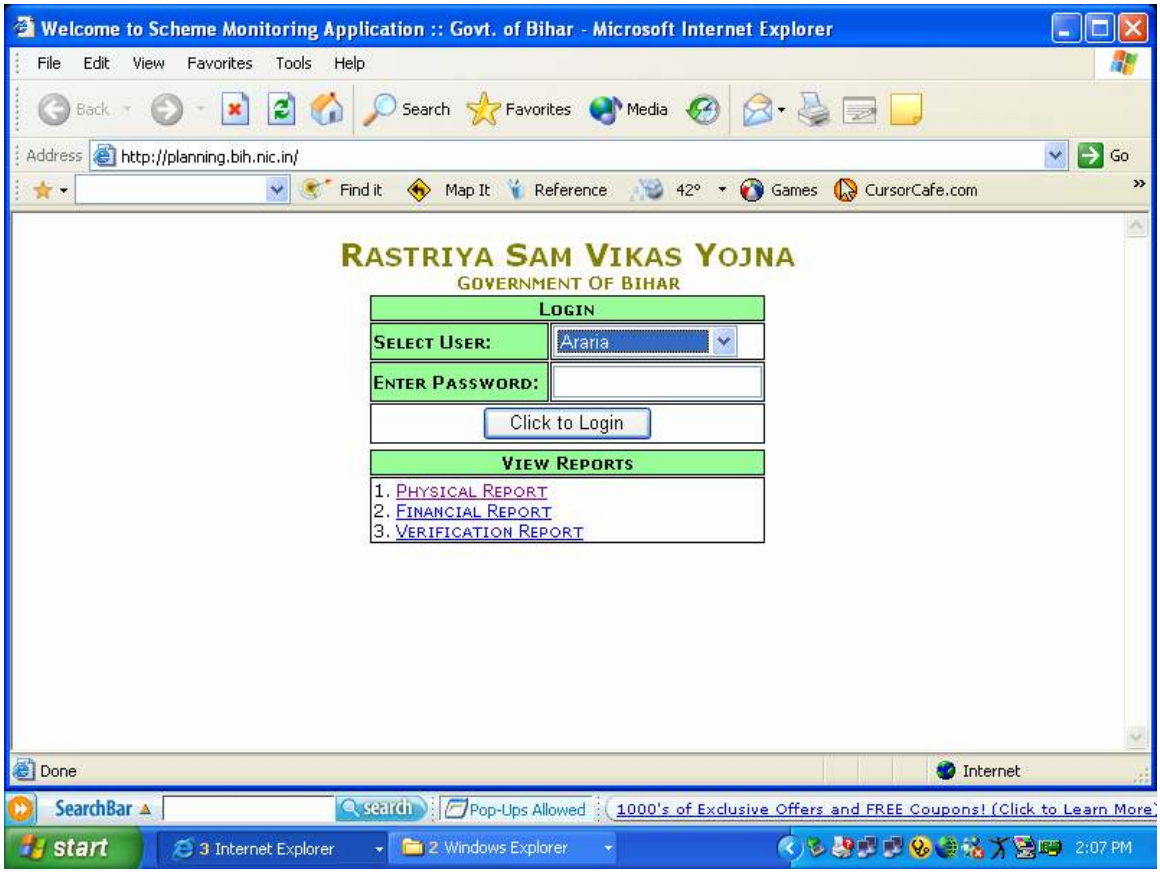

अनुलग्नक – ख Screen 2

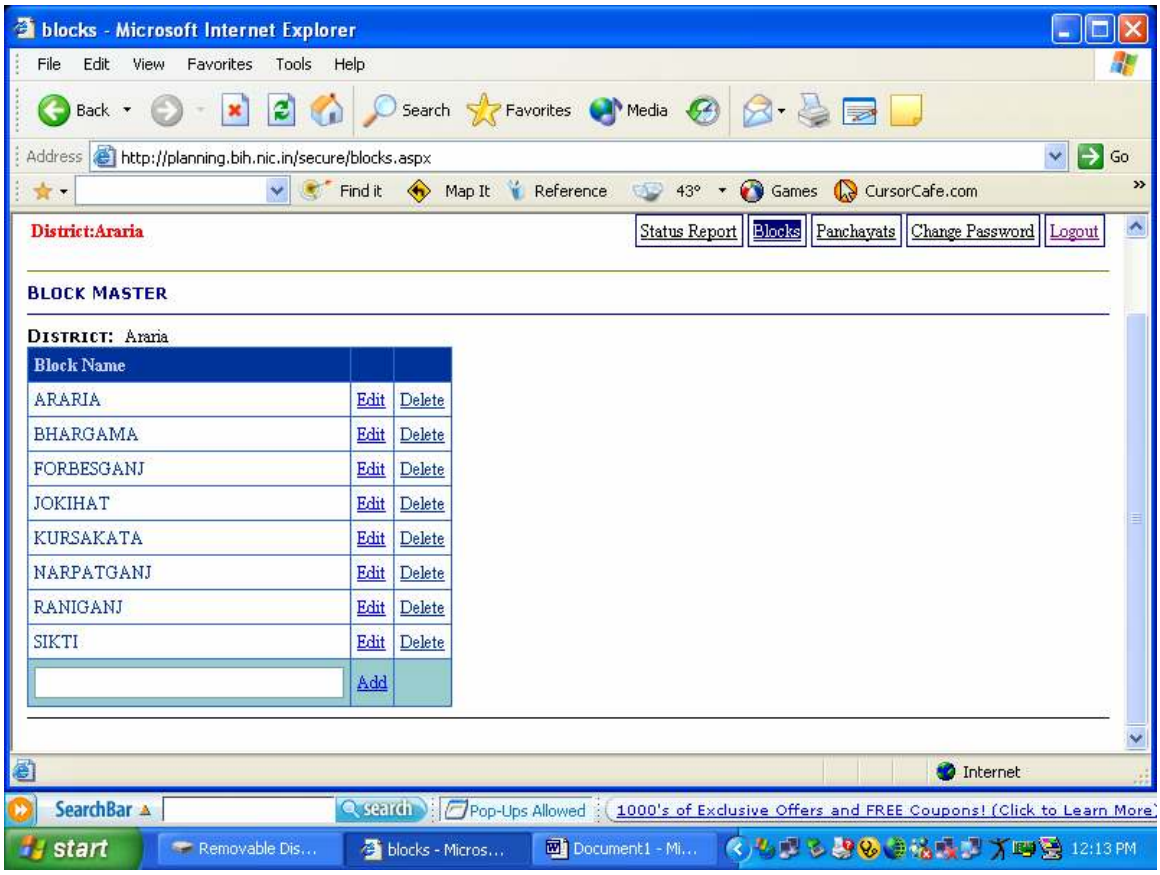

अनुलग्नक – ख Screen 3

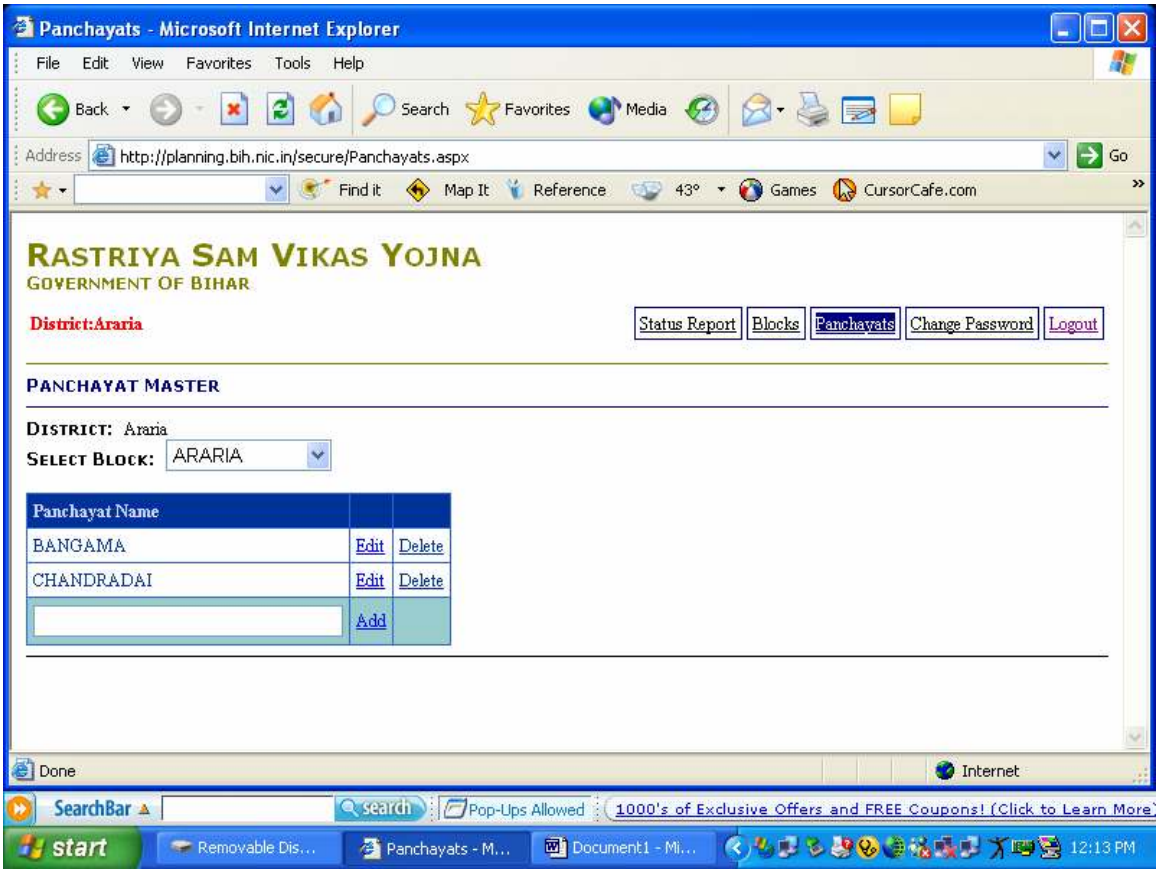

अनुलग्नक – ख Screen 4

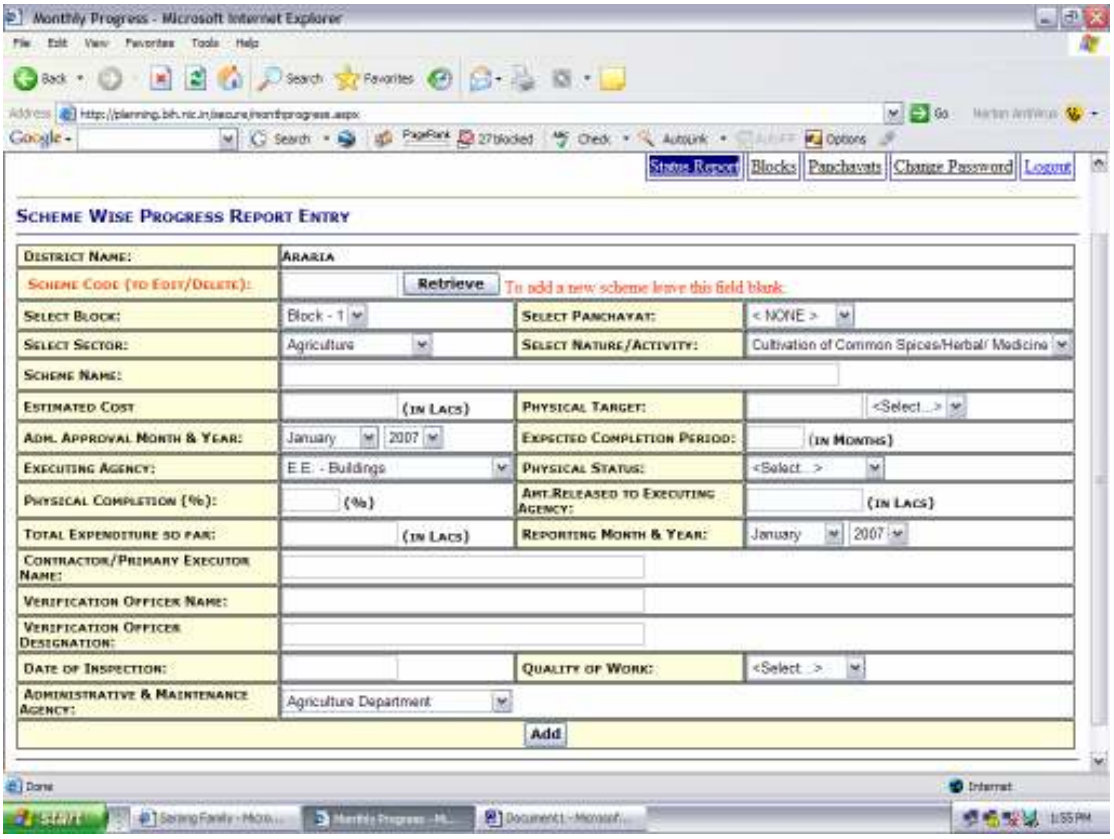

अनुलग्नक – ख Screen 5

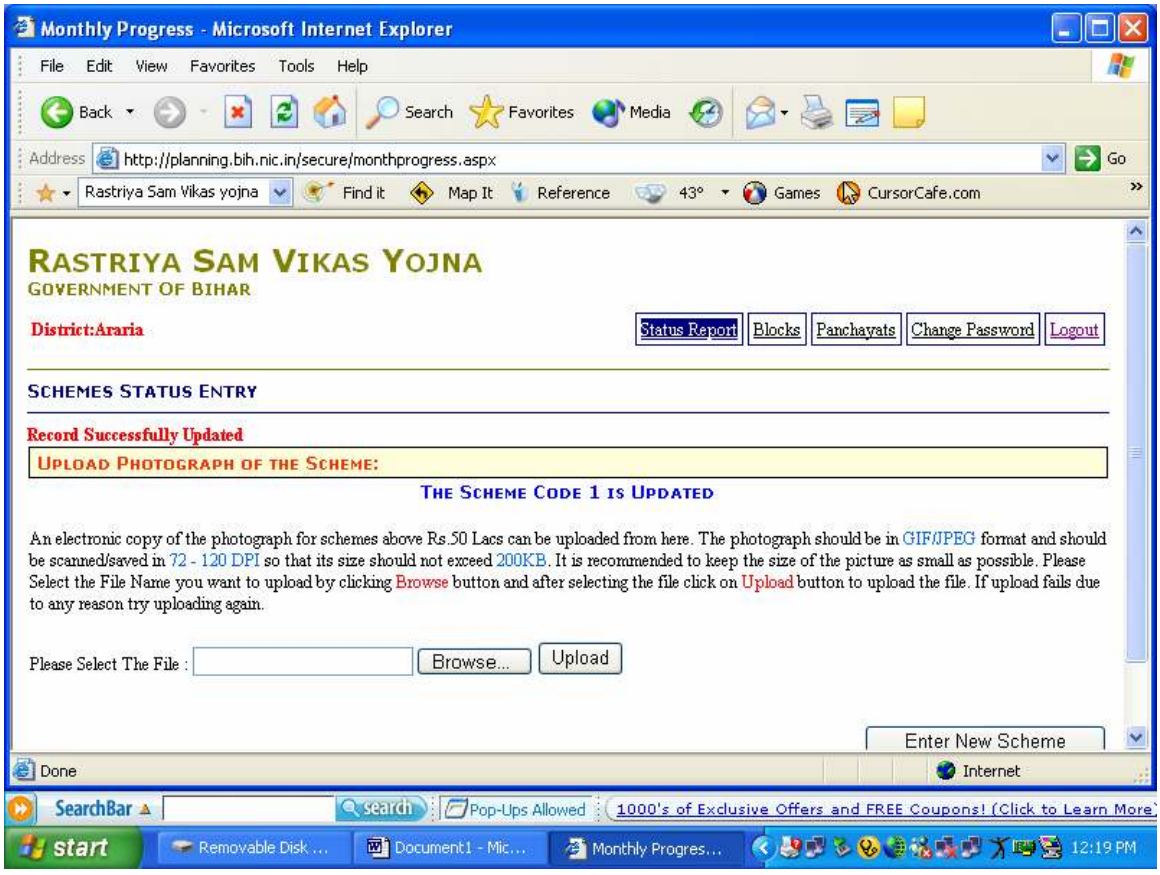

अनुलग्नक – ग

NATURE OF SCHEME UNDER EACH SECTOR OF RSVY

Sl. No.	SECTOR	NATURE OF SCHEME
1	Road & Bridges	Black Top Road
		PCC Road
		Hard Crust Road
		Brick Soling Road
		RCC Bridge Culvert
		Screw Pile Bridge
		Submersible Bridge
		Major Bridge (RCC)
		Others (See Name of Scheme)
2	Health	Sadar Hospital
		Sub-Division Hospital
		P.H.C.
		Addl. P.H.C.
		Health Sub-Centre
		Blood Bank
		Nurse-Midwife Training
		Specialised Hospital
		X-Ray Centre
		Pathology Centre
		Others (See Name of Scheme)
3	Education	Construction/ Repair/ Renovation/Additional Rooms of Primary School
		Construction/ Repair/ Renovation/Additional Rooms of Middle School
		Construction/ Repair/ Renovation/Additional Rooms of High School
		Science Laboratory
		Library
		College-Inter/Degree/Women
		Others (See Name of Scheme)
4	Drinking Water	Drinking Water
		Tube-well
		Hand Pumps

		Well
		Rig-Boring with Pumps
		Water Tanks
		Piped Water Scheme
		Others (See Name of Scheme)
5	Irrigation	Repair of Canal
		Pyne
		Ahar
		Ponds
		Micro Lift Irrigation-Intake Well
		Micro Lift Irrigation-Dug Well
		Others (See Name of Scheme)
6	Agriculture	Upgradation & Renovation of Soil Testing Laboratory
		Seed Testing Lab.
		Integrated Agril. Dev. Centre
		Training
		Mini Cold Storage
		Cultivation of Common Spices/Herbal/ Medicine
		Plant Protection
		Kishan Mela
		Mini Kits Seed Distribution
		Others (See Name of Scheme)
7	Fisheries	Development of Fish Ponds
		Development of Hatchery
		Fish Market
		Training
		Others (See Name of Scheme)
8	Animal Husbandry	District Vetinary Hospital
		Subdivisional Vet. Hospital
		Vet. Centres
		Vet.Sub-Centre
		Mobile Vet. Centre
		Subsidy to Beneficieries
		Training
		Artificial Insemination Centre
		Others (See Name of Scheme)
9	Industries	Mini Rice Mill
		Food Processing Units
		Fruit Processing Units
		Vegetable Processing Units
		Training to Beneficiaries
		Working Capital to Trainees
		Others (See Name of Scheme)
10	Drainage	Construction of Drainage System
		Repair/Renovation
		Others (See Name of Scheme)
11	Security Related	Boundary Wall of Police Station
		Out Posts

		Watch Tower
		Morcha
		Fencing
		Others (See Name of Scheme)
12	Tourism	Development of Tourist Spot/Site
		Beautification
		Construction of Tourist Centre
		Others (See Name of Scheme)
13	Electrification	Non-Conventional Sources of Energy
		Street Lighting
		Solar Lamps
		Generator Set
		Dragon Light
		Search Light
		Feeder
		Others (See Name of Scheme)
14	Sports	Construction of Outdoor Stadium
		Construction of Indoor Stadium
		Sports Training Centre
		Distribution of Sports Kits
		Others (See Name of Scheme)
15	Welfare	Welfare Hostel
		Construction/Repair/Addl. Rooms of SC (Boys) School
		Construction/Repair/Addl. Rooms of SC (Girls) School
		Construction/Repair/Addl. Rooms of ST (Boys) School
		Construction/Repair/Addl. Rooms of ST (Girls) School
		Others (See Name of Scheme)
16	Social Welfare	Construction of Aaganwari Centre
		Centre of Physically Disabled Persons
		RAMPS
		Construction of Godown and Training Centre for ICDS
		Others (See Name of Scheme)
17	Urban Development	Construction of Bus Terminal/Bus Stand/ Auto Stand
		Tower Light
		Urban Drainage
		Others (See Name of Scheme)
18	Others	Disaster Management
		Raised Platform (Flood Control)
		Dairy
		Contigency
		Monitoring
		Forestry
		Arts& Culture
		Flood Protection Works

		Information Kiosks
		Solar Energy
		Survey
		Others (See Name of Scheme)

अनुलग्नक – घ

LIST OF EXECUTING AGENCY

Sl. No.	Executing Agency
1	E.E. Building
2	E.E. Irrigation
3	E.E. Minor Irrigation
4	E.E. Road Construction Department
5	E.E. Rural Engineering Organisation
6	Individual Beneficiery
7	Local Bodies
8	Mothers Committee
9	Nagar Parisad
10	Others
11	Panchayat Samiti
12	School Management Committee
13	Zila Parisad

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: रा0स0वि0यो03-19/04-2036 /यो0वि0, पटना, दिनांक 30 जून, 2006

प्रेषक,

एन0 एस0 माधवन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय: राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

प्रसंग: वित्त विभाग का संकल्प संख्या 3828 वि0(2) दिनांक 12.06.06

महाशय,

राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 1662 दिनांक 25.04.1997 के प्रावधान लागू है । प्राय: यह देखा गया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं की संख्या अधिक है तथा इन योजनाओं पर वर्त्तमान प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण समय लग जाता है जिससे जिला स्तर पर योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन एवं सम्पादन प्रभावित होता है ।

इस प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमंडलीय आयुक्त/अधीक्षण अभियंता एवं जिला पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता के स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि की जाय ।

तद्नुसार राज्य सरकार के द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के लिए निम्नवत् प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है:-

प्रमंडलीय आयुक्त	प्रशासनिक स्वीकृति	50 लाख से 10 करोड़ रु0 तक
जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति	50 लाख रुपया तक
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 लाख से 10 करोड़ रु0 तक
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 लाख रुपया तक

इस संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या 3828 वि0(2) दिनांक 12.06.2006 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न है ।

उपर्युक्त के आलोक में प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए

योजनाओं के स्वीकृति एवं कार्यान्वयन की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एन0 एस0 माधवन)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-19/04- 2036 /यो0वि0, पटना, दिनांक 30 जून, 2006

प्रतिलिपि: वित्त आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-19/04-2036 /यो0वि0, पटना, दिनांक 30 जून, 2006

प्रतिलिपि: सभी जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
संकल्प

राज्य योजना मद के योजनाओं का सूत्रण एवं अनुमोदन राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा किया जाता है । अनेक विभाग के द्वारा अपने योजनाओं/कार्यक्रमों के सूत्रण एवं अनुमोदन के कार्य को विकेन्द्रीकृत भी किया गया है । समय के परिर्वतन और आर्थिक विकास की अवधारणा में वदलाव आने के कारण वर्तमान में योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की भूमिका अत्यंन्त महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि सीमित संसाधनों का अधिकतम लाभ गुणवता सहित जन सामान्य को प्राप्त हो । इसी पृष्ठ भूमि में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यो में प्रमंडलीय आयुक्तों की सक्रियता बढ़ाने के लिए एक नियोजित अनुश्रवण व्यवस्था अनिवार्य हो गया है।

प्रमंडलीय आयुक्तों से राज्य सरकार की अपेक्षा है कि वे अपने प्रमंडलाधीन जिलों के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं की गहन समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगें । अनुश्रवण से संबंधित आँकड़े/सूचनाएँ इंटरनेट पर उपलब्ध रहेंगी ताकि जन सामान्य को योजनाओं के प्रगति की जानकारी सहजता से प्राप्त हो सके ।

2. इस क्रम में राज्य सरकार के द्वारा गहन विचारोपरान्त योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यो हेतु प्रमंडलीय आयुक्तों को क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारी धोषित किया गया है ।

3. योजनाओं के अनुश्रवण/सूचनाऐं इन्टरनेट पर उपलब्ध कराना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों का उत्तरदायित्व होगा ।

4. क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारी के रुप में प्रमंडलीय आयुक्तों को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यो में सहयोग हेतु योजना एवं विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:-

(क) सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को योजना एवं विकास विभाग के द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है । इस क्रम में वर्ष 2005-06 में योजना विभाग के द्वारा पटना, गया एवं तिरहुत प्रमंडलों को कम्प्यूटरों की आपूर्ति की गयी है ।

(ख) प्रमंडलीय मुख्यालय में पदस्थापित जिला योजना पदाधिकारी कार्यान्वित योजनाओं की मौलिक/प्राथमिक सूचनाएँ/आँकड़े संकलित कर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को उपलब्ध करायेंगे ।

(ग) प्रमंडलीय आयुक्तों को उनके प्रमंडल में पदस्थापित उप निदेशक, साख्यिकी आँकड़ों के संकलन में सहयोग प्रदान करेंगे । वर्ष 2005-06 में सभी प्रमंडलीय सांख्यिकी एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों को इन्टरनेट संयुक्त करने की परियोजना स्वीकृत की गयी है इस

प्रकार सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वृहत् क्षेत्र नेटवर्किंग (WAN) सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

(घ) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अन्तर्गत राज्य योजना के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजना सम्मिलित रहेंगे ।

(एन0 एस0 माधवन)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-16/06-2021 /यो0वि0, दिनांक 28 जून, 2006
प्रतिलिपि: सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-16/06-2021 /यो0वि0, दिनांक 28 जून, 2006
प्रतिलिपि: निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार/उप निदेशक(सांख्यिकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो0-3-16/20062021 /यो0वि0 पटना/ दिनांक 28 जून, 2006
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारवाग को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 50 प्रतियॉ विभाग को भी उपलब्ध करयी जाय ।

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

पटना

दिनांक 17.05.2005

संकल्प संख्या रा0स0जि0यो0 19/2004/ राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत आठ उग्रवाद प्रभावित जिला तथा तेरह जिला के विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से प्रथम चरण के तहत 157.50 करोड. रुपया 21 जिलों को आवंटित किया गया है । इस राशि से योजना आयोग, भारत सरकार के प्राधिकृत समिति के द्वारा अनुमोदित योजनाओं का कार्यान्वयन होना है ।

राष्ट्रीय सम विकास योजना कार्यक्रम के तहत निर्माण प्रकृति के परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी । अत: समीक्षोपरांत राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित निर्माण प्रकृति के योजनाओं को लोक निर्माण संहिता (पी0डब्ल्यू0डी0 कोड के प्रावधानों के अनुरुप निविदा के माध्यम से कराया जायेगा, ताकि योजना कार्य की गुणवत्ता बरकरार रहे एवं इसमें सम्पूर्ण पारदर्शिता परिलक्षित हो । समिति भी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के तहत विभागीय अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाना निषिद्ध है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक: 981 दिनांक 17.05.2005

प्रतिलिपि: संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक: 981 दिनांक 17.05.2005

प्रतिलिपि: सभी संबंधित विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संख्या- रा0स0वि0यो0 3-19/2004-673 /यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना ।

विषय : बजट शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-राज्य योजना-800-अन्य व्यय-0104-राष्ट्रीय सम विकास योजना (पिछड़ा जिला के लिए पहल) विपत्र कोड- पी0 2053008000104 के अर्न्तगत राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत पिछड़े जिलों एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए जिला योजना के कार्यान्वयन हेतु 94500. 00 लाख (नौ सौ पैतालीस करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति एवं वर्ष 2004-05 में 12000.00 लाख (एक सौ बीस करोड़)रू0 मात्र की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल के तहत आठ उग्रवाद प्रभावित जिलों तथा 13 पिछड़े जिलों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने, जिलों के असंतुलित विकास तथा विकास की गति को तीव्र करने के उद्येश्य से निम्न कृषि उत्पादकता, वेरोजगारी की समस्या तथा भौतिक एवं सामाजिक संरचना के अंतरालों को पाटने हेतु जिला योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 94500.00 लाख (नौ सौ पैतालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति दसवीं पंचवर्षीय योजना काल तक के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुलग्नक-1 के अनुसार दी गयी है। वर्ष 2004-05 में उपलब्ध येाजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप 12000.00 लाख (एक सौ बीस करोड़ रूपये) मात्र विमुक्ति की स्वीकृति अनुलग्नक-2 के अनुसार प्रदान की जाती है। शेष राशि की विमुक्ति वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में भारत सरकार से विमुक्त राशि उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अनुरूप सभी संबंधित जिलों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना एवं विकास विभाग प्रत्येक वर्ष राशि की निकासी हेतु आवंटन आदेश निर्गत करेगा ।

2- इस योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कराया जायगा । इसका लेखा जोखा एवं अनुश्रवण जिला योजना कार्यालय द्वारा किया जायगा । सभी परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्वीकृत जिला योजना के अनुरूप सभी लाइन विभागों द्वारा किया जायगा ।

3- राज्य सरकार का निर्णय है कि योजना आयोग के प्रधिकृत समिति से जिला योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त मंत्रीपरिषद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी ।

4- सभी जिला पदाधिकारी राष्ट्रीय सम विकास योजना के मार्गदर्शन एवं योजना आयोग के प्राधिकृत समिति के कार्यवाही के आलोक में ही येाजनाओं का कार्यान्वयन सुनिशिचित करेंगे ।

5- योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शन पत्रांक 1662 दिनांक 25-2-1997 के अनुसार दिया जायगा। इसकी सक्षमता के उपर की योजनाओं की स्वीकृति जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के माध्यम से सरकार से प्राप्त करेगें ।

6- इस येाजना हेतु वर्ष 2004-05 में 12000.00 लाख (एक सौ बीस करोड़ रूपये) मात्र का बजट उपबंध है, जो बजट शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-राज्य योजना-800-अन्य व्यय-0104-राष्ट्रीय सम विकास येाजना (पिछड़ा जिला के लिए पहल) विपत्र कोड- पी. -2053008000104 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे । वे आवंटन के आलोक में एक मुश्त में राशि का आहरण कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अलग खाता खोलकर रखेंगे ।

8- उपर्युक्त राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति एवं महामहिम राज्यपाल की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक--रा0स0वि0यो03-19/2004-673 /यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रतिलिपि -महालेखाकार, लेखा एवं अंकेक्षण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-रा0स0वि0यो03-19/2004-673 /यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रतिलिपि- संबंधित जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक--रा0स0वि0यो03-19/2004-673 /यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2005

प्रतिलिपि- संबंधित जिला येाजना पदाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/लेखा एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

अनुलग्न–2

राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में स्वीकृत राशि की जिलावार विवरणी

(रूपया लाख में)

क्रमांक	**जिला का नाम**	**दसवीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए स्वीकृत राशि**
1	गया	750.00
2	जहानाबाद	750.00
3	औरंगाबाद	750.00
4	नवादा	750.00
5	पटना	750.00
6	नालन्दा	750.00
7	भोजपुर	750.00
8	रोहतास	750.00
9	कैमूर	750.00
10	मुजफ्फरपुर	750.00
11	शिवहर	750.00
12	दरभंगा	750.00
13	मधुबनी	750.00
14	समस्तीपुर	750.00
15	पूर्णिया	750.00
16	कटिहार	750.00
	कुल योग	**12000.00**

(एक सौ बीस करोड़ रूपये मात्र)

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए स्वीकृत राशि की जिलावार विवरणी

(रूपया लाख में)

क्रमांक	**जिला का नाम**	**स्वीकृत राशि**
1	गया	4500.00
2	जहानाबाद	4500.00
3	औरंगाबाद	4500.00
4	नवादा	4500.00
5	पटना	4500.00
6	नालन्दा	4500.00
7	भोजपुर	4500.00
8	रोहतास	4500.00
9	कैमूर	4500.00
10	मुजफ्फरपुर	4500.00
11	वैशाली	4500.00
12	शिवहर	4500.00
13	दरभंगा	4500.00
14	मधुबनी	4500.00
15	समस्तीपुर	4500.00
16	सुपौल	4500.00
17	पूर्णिया	4500.00
18	कटिहार	4500.00
19	अररिया	4500.00
20	जमुई	4500.00
21	लखीसराय	4500.00
	कुल योग	**94500.00**

(नौ सौ पैतालीस करोड़ रूपये मात्र)

(विजय कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: रा0स0वि0यो03-7/2005-1883/यो0वि0,पटना दिनांक 13.08.2005

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

गया/जहानाबाद/औरंगाबाद/नवादा/पटना/नालन्दा/भोजपुर/रोहतास/कैमूर/ मुजफ्फरपुर/सुपौल/पूर्णियाँ/कटिहार/अररिया/जमुई/लक्खीसराय/वैशाली/ शिवहर/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर ।

विषय: **राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल योजना के अधीन स्टेशनरी, वाहन हेतु पेट्रोल तथा परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु राशि के वहन के संबंध में** ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल के अधीन कार्यान्वित की जानेवाली योजना के कार्यान्वयन में स्टेशनरी, वाहन हेतु पेट्रोल एवं डी0पी0आर0 तैयार करने में व्यय की राशि के वहन के संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है । राज्य सरकार ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के लिए पहल अंतर्गत जिले को उपलब्ध करायी गयी राशि का 0.5 प्रतिशत राशि स्टेशनरी, एक वाहन के लिए प्रतिमाह 110 लिटर पेट्रोल, डीजल तथा परियोजनाओं के डी0पी0आर0 के तैयारी पर व्यय किया जाय । योजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने में उपर्युक्त से अधित व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि योजना/परियोजना की लागत मूल्य में जोड़ दिया जाय । किसी भी परिस्थिति में इस राशि से वाहन/क्रय नहीं किया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन द्रुत गति से कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय कुमार वर्मा)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक: रा0स0वि0यो03-7/05-1883/यो0वि0,पटना, दिनांक 13 अगस्त, 2005

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना से संबंधित सभी आयुक्त एवं सचिव/ सचिव/ सभी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो04/1-18/06- /यो0वि0,पटना दिनांक सितम्बर,2006

प्रेषक,

एन0 एस0 माधवन,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय: **राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना अंतर्गत आकस्मिकता मद से कंसलटेन्ट की नियुक्ति हेतु कैपेसिटी विल्डींग (Capacity Building) नामक योजना के सूत्रण के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिलों में विभिन्न प्रक्षेत्रों की योजनाएँ चयनित की जा रही है । इन योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी0पी0आर0) की आवश्यकता होती है । प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ससमय तथा ठीक ढ़ंग से तैयार करने हेतु प्रमंडलीय स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिले में चल रहे योजना एवं गैर योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में कैपेसिटी विल्डींग (Capacity Building) नाम की योजना के सूत्रण करने हेतु निर्णय लिया गया है । इस योजना पर प्रत्येक जिला को 5.00 लाख रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया । इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के प्राप्त होनेवाली राशि में 0.5 प्रतिशत राशि जो स्टेशनरी, वाहन हेतु पेट्रोल/डीजल एवं परियोजना के साथ डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु प्रावधानित है ।

अत: परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले का 5.00 लाख(पाँच लाख रुपये) की राशि राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना अंतर्गत प्राप्त राशि के 0.5 प्रतिशत से Consultant की नियुक्ति हेतु Capacity Building नामक योजना के सूत्रण पर व्यय की अनुमति दी जाती है । योजना एवं विकास विभाग को विभिन्न जिलों से प्राप्त अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार इस प्रक्षेत्र/मद में व्यय नगण्य है, अतएव इस प्रकार इस योजना के लिए कर्णांकित की जा रही राशि आपके जिला में व्यय हेतु उपलब्ध है । Consultant के चयन में बिहार वित्त

(संशोधन) नियमावली, 2005 के Procurement of Services का पालन निश्चित रुप से किया जाय।

विश्वासभाजन

(एन0 एस0 माधवन)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक: यो04/1-18/06- /यो0वि0,पटना दिनांक सितम्बर,2006

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः रा0स0वि0यो03–19 / 04– / यो0वि0,पटना,दिनांक अप्रैल, 2007

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषयः **राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़ा जिला पहल एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के तहत जिला योजना के कार्यान्वयन अन्य कार्यकारी एजेन्सियों के साथ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के माध्यम से कराये जाने के संबंध में ।**

प्रसंगः योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक **2109** दिनांक **07.07.2006** एवं पत्रांक **2666** दिनांक **23.08.2006**.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि राज्य स्तरीय बैठकों में समीक्षा के क्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सियों के अभाव का उल्लेख किया गया है तथा अन्य कार्यकारी एजेन्सियों के साथ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को भी कार्यकारी एजेन्सी के रुप में चयनित करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

इस विषय पर योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को निर्माण प्रकृति की योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व निम्नलिखित शर्त्तों के साथ सौंपा जा सकता हैः–

(क) योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक **981** दिनांक **17.05.2005** एवं आदेश संख्या **1846** दिनांक **11.08.2005** में निहित निदेशों के आलोक में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल भी योजनाओं का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आलोक में निविदा के माध्यम से करावेंगे ;

(ख) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को निर्माण प्रकृति की ऐसे अवशेष कार्यों का ही दायित्व सौंपा जाय जो स्वीकृति हेतु अभी भी लंबित है ;

(ग) योजना एवं विकास विभाग के निदेश के आलोक में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा भी कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित किये जाने वाले निविदा में सभी कार्य प्रमंडलों में निबंधित संवेदक भाग लेंगे ।

विश्वासभाजन

(**रामेश्वर सिंह**)
सचिव ।

ज्ञापांकः रा0स0वि0यो03–19/04– /यो0वि0,पटना,दिनांक अप्रैल, 2007

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त, बिहार/आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला योजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः रा0स0वि0यो03–19/04– /यो0वि0,पटना,दिनांक जून, 2007

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः **राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप निविदा निष्पादित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध मे ।**

प्रसंगः वित्त विभाग का संकल्प संख्या **3415** दिनांक **22.05.2007**

महाशय,

राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की शक्तियॉ वित्त विभाग के संकल्प संख्या **3828** दिनांक **12.06.2006** के द्वारा प्रत्यायोजित की गई थी । उक्त प्रत्यायोजन के बावजूद योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा था । विलम्ब के कारणों की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी कि लोक निर्माण संहिता में योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों के अतिरिक्त निविदा निस्तार की शक्तियॉ भी विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित है । वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र के द्वारा तकनीकी शक्तियों का प्रत्यायोजन तो किया गया था परन्तु निविदा निस्तार की शक्ति यथावत थी, जिसके कारण जिस उद्देश्य से तकनीकी पदाधिकारियों की तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों में वृद्धि की गयी थी वह उद्देश्य पूरा नही हो पा रहा था ।

2. इस विषय पर सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या **3828** दिनांक **12.06.2006** के द्वारा प्रत्यायोजित तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों के अनुरूप निविदा निस्तार की शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है । तत्संबंधी वित्त विभाग के संकल्प संख्या **3415** दिनांक **22.05.2007** की छायाप्रति संलग्न है ।

3. ऐसी अनौपचारिक सूचना मिल रही है कि उपर्युक्त योजनाओं के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारियों को योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी जाती; दूसरी ओर नियंत्री पदाधिकारियों यथा मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता द्वारा इन योजनाओं का सम्यक निरीक्षण नहीं किया जाता । विभिन्न जिलों/प्रमंडलों में अलग–अलग ढंग से प्राक्कलन बनाने की भी अनौपचारिक सूचना मिली है । तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का

एक मात्र उद्देश्य योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में तीव्रता लाना है; योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुसूचित दरों के लागू होने और वरीय तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा उनके निरीक्षण/समीक्षा संबंधी मार्गदर्शन को शिथिल नहीं किया गया है ।

4. उपर्युक्त के आलोक में एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है किः–

(i) हर स्तर पर सक्षम विभाग द्वारा संगत क्षेत्र के लिए लागू और स्वीकृत अनुसूचित दरों का पूर्ण पालन किया जाए; निर्माण के वैसे कार्य, जिनकी दरें अनुसूचित दरों में शामिल न हों, उन पर सक्षम तकनीकी प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

(ii) सभी कार्यपालक अभियंता सभी स्वीकृत प्राक्कलनों, निविदा निस्तार संबंधी निर्णयों की पूर्ण सूचना एवं पाक्षिक/मासिक प्रतिवेदनों की प्रति नियंत्री अधीक्षण अभियंता को अवश्य उपलब्ध करावेंगे। उसी प्रकार अधीक्षण अभियंता भी मुख्य अभियंता एवं राज्य मुख्यालय को सभी संगत कागजातों की प्रति देगें।

(iii) वरीय पदाधिकारी का योजनाओं के निरीक्षण/पर्यवेक्षण आदि के संबंध में जो दायित्व विभागों मे पूर्व निर्धारित है वे इन सभी योजनाओं पर भी लागू रहेंगे ।

इस परिपत्र की प्रति सभी स्थानीय अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंताओं को अपने स्तर से अनुपालन हेतु दी जाए ।

अनुलग्नकः **यथोक्त** ।

विश्वासभाजन,

(**रामेश्वर सिंह**)
सचिव ।

ज्ञापांकः रा0स0वि0यो03–19/04– /यो0वि0,पटना,दिनांक जून,2007

प्रतिलिपिः आयुक्त एवं सचिव/सचिव/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव ।

ज्ञापांकः रा0स0वि0यो03–19/04– /यो0वि0,पटना,दिनांक जून,2007

प्रतिलिपिः सभी जिला योजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव ।

ज्ञापांकः रा0स0वि0यो03–19/04– /यो0वि0,पटना,दिनांक जून,2007

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/वित्त आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव ।

पत्र सं0–एम–4–35/2007 वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक–

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3828 दिनांक 12.06.06 द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं कार्यपालक अभियंन्ता को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है उन शक्तियों के अनुरुप उन्हें निविदा निस्तार की शक्तियॉ भी प्रदत्त की जाती है ।

उपर्युक्त शक्तियॉ मात्र राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के संबंध में ही लागू होगी । अन्य मामलों में लोक निर्माण संहिता के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

ह0/–

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञाप संख्या– एम–4–35/2007 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञाप संख्या– एम–4–35/2007 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

अध्याय-6

ऐसे दस्तावेजो के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन प्रवर्गो का विवरण ।

अनुलग्नक-1

Department/Sectorwise Annual Plan Outlay & Expenditure 2005-06

अनुलग्नक-1

बिहार योजना एवं विकास सेवा नियमावली 2005

अनुलग्नक-1

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या-यो./स्था.1/6-46/96-1403 /यो.वि. तिथि 02.07.05 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा योजना एवं विकास विभाग में भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

बिहार योजना एवं विकास सेवा नियमावली 2005

अध्याय -1

प्रारम्भिक

1: **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-** (i) यह नियमावली बिहार योजना एवं विकास सेवा नियमावली, 2005 कही जा सकेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2: **परिभाषा :-** इस नियमावली में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ।
(ii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ।
(iii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है योजना एवं विकास विभाग

(iv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।
(v) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार योजना एवं विकास सेवा ।
(vi) ''सदस्य'' या ''सेवा के सदस्य'' से अभिप्रेत है, बिहार योजना एवं विकास सेवा में नियुक्त व्यक्ति ।
(vii) ''सीमित प्रतियोगिता परीक्षा'' से अभिप्रेत है बिहार योजना एवं विकास सेवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा ।
(viii) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची ।

3: **सेवा की संरचना :-** यह सेवा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगा । इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का विवरण अनुसूची- I में दिया गया है। राज्य सरकार समय-समय पर इस सेवा की विभिन्न कोटियों के बल का निर्धारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके कर सकेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा में स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी ।

अध्याय 2

भर्ती

4: **भर्त्ती का स्रोत :-** (i) इस सेवा की मूल कोटि के पदों की पचहत्तर प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्त्ती से भरी जायेगी । ऐसी भर्त्ती आयोग द्वारा लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर की गयी अनुशंसाओं के आधार पर की जायेगी ।

(Ii) शेष पच्चीस प्रतिशत रिक्तियाँ विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत समूह 'ग' के कर्मचारियों से आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर भरी जायेगी ।

5: **सीधी भर्त्ती हेतु अर्हता :-** (i) उम्मीदवार [illegible] उतनी होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाय ।

(ii) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या वाणिज्य या ग्रामीण अर्थशास्त्र या भौतिकी या बिजनेश एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य होगा ।

6: **चयन का आधार :-** (i) आयोग सीधी भर्त्ती हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्ति के आधार पर विज्ञापनोपरान्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा मौखिक परीक्षा का आयोजन करेगा। ऐसी परीक्षाएँ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं से भिन्न होगी ।

(ii) परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम- परीक्षाओं के लिए विषय, पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

7: **रिक्तियों का निर्धारण :-** (1) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष एकतीस मार्च तक सेवा में सीधी नियुक्ति एवं सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों में से चयन द्वारा नियुक्ति हेतु रिक्तियों को अलग-अलग निर्धारित करेगी,

परन्तु यह कि किसी वर्ष में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति से भरी जाने वाली रिक्तियाँ कुल रिक्तियों के पचीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्धारित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियों के संबंध में सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी होगी ।

(3) **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्तियाँ :-** आयोग द्वारा संचालित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के सफल उम्मीदवारों द्वारा भरा जायेगा ।

(4) **उम्मीदवारों के लिए पात्रता :-** सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियोजन हेतु उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक हो ।

(ii) जिस बैच की परीक्षा है, उसके लिए निर्धारित मानक तिथि को समूह-ग की श्रेणी में कम-से-कम दस वर्षो से लगातार सरकारी सेवा में हो,

(iii) जिस बैच की परीक्षा है उसके लिए निर्धारित अर्हता की तिथि/मानक तिथि उस वर्ष की पहली अगस्त को पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र का नही हो ।

(ख) किन्तु वह इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन से अधिक अवसरों में भाग नहीं ले सकेगा ।

(5) **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम** – इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची- III में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा होगी, किन्तु राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर अनुसूची में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

(6) **मौखिक परीक्षा** – सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक अन्तर्वीक्षा नहीं होगी।

(7) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक – सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवार को सफल होने के लिए लिखित परीक्षा के पूर्णांक का न्यूनतम चालीस प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी ;

परन्तु यह कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों से उस वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों को नही भरे जा सकने की स्थिति में शेष रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जायगा ।

(8) **आयोग को रिक्तियों का संसूचन** – सरकार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु रिक्तियों के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक वर्ष तीस जून तक आयोग को निर्धारित संख्या की सूचना देगी ।

(i) आवेदक अपना आवेदन आयोग द्वारा निहित प्रपत्र में अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से आयोग के पास भेज देगा ।

(ii) आयोग परीक्षा हेतु अपेक्षित शुल्क ले सकेगा ।

(9) **आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा** -

(i) आयोग सफल उम्मीदवारों की सूची गुणागुण के कमानुसार रिक्तियों को भरने के लिए तैयार करेगा। जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त हो तो उनकी गुणागुण सूची उम्र के आधार पर निर्धारित किया जायगा । इस प्रकार तैयार की गई सूची विभाग को आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(ii) किसी खास वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तयों को नही भरी जा सकने अथवा योगदान न करने से उपलब्ध रिक्तियाँ अगले वर्ष के लिए अग्रनीत कर दी जायेगी ।

8: **सीधी भर्त्ती हेतु आयोग द्वारा अभ्युर्थियों की अनुशंसा** :- आयोग मुख्य लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा । ऐसी तैयार की गई सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या में अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गयी है। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने या रिक्तियों के बढ़ने की स्थिति में एक वर्ष के अन्दर उसी मेधा सूची (पैनेल) में से अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जा सकेगी । मेघा सूची की वैधता सूची प्राप्ति की तिथि के वित्तीय वर्ष तक ही रहेगी ।

9: **वरीयता :-** नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गई क्रमानुसार मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा ।

10: **परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि-** (i) नियुक्ति के बाद दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि होगी । परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने पर तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से अपेक्षित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि हो सकेगी ।

(ii) प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से परामर्श कर निर्धारित किया जा सकेगा ।

(iii) विभागीय परीक्षा गजेटेड ऑफीसर्स डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन रूल्स, 1961 के अनुसार केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा ली जायेगी ।

अध्याय -3

प्रोन्नति

11: **प्रोन्नति :-** (i) मूल कोटि से उच्चतर कोटि/कोटियों में प्रोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में आने के प्रयोजनार्थ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कालावधि निर्धारण के संबंध में निर्गत निदेशो के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन अलग से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में किया जा सकेगा ।

(iii) उच्चतर कोटि में जो कर्मी पूर्व से नियुक्त है वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से संबंधित कोटि में प्रोन्नत माने जायेंगे ।

अध्याय - 4

प्रकीर्ण

12: **आरक्षण** - मूल कोटि में भर्त्ती तथा उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति में आरक्षण अधिनियम तथा उसके तहत निर्गत संकल्पों/अनुदेशों/रौस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

13: **पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति** - इस सेवा के सदस्य को सरकार के किसी भी विभाग के अधीन बिहार राज्य के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

14: **वेतन** - विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय ।

15: **प्रशिक्षण** - इस सेवा के सदस्यो को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा ।प्रशिक्षण की समाप्ति पर किए गए मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा ।

16: इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्त्ते, यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, वेतन, भत्ता, सेवान्त लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली में उल्लिखित नहीं है, के संबंध में राज्य सरकार के सेवकों के प्रयोजनार्थ तत्समय लागू नियमावली/नियमावलियों के प्रावधानों से विनियमित होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय कुमार [illegible])

आयुक्त एवं सचिव

अनुसूची – I
(नियम-3 दृष्टव्य)

सेवा की विभिन्न कोटि के पदों का विवरण –

पद कोटि का स्तर	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रू0 में)	वर्तमान पद बल
मूल कोटि	साख आयोजक -सह - ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	6500-10500	40
प्रोन्नति का प्रथम स्तर	जिला योजना पदाधिकारी	8000-13500	38
प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	योजना पदाधिकारी -सह -उप निदेशक (अनुश्रवण)	10000-15200	02
प्रोन्नति का तृतीय स्तर	संयुक्त निदेशक (योजना)	12000-19500	01

नोट :- मूल कोटि में कनीय शोध पदाधिकारी के पद भी शामिल है तथा अपने वरीयता के साथ यह पद साख आयोजक-सह-ग्रामीण विकास विशेषज्ञ का अंग होगा।

अनुसूची – II

(नियम-6 दृष्टव्य)

: आयोग निम्नांकित विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित करेगा –

(1) **प्रारम्भिक लिखित परीक्षा-**

विषय	पूर्णांक	समय
सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	200	3 घंटे

(2) **मुख्य लिखित परीक्षा-**

(क) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर, अधियाचित कुल रिक्तियों की संख्या से दस गुना **अधिक उम्मीदवारों को आयोग मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बुलायेगा । इसके लिए** अनिवार्य विषय निम्नानुसार होंगे –

क्रमांक	**विषय**	**पूर्णांक**	**समय**
(i)	सामान्य हिन्दी	100	3 घंटे
(ii)	अर्थशास्त्र	200	3 घंटे
(iii)	सांख्यिकी/गणित	200	3 घंटे

(ख) सामान्य हिन्दी में अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक होगा किन्तु मेधासूची निर्धारण हेतु इसमें प्राप्त अंक को जोड़ा नहीं जायगा ।

(ग) वैकल्पिक विषय –

क्रमांक	**विषय**	**पूर्णांक**	**समय**
(i)	वाणिज्य	200	3 घंटे
(ii)	भौतिकी	200	3 घंटे
(iii)	बिजनेश एडमिनिस्ट्रेशन	200	3 घंटे

नोट- किसी अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों में से किसी एक को रखना होगा।

(3) मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, संसूचित कुल रिक्तियों के तीन गुना अधिक संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायगा। साक्षात्कार में मौखिक परीक्षा कुल 120 अंकों की होगी ।

(4) पाठ्यक्रम :- (i) प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होगा ।

(iii) 2 (क) 2 (ख) में उल्लिखित विषयों का पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री के लिए पटना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के समान होगा ।

अनुसूची - III
(नियम-7 दृष्टव्य)

इस सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम

परीक्षा में कुल दो पत्र होंगे जो प्रत्येक 100 अंकों का होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी ।

प्रथम पत्र

प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा विकास संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रकृति का होगा ।

द्वितीय पत्र

द्वितीय पत्र में निम्नलिखित नियमावली, संहिता से प्रश्न पूछे जायेंगे। कोई भी पश्न अनिवार्य नही होगा :-

(1) बिहार सेवा संहिता
(2) बिहार पेंशन नियमावली (3) बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली
(4) सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली
(5) बिहार यात्राभत्ता नियमावली
(6) बिहार राज्य सरकारी सेवक आचार नियमावली
(7) बिहार कोषागार संहिता
(8) बिहार वित्तीय नियमावली
(9) अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित लागू नियमावली

ज्ञापांक-यो.स्था.1/6-46/96- 1403/ यो.वि., पटना, दिनांक 02 जुलाई,2005

प्रतिलिपि अधीक्षक, गॉवर्मेंट प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इस नियमावली के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया इसकी 60-60 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय ।

सरकार के उप सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-यो.स्था.1/6-46/96- 1403/ यो.वि., पटना, दिनांक 02 जुलाई,2005

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, विधि विभाग/ वैयक्तिक दाता कोषांग, वित्त विभाग को नियमावली की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

अध्याय –7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉं, जो उनकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ।

योजना एवं विकास विभाग के द्वारा जिला स्तर पर जिला योजना के सूत्रण, स्वीकृति एवं अनुश्रवण हेतु विभागीय पत्रांक 682 दिनांक 15.03.1983 द्वारा एक जिला योजना एवं विकास परिषद् तथा उसकी कार्यकारिणी समिति गठित है जिससे संबंधित परिपत्र संलग्न है ।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग ।

संकल्प

पटना दिनांक –15 मार्च 1983 ई0

संख्या 682/यो0वि0, संकल्प संख्या 2634 दिनांक 28 सितम्बर, 1981 का अवक्रमण करते हुए राज्य सरकार के प्रत्येक जिला में जिला योजना एवं विकास परिषद् को पुनर्गठित करने का निश्चय किया है, जो इस प्रकार है :-

1.	मुख्यमंत्री द्वारा मनोनित राज्य सरकार का एक मंत्री	– अध्यक्ष ।
2.	प्रमंडलीय आयुक्त	– उपाध्यक्ष ।
3.	जिला परिषद् का अध्यक्ष	– सदस्य
4.	जिला का सभी सांसद/विधायक/पार्षद्	– सदस्य
5.	पंचायत समितियों के सभी प्रमुख	– सदस्य
6.	जिला परिषद् का उपाध्यक्ष	– सदस्य
7.	राज्य सरकार द्वारा मनोनित विश्वविद्यालय में सेवारत एवं अर्थशास्त्री	– सदस्य
8.	जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष	– सदस्य
9.	जिला दण्डाधिकारी	– सदस्य
10.	जिला लोड बैंक का एक प्रतिनिधि	– सदस्य
11.	उप विकास आयुक्त	– सदस्य सचिव

2. जिला योजना एवं विकास परिषद् के कर्त्तव्य और कार्य निम्न प्रकार होगे :-

1. स्थानीय क्षेत्रों की राष्ट्रीय और राजकीय लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं, संभावित और स्थायी विधियों के साधनों का पूरा करने के लिये राज्य सरकार के योजना एवं सम्बद्ध विभागों द्वारा निर्गत संगत दिशा निर्देश के साथ जिला योजना तैयार करने के लिए जिला योजना और कार्यान्वियन समिति का मार्ग दर्शन करना :-

2. और सांस्थानिक एवं अन्य साधन श्रोतों से परिषद् द्वारा जूटाई गई, राज्य सरकार द्वारा जिले की आवंटित निधिका क्षेत्रवार अपर अंचलवार विवरण दिखाना,

3. जिला योजना ईकाई द्वारा बनाई गई जिला योजना को अनुमोदित करना तथा उसे अनुमोदित और राज्य योजना में शामील करने के लिए भेजना,

4. जिला योजना बनाने, साधन श्रोत जूटाने और इसे कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय एवं स्वेच्छिक एजेन्सियां का सहयोग संघटित करना ।

5. जिले में कार्यान्वित की जा रही सभी विकास स्कीमों के आर्थिक और वस्तुगत प्रगति को, सामान्यत: दो महीने में एक बार समीक्षा करना ।

6. राज्य सरकार की निधि आवंटन संबंधी पद्धति के आधार पर आवश्यकतानुसार क्षेत्र के भीतर एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम के लिए अथवा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के विभिन्न निधि के पुर्नविनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित करना और ।

7. उस क्षेत्र के विकास संबंधी आवश्यकताओं और जिले में योजना और विकास कार्य के लगे कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंसा करना ।

3. जिला योजना एवं विकास परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसका गठन निम्नलिखित रूप में होगा:-

1. प्रमंडलीय आयुक्त	अध्यक्ष ।
2. जिला दंडाधिकारी	सह-अध्यक्ष ।
3. उप विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष ।
4. शल्य चिकित्सक	सदस्य ।
5. कार्यपालक अभियंता/अभियंताओं भवन	सदस्य ।
6. कार्यपालक अभियंता/अभियंताओं पथ निर्माण	सदस्य ।
7. कार्यपालक अभियंता/अभियंताओं सिंचाई	सदस्य ।

8.	कार्यपालक अभियंता/अभियंताओं लघु सिंचाई	सदस्य ।
9.	कार्यपालक अभियंता/अभियंताओं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	सदस्य ।
10.	कार्यपालक अभियंता/अभियंताओं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य ।
11.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य ।
12.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य ।
13.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य ।
14.	जिला उद्योग पदाधिकारी	सदस्य ।
15.	जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी	सदस्य ।
16.	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य ।
17.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य ।
18.	जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य ।
19.	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी	सदस्य ।
20.	जिला लोड बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य ।
21.	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य सचिव ।

4. कार्यकारिणी समिति की बैठक महीने में एक बार होगी इसका कार्य और कर्त्तव्य निम्नलिखित होगा :-

(क) विशेष कर जन सामान्य एवं पिछड़ा क्षेत्र एवं लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये तथा जिला योजना के सूत्रण के लिए उपर्युक्त आंकडों का संग्रह संकलन और विशलेषण करना :-

(ख) जिला योजना एवं विकास परिषद् से प्राप्त मार्गदर्शन और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए संगृहीत आंकड़ें के आधार पर जिला योजना तैयार करना और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये इसे परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना,

(ग) अनुमोदित जिला योजना के अन्तर्गत स्कीमों और परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना ।

(घ) इस प्रकार तैयार स्कीमों और परियोजनाओं की निधि की उपलब्धता और इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्ययोजित शक्तियॉ को मद्दे नजर रखते हुए स्वीकृति प्रदान करना,

(ड0) स्कीमों और परियोजनाओं के उचित और सामयिक कार्यान्वयन और अनुश्रवण (मोनोटरिंग) के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करना,

(च) स्कीमों और परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति के साथ-साथ एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में निधि के पुनर्विनियोग की आवश्यकता के बारे में जिला योजना एवं विकास परिषद् तथा राज्य सरकार को अवगत करना,

(छ) जिला में अनुसूचित जातियों के लिये न्यूनतम आवश्यकता आधारित कार्यक्रम आरविशेष संघटक योजना की प्रगति का मोनीटरिंग और

(ज) जिला योजना उत्पादन परिषद् द्वारा जिला के लिए यथानिमित्त नियोजन उत्पादन कार्यक्रम हेतु अपेक्षित मद में तदात्म्य स्थापित करना और जिला योजना में इसका उपबंध करना ।

5. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 1984-85 की वार्षिक योजना अनुमोदित हो जाएगी तो प्रस्तावित योजना उद्व्यय का 70 प्रतिशत राज्य सेक्टर स्कीमों के लिये अलग कर लिया जाएगा और शेष 30 प्रतिशत जिला स्तरीय स्कीमों के लिये अलग कर लिया जाएगा और निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर जिला में आवंटित कर दिया जाएगा और निम्न रूप में वेटेज (महत्व) दिया जाएगा ।

1.	जिला की कुल जनसंख्या	40 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या	10 प्रतिशत
3.	अनुसूचित जातियॉ/जनजातियों से भिन्न सीमान्त कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों की जनसंख्या	10 प्रतिशत
4.	साक्षरता में पिछडा़पन	5 प्रतिशत
5.	सिंचाई सुविधा में पिछडा़पन	10 प्रतिशत
6.	आद्योगिक पिछड़ापन	5 प्रतिशत
7.	सड़क और पेय जल में पिछड़ापन	10 प्रतिशत
8.	ग्रामीण विद्युतीकरण में पिछड़ापन	5 प्रतिशत
9.	अन्य चुनी हुई न्यूनतम आवश्यकताओं के लक्ष्य के संबंध में पिछडा़पन	5 प्रतिशत

6. उपर्युक्त फार्मूला अस्थायी है और यह तबतक लागू रहेगा जब तक कि राज्य योजना बोर्ड, व्योरेवार छानवीन के बाद, यह अनुशंसा नही कर देता है कि क्या इस फार्मूला में परिवर्त्तन करना आवश्यक है और यदि हॉ, तो नये तथ्यों की किस वेटेज(महत्व) के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

7. जिलों के बीच संविभाजित विभाज्य उद्व्यय को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाएगा 80 प्रतिशत सामान्य जिला स्तरीय स्कीमों के लिए अलग रखा जाएगा जो विभिन्न विकास विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । और शेष 20 प्रतिशत जिला योजना एवं विकास परिषद् के अधिकार में रखा जाएगा, जिसे वह राज्य योजना बोर्ड और राज्य योजना विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अधीन किसी भी रीति से खर्च करने के लिये सक्षम होगी यह उद्व्यय पुनः दो भागों में विभक्त किया जाएगा :-

(क) विवेकाधीन व्यय, जहॉ जिला योजना और विकास परिषद् परियोजनाओं पर 100 प्रतिशत धन लगा सकती है, किन्तु किसी भी परियोजना पर 5 लाख से अधिक रू0 नही देगी ।

(ख) प्रेरक व्यय तभी दिया जाएगा जब जिला योजना और विकास परिषद् 25 प्रतिशत नगद भूमि, भवन, सामग्री या स्वैच्छिक श्रम के रूपये योगदान करेगी ।

8. जिला योजना एवं विकास परिषद् कमोवेश प्रखंडों में सिद्धान्त के अनुसार रूपया का खर्च करने के लिए देगी जैसा कि जिलों में विभिन्न मदों में खर्च करने के लिए नियम है ।

9. उप विकास आयुक्त कुल योजना व्यय का 30 प्रतिशत खर्च करेगें जिसके लिए जिला योजना और विकास परिषद् का अनुमोदन अपैक्षित होगा । जिला योजना और विकास परिषद् राज्य सरकार के समरूप विभागों को सूचित करते हुए जिला तकनिकी विभागाध्यक्षों के लिये निधि आवंटित करेगी । इस निधि का समुचित हिसाब-किताब रखने के लिए सम्बद्ध विभाग जिम्मेवार रहेगें।

10. जिला योजना और विकास परिषद् जिला कार्यपालिका समिति को समुचित मार्गदर्शन करेगी ताकि सम्बद्ध जिला तकनिकी विभागाध्यक्षों की सहमति से बनाई जानेवाली विभिन्न स्कीमें प्राप्त हो सके । वह परिषद् से उसे अनुमोदित करायेगी अैर उसके बाद (चालू स्कीम के साथ)प्रभावकारी ढ़ग से और तुरंत उसे कार्यान्वित करायेगी । कार्यपालिका समिति स्कीमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी उसकी रूकावटों एवं कठिनाईयों को दूर करेगी । इसी प्रगति के संबंध मे परिषद् और राज्य सरकार को सूचना देगी ।

11. जिला योजना और विकास परिषद् चालू स्कीमों की सभी आवश्यकताओं, विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों, राज्य सरकार या राज्य योजना बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुए जिला योजना एकक द्वारा बनाई गई जिला योजना प्राप्त करेगा और परिषद् को अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसे

सरकार क सम्बद्ध विभागों को भेज देगा । संबंधित विभाग योजना विभाग को 1983-84 की वार्षिक योजना का खंड प्रारूप प्रस्तुत करते समय राज्य सेक्टर स्कीमों के साथ जिला परिषदों द्वारा बनायी गयी योजनाओं का समाविष्ट करेगा । वर्ष 1983-84 को संग्राति काल माना जाएगा जिसमें जिला योजना और विकास परिषद् कार्यपालिका समिति और जिला योजना एकक प्रषिक्षण प्राप्त कर लेगा और 1984-85 से जिलास्तरीय योजना के निमित्त पूरी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हो जाएगा ।

12 योजना विभाग ने विभिन्न विभागों को 1983-84 का खंड-उद्व्यय संसूचित करते समय उन्हें परार्मश दिया है कि वे उद्व्यय का जिलावार ब्योरा तैयार करें तथा उसे जिले का प्रस्तुगत लक्ष्यांक निर्धारित करे और उसे जिला योजना और विकास परिषदों को भेजे ।

वे योजना विभाग के परार्मश से निम्नलिखित काम भी करेगें -

(क) जिला और राज्य सेक्टर स्कीमों से संबंधित क्षेत्रों की शिनाख्त पूरा करेगें।

(ख) जिला सेक्टर स्कीमों के क्षेत्रों के लिए जिलों को विधियां के आवंटनार्थ संकेतक बनाएगें ।

(ग) अपने-अपने क्षेत्रों में स्कीमो को बनाने, लागू करने और काम को आगे बढ़ाने के बारे में अपनाये जाने वाले अनुदेशों को अंतिम रूप देगें ।

(घ) जब योजना स्कीमों को बनाने की जिम्मेवारी उनके जिम्मे सौपी गई हो, तब वे स्कीमों को बनाकर तैयार रखेगें जिस पर जिला योजना और विकास परिषद् अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करने के लिए विचार कर सकती है। कार्यपालिका समिति द्वारा बनाई गई और जिला योजना विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित जिला योजना को योजना विभाग में भेज दिया जाएगा जो सम्बद्ध विकास विभागों से सम्यक परामर्श करने के बाद उसे राज्य सेक्टर स्कीमों के साथ-साथ योजना आयोग को भेजे जाने वाले वार्षिक योजना के प्रारूप में समीविष्ट कर देगा ।

14. राज्य योजना स्कीमों तथा क्षेत्रीय उद्व्यय पर योजना आयोग की स्वीकृति मिलने पर योजना विभाग विकास विभागों को अंतिम क्षेत्रिय उद्व्यय की सूचना देगा जो राज्य एवं जिला सेक्टर स्कीमों के लिये स्कीमवार उद्व्यय का व्योरा तैयार कर उसे जिला योजना और विकास परिषद् को कार्रवाई करने के भेज देगा ताकि तदनुसार स्कीम लागू की जा सकें ।

15. योजना आयोग को विकेन्द्रीकृत योजना की प्रस्तावित पद्धति के बारे में भी सूचना दी जायगी और उस पर वित्त वर्ष 1984-85 के आरम्भ से उसक लागू होने से पूर्व उसकी स्वीकृति लेनी होगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी सम्बद्ध को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(कृष्णा सिंह)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-682/यो0वि0 पटना दिनांक 15 मार्च 1983 ई0

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पॉच सौ) प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह0/-
(कृष्णा सिंह)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-682/यो0वि0 पटना दिनांक 15 मार्च 1983 ई0

प्रतिलिपि- सभी विभाग/विभागाध्यक्षों /क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रॉची/ अध्यक्ष बिहार राज्य विद्युत पर्षद पटना /बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना /सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला दंडाधिकारी /सभी उप विकास आयुक्त /सभी जिला योजना पदाधिकारी /को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(कृष्णा सिंह)
आयुक्त एवं सचिव ।

अध्याय–8

बोर्ड के गठन संबंधी सूचना: बिहार राज्य योजना पर्षद्

ANNEXTURE: I
N. 346-PD
PLANNING DEPARTMENT
RESOLUTION
The 6th March, 1972

The State Government had under consideration the question of how the planned development of the State already under way for the last two decades can be further accelerated and oriented to long-term objectives of securing the maximum utilization of resources human and material, so as to raise the living standard of the people and of promoling the rapid achievement of a special order based on quality and justice. With a view to achieve these objectives they have decided to strengthen the Planning Machinery in the State and to constitute the Bihar State Planning Board with effect from the 3rd March, 1972. The Board will be an advisory Body and will make recommendation for the consideration of the State Government. It will have the functions stated below:-

(a) To prepare on inventory of available resources of the State and make an assessment of the material, Capital and human resources including technical personnel and investigate the possibilities and suggest measures for augmenting such of these resources as are found to be deficient in relation to the State's requirements.

(b) To prepare a Perspective Plan for the State for the next 15 to 20 years(covering the period 1974 to 1994) for the optimum and balanced utilization of the State's resources. In formulating such perspective Plan the State Planning Board will:-

(i) Start by setting up desirable and feasible goals for the State income and its distribution between different in view the declared social goal of achieving a socialist society.

(ii) Draw up on estimate of the investment needed in various field of economic activity to achieve the desired target of the rate of growth. These investments will cover the Private and Public sectors, the Central and State Government the Corporative Sectors and Various financial institutions. The Perspective Plan with a spell out the resources required finances needed to implement the programme.

(iii) Will discuss and place the State Government for their consideration, alternative strategies for achieving and goal of growth. Such alternative strategies will include for instances relative importance to be accorded to industry or to agriculture, small industry, or to heavy industry etc. The Perspective Plan will also indicate in terms of Board orders of magniture, the phasing of investments and benefit arising from adoption different strategies.

(iv) Make a special analysis of the level potentials and problems of development in different regions and areas of the State and draw up long-term plans for such regions/ perspective Plan.

(c) To make critical and qualitative appraisal of previous plans and to arrange for long term evaluation of plans and programmes. This will also include exante appraisal of some important projects and programmes specially referred to be the State Government.

(d) To prepare sholvers of projects and recommend priorities.

(e) To make suitable recommendation to the State Government from time to time, as may appear to it to be appropriate either for facilitating the discharge of the duties assigned to its or on a consideration of the prevailing economic conditions.

(f) To make recommendations or give its advice on any matter referred so it by the State Government.

2. The constitution of the Board will be as follows:-

(i)	Governor/Chief Minister	-	Chairman
(ii)	Planning Minister	-	Vice-Chairman
(iii)	Deputy Chairman	-	Whole time having experience in the field of development administration and management. His appointment will be for three years on contract basis.
(iv)	Two Whole Time Members	-	One expert in the field of Economics and the other in the field of Science Engineering of Technology. There appointment will be for three years on contract basis.

(v) Part-Time Members - Development Commissioner& Finance Commissioner will be Part-Time Members.

3. The State Planning Board will have a Whole-Time Secretary and its own Secretariat Staff besides technical and specialised staff as may be sanctioned by the State Government from time to time and their method of recruitment and conditions of services will be laid down by the State Government.

4. The State Government will be appointing authority for the Deputy Chairman, Members and Secretary of the State Planning Board, and the terms and conditions of their services will be such as may be specified by Government by order. The post of the Full-Time Deputy Chairman, Members and Technical and Specialised staff of the Board will be outside the purview of the State Public Service Commission.

5. The State Planning Board will have its headquarters at Patna and will function under the administrative control of the Planning Department or the State Government.

6. The Development Commissioner along with the Secretaries concerned with Development will continue to be responsible for:-

(a) Detailed preparation of Five Year Plan and Annual Plan.
(b) Implementation of all Plans and Programmes.
(c) Monitoring and short-term evaluation of Plans and all programmes/projects, and
(d) All duties and functions being preformed hither to force.

ORDER: Orders that this Resolution be published in the Bihar Gazette and copy forwarded to all concerned.

By order of the Governor of Bihar

Sd/- H. Prasad
Secretary to Government.

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संख्या-यो0स्था0-70-01/2002- /यो0वि0, पटना, दिनांक दिसमबर, 2006

प्रेषक,

कमलेश्वर गिरि,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

अनौपचारिक द्वारा - वित्त विभाग ।
रूप से परामर्शित ।

विषय : योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार राज्य योजना पर्षद् के लिए गैर योजनान्तर्गत सृजित 14 (चौदह) अस्थायी राजपत्रित पदों को दिनांक 1-3-2006 के प्रभाव से स्थायीकरण करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 346 दिनांक 6-3-1972 द्वारा गठित एवं अंतत: संकल्प संख्या 2768 दिनांक 17-8-94 तथा 2724 दिनांक 29-5-2006 द्वारा अगले आदेश तक अवधि विस्तारित बिहार राज्य योजना पर्षद् के लिए गैर योजनान्तर्गत सृजित 14 (चौदह) अस्थायी राजपत्रित पदों का अवधि विस्तार विभागीय राज्यादेश संख्या 2094 दिनांक 8-9-2005 द्वारा दिनांक 1-3-2005 से 28-2-2006 तक के लिए कुल 13,23,576/- (तेरह लाख तेइस हजार पॉच सौ छिहत्तर रूपये) के संभावित व्यय पर किया गया है।

2- इन पदों का अवधि विस्तार तीन वर्षो से अधिक अवधि से होता रहा है तथा भविष्य में भी इनके बने रहने की संभावना है । इसपर सम्यक विचारोपरांन्त राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1360 दिनांक 4-3-2006 के आलोक में बिहार राज्य योजना पर्षद् के लिए गैर योजनान्तर्गत सृजित संलग्न विवरणी के 14 (चौदह) अस्थायी राजपत्रित पदों को दिनांक 1-3-2006 से स्थायी करने का निर्णय लिया है । इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वे स्वयं है ।

3- इसका व्यय वहन आय-व्ययक शीर्ष ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-101-योजना आयोग-आयोजन वोर्ड-0001-बिहार राज्य योजना बोर्ड'' (विपत्र कोड- एन. 3451001010001) मांग संख्या - 35 के अन्तर्गत समुचित इकाई से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक- यथोक्त । ह0/-

(**कमलेश्वर गिरि**)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक –यो0स्था0–70–01/2002– /यो0वि0, पटना, दिनांक दिसमबर, 2006

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेवरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक –यो0स्था0–70–01/2002– /यो0वि0, पटना, दिनांक दिसमबर, 2006

प्रतिलिपि – उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद् के सचिव /विकास आयुक्त, बिहार के सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग के सचिव/ वित्त विभाग,बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ बिहार राज्य योजना पर्षद् के सदस्य सचिव/सदस्य, बिहार राज्य योजना पर्षद्/ सभी पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद् एवं लेखा शाखा, बिहार राज्य योजना पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

विषय : बिहार राज्य योजना पर्षद् का पुनर्गठन ।

बिहार राज्य योजना पर्षद् का गठन वर्ष 1972 में किया गया था और समय समय पर आवश्यकतानुसार, इसका पुनर्गठन किया गया । बिहार राज्य योजना पर्षद् का अन्तिम पुनर्गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 2768, योजना एवं विकास विभाग दिनांक 17-8-1994 द्वारा किया गया जिसके द्वारा इस पर्षद् का कार्यकाल अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया ।

राज्य योजना सूत्रण तथा केन्द्रीय योजनाओं के स्वरूप के वर्त्तमान में अर्थव्यवस्था की उदारीकरण के फलस्वरूप काफी बदलाव आया है । किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उस राज्य के योजना की प्रकृति एवं सूत्रण है। इसी के माध्यम से राज्य सरकार अपने प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है तथा वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त दीर्घकालीक योजनाओं की रूपरेखा भी राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है । बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप राज्य की दीर्घकालीन योजना सूत्रण के प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया है क्योंकि अर्थव्यवस्था तथा संसाधनों में भारी परिवर्तन हुआ है। फलस्वरूप योजना का आकार एवं स्वरूप भी बदलना स्वभाविक है । अतएव, आवश्यक है कि राज्य की योजना को सही दिशा प्रदान की जाये और आवश्यकता के अनुरूप उसका सूत्रण किया जाये । योजनाओं का लक्ष्य दूरलक्षी परिणाम प्राप्त करना है और इसके लिए समयवद्ध तरीके से योजनाओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ।इन्ही उद्येश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से बिहार राज्य योजना पर्षद के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है ।

राज्य योजना पर्षद इन योजनाओं के सूत्रण एवं अनुश्रवण के संबंध में परामर्श तथा नीति निर्धारण हेतु सर्वोच्च अधिकार प्रद्त संस्था होगी । योजना पर्षद मूलत: निम्नांकित कार्य करेगी:-

1. राज्य योजनाओं का सामान्य सूत्रण तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप होगी, के संबंध में सूझाव देना ।
2. दीर्धकालीन योजना जो आगामी 10 वर्षो के लिए होगी, का सामान्य सूत्रण, दिशा निर्धारण एवं विभिन्न विभागों के प्राथमिकताओं का निर्धारण ।

3. दीर्धकालीन योजनाओं के तहत समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र, अन्य तकनीकी प्रगति को देखते हुए योजनाओं के स्वरुप में बदलाव हेतु सुझाव देना ।

4. राज्य सरकार को योजना सूत्रण में सहयोग देना तथा विभिन्न विकासात्मक विभागों के कार्यक्रम, परियोजना आदि की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश देना ।

5. राज्य के अर्थ व्यवस्था को देखते हुए तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास कार्यो की क्षमता तथा दिशा के संबंध में नीति निर्धारण करना ताकि तदनुसार, योजना सूत्रण हो सके ।

6. जिला योजना तथा उक्त के अधीन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत अन्तिम स्तर के योजनाओं के सूत्रण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना तथा उन योजनाओं की समीक्षा/पुनरीक्षण हेतु निर्देश ।

7. राज्य में आर्थिक उदारीकरण के परिवेश में विस्तृत आर्थिक सुधार हेतु कदम उठाना, विशेषकर, राजस्व व्यवस्था, विभिन्न नियमों के सरलीकरण पर कार्य करना ताकि आर्थिक सुधार की गति निरंतर बनी रहे ।

8. ऐसे नीतिगत विषयो पर सुझाव देना जिससे आधारभूत संरचना के विकास में राज्य सरकार को सहायता मिल सके ।

9. विकास आयुक्त तथा सचिव, योजना संबंधित सचिवों के साथ विभागीय वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी तथा कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु पूर्ववत जिम्मेवार होगे, तथा योजना पर्षद से प्राप्त नीतिगत सलाहों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करेगें ।

10. बिहार राज्य योजना पर्षद में निम्नाकिंत सदस्य होगें :-

अध्यक्ष- मुख्यमंत्री, बिहार

उपाध्यक्ष- मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत ऐसे व्यक्ति जो इस क्षेत्र के जानकार हो ।

निम्नांकित पूर्णकालीक सदस्य जो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत होंगें :-

(i.) सदस्य अर्थशास्त्र

(ii) सदस्य आधारभूत सरंचना, विज्ञान एवं प्रावैधिकी

(iii) सदस्य विशेषज्ञ वित्तीय मामले

(iv) सदस्य कृषि एवं ग्रामीण विकास

(v) सदस्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य

अंशकालीक सदस्य

(i.) मुख्य सचिव

(ii) योजना परामर्शी-सह-विकास आयुक्त

(iii) आयुक्त एवं सचिव / सचिव ग्रामीण विकास विभाग

(iv) आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग

(v) कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा

(vi) निदेशक, अनुग्रह नारायण सिंह, समाज सेवा संस्थान,पटना

सदस्य सचिव-सचिव/आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग । कृषि उत्पादन आयुक्त, सचिव/आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, मानव संसाधन विभाग, उर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कल्याण विभाग समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें जो आवश्यकतानुसार समिति की कार्रवाई में भाग लेगें।पर्षद् को यह भी अधिकार होगा कि इसके अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को पर्षद् के कार्यो से संबद्ध कर सके ।

11. उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद् को राज्य के कैविनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा तथा तदनुसार, सभी सुविधाऐं देय होगी ।

12. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, आयोग के सभी सदस्य, बिहार राज्य योजना पर्षद्/ राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष तथा सभी संबंधित को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एन0 एस0 माधवन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-यो03/3-16/99- 1724 /यो0वि0, पटना, दिनांक 29 मई,2006

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग,पटना-7 को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 प्रतियॉ इस विभाग को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या–यो03/3–16/99– 1724 /यो0वि0, पटना, दिनांक 29 मई,2006

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या–यो03/3–16/99–1724 /यो0वि0, पटना, दिनांक 29 मई,2006

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/ योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली/ विकास आयुक्त,बिहार/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद्,पटना/ सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना/ सभी संबंधित पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद्/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

संख्या- /यो0वि, पटना, दिनांक सितम्बर, 2006

प्रेषक,

एन0 एस0 माधवन,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा: वित्त विभाग ।

विषय: बिहार राज्य योजना पर्षद में राज्य सरकार के मुख्य सचिव/आयुक्त एवं सचिव /सचिव के स्तर के 7(सात) परामर्शी के पदो के सृजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार राज्य योजना पर्षद का गठन वर्ष 1972 में किया गया था तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसका पुर्नगठन किया गया है । पर्षद का अंतिम पुर्नगठन योजना एवं विकास विभाग के संकल्प सं0-1724 दिनांक 29.05.2006 द्वारा किया गया है ।

2. राज्य योजना सूत्रण तथा केन्द्रीय योजनाओं के स्वरूप में वर्त्तमान अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप राज्य के दीर्धकालीन योजना सूत्रण के प्राथमिकताओं में बदलाव आया है । योजनओं का लक्ष्य दूरलक्षी परिणाम प्राप्त करना है और इसके लिए समयवद्ध तरीके से योजनाओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । इन्ही उदेश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से योजना एवं विकास विभाग के संकल्प सं0-1724 दिनांक 29.05.2006 के द्वारा राज्य योजना पर्षद का पुर्नगठन किया गया है ।

3. उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सकार ने बिहार राज्य योजना पर्षद के पुर्नठन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के योजना आयोग के तर्ज पर पर्षद को योजनाओं के सूत्रण एवं अनुश्रवण में परामर्श तथा सहायता देने के लिए कुल 40,60,000/- रू0(चालीस लाख साठ हजार रू0) की अनुमानित वार्षिक व्यय पर निम्नलिखित 7 परामर्शी के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है

(व्यय विवरणी संलग्न) जिनमें से 5 परामर्शी सदस्यों के अनुरूप सेक्टरों के प्रभार में रहेगे तथा 2 परामर्शी का क्षेत्रीय प्रभार रहेगा :-

I.	परामर्शी	-	अर्थशास्त्री
II.	परामर्शी	-	आधरभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रावैधिकी
III.	परामर्शी	-	विशेषज्ञ, वित्तीय मामले
IV.	परामर्शी	-	कृषि एवं ग्रामीण विकास
V.	परामर्शी	-	शिक्षा एवं स्वास्थ
VI.	परामर्शी	-	उत्तर बिहार
VII.	परामर्शी	-	दक्षिण बिहार

4. इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन आयव्ययक शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाऐं- 101- योजना आयोग आयोजन वोर्ड-0001-बिहार राज्य योजना बोर्ड विपत्र कोर्ड एन0-3451001010001 से विकलनीय होगा । इसके निकासी एवं व्ययन पदा0 वे स्वयं होगे ।

5. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है ।

7. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(एन0 एस0 माधवन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक

प्रतिलिपि: कोषगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक

प्रतिलिपि: विकास आयुक्त, बिहार/आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद के आप्त सचिव/सदस्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/सभी आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभाग/सभी

विभागाध्यक्ष/बिहार राज्य योजना पर्षद के सभी सदस्य एवं पर्षद के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

पदों की विवरणी

बिहार राज्य योजना पषद् के गैर योजना अंतर्गत सृजित 14 (चौदह) अस्थायी राजपत्रित पदों की विवरणी जिन्हें दिनांक 01.03.2006 के प्रभाव से स्थायीकरण प्रदान किया गया ।

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतनमान**	**स्वीकृत पदों की संख्या**
1.	उप सचिव	12000-16500	1 (एक)
2.	अवर सचिव	10000-15200	1 (एक)
3.	कृषि परामर्शी	14300-18300	1 (एक)
4.	मुख्य/ निदेशक	14300-18300 12000-16500	1 (एक)
5.	संयुक्त निदेशक (कृषि प्रभाग)	12000-16500 10000-15200	1 (एक)
6.	उप निदेशक 1. कृषि प्रभाग- एक पद 2. उद्योग प्रभाग -2 पद 3. दीर्धलक्षी योजना प्रभाग- 1 पद 4. समाज कल्याण एवं संसाधन प्रभाग- 1 पद	10000-15200	5 (पॉच)
7.	वरीय अनुसंधान पदाधिकारी	8000-13500	4 (चार)
कुल स्वीकृत पद -			**14 (चौदह)**

उप सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

बिहार राज्य योजना पर्षद् के परामर्शियों के वेतनादि पर होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणी

(in Rs.)

2- परामर्शियों के वेतनादि मद में वार्षिक व्यय प्रतिवेदन		
1- वेतन	22400 X 12	2,68,800.00
2- मंहगाई वेतन	11200 X 12	1,34,400.00
3- मंहगाई भत्ता	8064 X 12	96,768.00
4- आवास भत्ता	5040 X 12	60,480.00
5- नगर क्षतिपूर्ति	180 X 12	2,160.00
कुल		**5,62,603.00**
चिकित्सा पर अनुमानित व्यय		17,392.00
कुल योग		**5,80,000.00**
7 परामर्शियों पर होने वाला अनुमानित व्यय	**5,80,000 X 7**	**40,60,000.00**

(चालीस लाख साठ हजार रु0)

आयुक्त एवं सचिव ।

अध्याय – 9

योजना एवं विकास विभाग के विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी की निदेशिका					
क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या		फैक्स
			कार्यालय	आवास	
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामेश्वर सिंह, भा0प्र0से0	प्रधान सचिव	2217977		2212699
2	श्री (डा0) राम नयन	संयुक्त सचिव			
3	श्री कमलेश्वर गिरि	उप सचिव			
4	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	उप निदेशक सह-योजना पदाधिकारी			
5	श्री अखिलेश कुमार सिन्हा	उप निदेशक सह-योजना पदाधिकारी			
6	श्री अरविंद कुमार	उप निदेशक सह-योजना पदाधिकारी			
7	श्री रवि शंकर	सहायक निदेशक (कम्पयूटर)			
8	श्री जागेश्वर राम	प्रशाखा पदाधिकारी			
9	श्री अक्षय लाल महतो	प्रशाखा पदाधिकारी			
10	श्री श्रीनिवास सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी			
	जिला योजना पदाधिकारी				
1	श्री दिवाकर प्रसाद मंडल	जिला योजना पदाधिकारी गया			
2	श्री वंशीधर मिश्र	जिला योजना पदाधिकारी भोजपुर			

3	श्री तारकेश्वर प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी			
4	श्री हरेन्द्र प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी			
5	श्रीमती पूनम झा	जिला योजना पदाधिकारी			
6	श्री जयदीप कुमार एक्का	जिला योजना पदाधिकारी			
7	श्री ब्रजेश कुमार त्रिवेदी	जिला योजना पदाधिकारी			
8	श्री सुरेश स्वप्निल	जिला योजना पदाधिकारी			
9	श्री रविशंकर चौधरी	जिला योजना पदाधिकारी			
10	श्री विनय कुमार	जिला योजना पदाधिकारी			
11	श्री वाणीव्रत दां	जिला योजना पदाधिकारी			
12	श्री संजय कुमार	जिला योजना पदाधिकारी			
13	श्री मृत्युंजय प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी			
14	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी			
15	श्री अर्जुन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी			
	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ				

1	**श्रीमती इन्दिरा वर्मा**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
2	**श्री उमाशंकर पाल**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
3	**श्री पंकज कुमार गुप्ता**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
4	**श्रीमती निर्मला कुमारी**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
5	**श्री संजय कुमार गंगवाल**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
6	**श्री संजीव कुमार**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
7	**श्री अनिरंजन कुमार सिन्हा**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
8	**श्री राजेश कुमार**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
9	**श्री कमलेश कुमार वर्मा**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
10	**श्री प्रेम प्रकाश**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
11	**श्री रवीन्द्र कुमार**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
12	**श्री अरुण कुमार द्विवेद्वी**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
13	**श्री सिमॉन टिर्की**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
14	**श्री अजय कुमार II**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			

15	**श्री विपीन कुमार**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
16	**श्री बबन कुमार**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
17	**श्री कामेश्वर प्रसाद**	साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ			
1	**श्री मुनेश्वर चौधरी**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
2	**श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
3	**श्री बीरेन्द्र प्रसाद**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
4	**श्री गजेन्द्र कुमार**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
5	**श्री दूधनाथ राम**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
6	**श्री रामजी पाण्डेय**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
7	**श्री चन्द्रभूषण**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
8	**श्री विमलेश कुमार मिश्र**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
9	**श्री कन्हैया राम**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
10	**श्री राजीव कुमार**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
11	**श्री संजय कुमार सिन्हा**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			

12	**श्री रविशंकर**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
13	**श्री कौशल कुमार यादव**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
14	**श्री विजय शंकर**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
15	**श्री प्रकाश यादव**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
16	**श्री गौतम घोष**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
17	**श्री उपेन्द्र दास**	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक			
	वरीय सांख्यिकी सहायक				
1	**श्री जितेन्द्र प्रसाद**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
2	**श्री विवेकानन्द झा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
3	**श्री विरसा टिर्की**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
4	**श्री शशिभूषण प्रसाद गुप्ता**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
5	**श्री अभय कुमार सिंह**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
6	**श्रीमती मधु सिन्हा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
7	**श्री प्रमोद कुमार साह**	वरीय सांख्यिकी सहायक			

8	**श्री कृष्णदेव राम**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
9	**श्री विनोद कुमार झा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
10	**श्री अशोक कुमार**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
11	**श्री संजय कुमार सिंह**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
12	**श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
13	**श्री विपीन बिहारी चौधरी**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
14	**श्री अरविन्द कुमार**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
15	**श्री अरुण कुमार शर्मा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
16	**श्री रविन्द्र प्रसाद**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
17	**श्री सुधीर प्रसाद सिंह**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
18	**श्री उग्रनाथ झा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
19	**श्री स्वामीनाथ झा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
20	**श्री शमलेन्द्र कुमार**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
21	**श्री दिनेश कुमार**	वरीय सांख्यिकी सहायक			

22	श्रीमती अंजना सिन्हा	वरीय सांख्यिकी सहायक			
23	श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा	वरीय सांख्यिकी सहायक			
24	श्री विजय कुमार प्रसाद	वरीय सांख्यिकी सहायक			
25	श्री राम प्रवेश सिंह	वरीय सांख्यिकी सहायक			
26	श्री सुभाष दास राम	वरीय सांख्यिकी सहायक			
27	श्री सुरेश शरण श्रीवास्तव	वरीय सांख्यिकी सहायक			
28	श्री विनोद कुमार सिन्हा	वरीय सांख्यिकी सहायक			
29	श्री प्रवीण कुमार झा	वरीय सांख्यिकी सहायक			
30	श्री शकील अंसारी	वरीय सांख्यिकी सहायक			
31	श्री जय प्रकाश शर्मा	वरीय सांख्यिकी सहायक			
32	श्री अरविन्द कुमार	वरीय सांख्यिकी सहायक			
33	श्री चन्द्र किशोर वैद्य	वरीय सांख्यिकी सहायक			
34	श्री राजकुमार जयसवाल	वरीय सांख्यिकी सहायक			
35	श्री सकलदेव प्रसाद	वरीय सांख्यिकी सहायक			

36	**श्री जनार्दन प्रसाद सिंह**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
37	**श्री अमरदीप तिवारी**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
38	**श्री दिलीप कुमार सिन्हा**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
39	**श्री नवीन कुमार**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
40	**श्री अवध कुमार चौबे**	वरीय सांख्यिकी सहायक			
41	**श्री विजय कुमार**	वरीय सांख्यिकी सहायक सम्प्रति शोध सहायक			
42	**श्री अजीत कुमार सिंह**	वरीय सांख्यिकी सहायक सम्प्रति शोध सहायक			
43	**श्री सुरेश पासवान**	वरीय सांख्यिकी सहायक सम्प्रति शोध सहायक			
44	**श्री शेलेश्वर दयाल**	वरीय सांख्यिकी सहायक सम्प्रति शोध सहायक			
45	**श्री नीरज**	वरीय सांख्यिकी सहायक सम्प्रति शोध सहायक			
46	**श्री सिद्धेश्वरीनन्दन प्र0 सिन्हा**	वरीय सांख्यिकी सहायक सम्प्रति शोध सहायक			
	सहायक/ निजी सहायक/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर				
1	**श्री सन्त कुमार सिन्हा**	सहायक			
2	**श्रीमती विद्या कुमारी**	सहायक			
3	**श्री राम अनेसा राम**	सहायक			
4	**श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव**	सहायक			
5	**श्री वृज कुमार तिवारी**	निजी सहायक			

6	**श्री संजय कुमार**	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	9334743444 9430602111		
7	**श्री पिन्टू कुमार चौधरी**	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर			
8	**श्री नागेन्द्र कुमार तिवारी**	सहायक			
9	**श्री ओम प्रकाश**	सहायक			
10	**श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा**	सहायक			
11	**श्रीमती रुकमीनी कुमारी**	सहायक			
12	**श्री तपेश्वर प्रसाद**	सहायक			
13	**श्री सुभाष कुमार श्रीवास्तव**	सहायक			
14	**श्री जगदीश प्रसाद**	सहायक			
15	**श्री प्रम कुमार गुप्ता प्रेम**	सहायक			
16	**श्री अजय कुमार**	सहायक			
17	**श्री इफ्तेखार हुसैन अंसारी**	निजी सहायक			
18	**श्री मिथिलेश कुमार**	निजी सहायक			
19	**श्री अजीत कुमार कर्ण**	निजी सहायक			
20	**श्री श्लोक पासवान**	निजी सहायक			
	शोध सहायक				
1	**श्री नवीन कुमार सिन्हा**	शोध सहायक			
2	**श्री जितेन्द्र चौधरी**	शोध सहायक			
3	**श्री विजय कुमार सिन्हा**	शोध सहायक			
	प्रधान टंकक/टंकक/ निम्न वर्गीय लिपिक				
1	**श्री शक्ति कुमार पासवान**	प्रधान टंकक			
2	**श्री अभय कुमार सहाय**	प्रधान टंकक			
3	**श्री अनिल कुमार झा**	टंकक			
4	**श्री निरंजन प्रसाद श्रीवास्तव**	टंकक			
5	**श्री चन्द्रिका प्रसाद**	टंकक			
6	**श्री प्रमोद कुमार**	टंकक			
7	**श्री राजकिशोर तिवारी**	निम्न वर्गीय लिपिक			

8	श्री निरज	निम्न वर्गीय लिपिक			
9	श्रीमती ममता	निम्न वर्गीय लिपिक			
	दिनचर्या लिपिक/ विपत्र लिपिक/ अनुरेखक				
1	श्री विद्याभूषण प्रसाद	दिनचर्या लिपिक			
2	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	दिनचर्या लिपिक			
3	श्री दिनेश प्रसाद चौधरी	दिनचर्या लिपिक			
4	श्री सुरेश प्रसाद	दिनचर्या लिपिक			
5	श्री अनिल कुमार सिन्हा	विपत्र लिपिक			
6	श्री अरविन्द कुमार सिन्हा	अनुरेखक			
	चालक मशीन चालक/ ट्रेजरी सरकार/आदेशपाल				
1	श्री हरि किशुन राम	चालक			
2	श्री रामस्वरुप राम	चालक			
3	श्री सूरज साव	चालक			
4	श्री विश्वनाथ राम	चालक			
5	श्री शिवनंदन रविदास	चालक			
6	श्री त्रिलोकी प्रसाद केसरी	चालक			
7	श्री रुदल रजक	मशीन चालक			
8	श्री राधेश्याम दास	ट्रेजरी सरकार			
9	श्री मुन्द्रिका राम	आदेशपाल			
10	श्री रामजी प्रसाद	आदेशपाल			
11	श्री शिवदास राम	आदेशपाल			
12	श्री रामपुकार प्रसाद	आदेशपाल			
13	मोहम्मद मुस्तफा	आदेशपाल			
14	श्री सुभाष चन्द्र राम	आदेशपाल			
15	श्री मुन्नीलाल	आदेशपाल			
16	श्री राम अयोध्या सहनी	आदेशपाल			
17	श्री निरंजन राम	आदेशपाल			

18	श्री मोती साव	आदेशपाल			
19	श्री गंगा किशुन रजक	आदेशपाल			
20	मोहम्मद आलम	आदेशपाल			
21	श्रीमती लाछी देवी	आदेशपाल			
22	श्री शान्ति कुमार एक्का	आदेशपाल			
23	श्री सत्यनारायण राम	आदेशपाल			
24	श्री विकमा पंडित	आदेशपाल			
25	श्री कामेश्वर सिंह	आदेशपाल			
26	श्री महेन्द्र प्रसाद	आदेशपाल			
27	श्री सुदाम प्रसाद	आदेशपाल			
28	श्री संतोष कुमार	आदेशपाल			
29	श्री देवेन्द्र कुमार	आदेशपाल			
30	श्री राजकुमार I	स्वीपर			
31	श्री मोहन पासवान	स्वीपर			
32	श्री लक्ष्मण राम	स्वीपर			
33	श्री महेन्द्र रविदास	स्वीपर			
	संख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय				
1	श्री दिनेश शर्मा	वरीय संयुक्त निदेशक	2221359		
2	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	संयुक्त निदेशक			
3	श्री अशोक कुमार ठाकुर	उप निदेशक			
4	श्री अवध किशोर सिन्हा	उप निदेशक			
5	श्री उपेन्द्र कुमार दास	उप निदेशक			
6	श्री चन्द्रशेखर पासवान	उप निदेशक			
7	श्री कल्याण पाण्डेय	उप निदेशक			

8	**श्री विद्याकान्त झा**	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
9	**श्री श्याम किशोर प्रसाद सिन्हा**	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री विजय शंकर	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री लाल नारायण प्रसाद	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री भास्कर मित्र	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री प्रभास चन्द्र राय	सहायक निदेशक		
	श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री शिवनन्दन यादव	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री युगल किशोर पाण्डेय	सहायक निदेशक		
	श्री चन्द्रानन्द झा	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री विश्वरंजन भट्टाचार्य	सहायक निदेशक		
	श्री उमाशंकर प्रसाद	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री सियाराम प्रसाद	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री विद्यासागर सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री शिवनारायण राम	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री लालू लकड़ा	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		
	श्री निर्भय कुमार	सहायक निदेशक		
	श्री विष्णुदयाल पंडित	सहायक निदेशक		
	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी		

Chapter-10

2052-Secretariat-General Services
090-SECRETARIAT
Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 / 186

Sl.no.	Emp name	GPF Number	Bank Account	Net Pay
2	S. VIJAY RAGHWAN	IAS/BHR-407	10839231929	31,661.00
1	SUSHIL KUMAR	PTS/PAR-772	11111219914	24,643.00

	Total :	**24,643.00**

Grand Total- Rupees Fifty Six Thousand Three Hundred Four Only.

2052-Secretariat-General Services
090-SECRETARIAT
Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 / 180

Sl.no.	Emp name	GPF Number	Bank Account	Net Pay
1	RAMESHWAR SINGH	BHR/IAS-646	10839179762	35,675.00
2	KAMLESHWAR GIRI	BHR/BAS-249	11111235630	33,733.00
3	PRAMOD KUMAR VERMA	BHR/P&D-30	10839150095	30,534.00
4	SHAMBHU SAHRAN PRASAD	PTS/PAR-773	10839227129	21,820.00
	Total :			**64,267.00**

Grand Total- Rupees One Lac Twenty One Thousand Seven Hundred Sixty Two only.

2052-Secretariat-General Services

090-SECRETARIAT

Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 / 178

Sl.no.	Empname GPF Number	Bank	Bank Account	Net Pay
1	DR.ARVIND KUMAR	BHR/BAS-10	10839238652	31,034.00
2	RAM NAYAN	BHR/BAS-3232	11134016393	41,142.00
3	AKHILESH KR. SINHA	BHR/P&D-100	10839456727	31,154.00
4	RAVISHANKAR	BHR/PAND-91	10839561345	21,506.00

	Total :	**1,24,836.00**

Grand Total- Rupees One Lac Four Thousand Eight Hundred Thirty Six Only.

2052-Secretariat-General Services

090-SECRETARIAT

Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 / 184

Sl.no.	Emp name	GPF Number	Bank Account	Net Pay
1	TRIVENI MAHTO	PTS/FD-47	10839207317	15,814.00
2	SIYARAM SINGH	PTS/ELECT-30	10839381330	20,665.00
3	SHANTI KUMARI EKKA	PTS/P&D-145	10839381602	8,170.00
4	RAJKUMAR	PTS/FD-1435	10839381668	10,230.00
5	SMT.BUBAI DEVI	RNC/PAND-21	10839143077	6,086.00
6	LACHI DEVI	PTS/P&D-166	10839160751	6,254.00
7	SURESH PRASAD	PTS/P&D-89	10839249642	11,691.00

8	MAHENDRA RAVIDAS	PTS/FD-1352	01190071993	9,230.00
9	KAMAL DEV PRASAD	PTS/IRR-6249	10839387831	16,189.00
10	SANTOSH KUMAR	PTS/P&D-214	10839381635	6,503.00
11	AMARNATH PATHAK	BJP/EDN-20643	30174402685	13,386.00
12	AJAY KUMAR	PTS/P&D-199	10839381374	16,263.00
13	PRATHVI RAJ	PTS/IRR-3834	10839170736	13,212.00
14	VIJAY KR.	HJP/COLL-757	10839330929	21,471.00
15	BHOLA RAM	PTS/P&D-90	10839207204	9,405.00
16	SMT.KUMARI MADHU SINHA	BJP/COLL-605	10839564233	13,256.00
17	ANJANA SINHA	DBG/PAR-387	10633762749	15,156.00
18	RADHANANDAN PRASAD	PTS/EXC-63	10839500029	18,314.00
19	LAXMI NARAYAN	PTS/P&D-173	10323499270	11,495.00
	Total :			**2,42,790.00**

Grand Total- Rupees Two Lac Fourty Two Thousand Seven Hundred Ninety only.

2052-Secretariat-General Services

090-SECRETARIAT

Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 /176

Sl.no.	Emp name	GPF Number	Bank Account	Net Pay
1	SANTOSH KR SINHA	PTS/PAR-607	10839206313	12,549.00
2	AJIT KR SINGH	GYA/PAR-1086	10839553708	13,756.00
3	JAGESHWAR RAM	PTS/POL-1398	10839545028	21,936.00
4	NIRANJAN PD.SRIVASTAVA	PTS/P&D-49	10839347264	14,106.00
5	SURESH MAHTO	PTS/REV-971	10839420531	12,086.00
6	OM PRAKASH	PTS/FD-489	10839381396	19,992.00
7	RAMANESHA RAM	PTS/P&D-181	10839252349	17,604.00
8	RAM AYODHYA SAHNI	PTS/P&D-60	10839197385	10,730.00

9	SHAKTI KUAMR PASWAN	PTS/P&D-52	10839250103	15,592.00
10	RAM SWAROOP RAM	PTS/P&D-180	10839197170	13,239.00
11	NAVIN KUMAR SINHA	PTS/P&D-27	10839206233	19,936.00
12	DADAN PD. KHARVAR	PTS/POL-4514	10839378305	15,212.00
13	SUBHASH CHANDRA RAM	PTS/P&D-86	01190013397	9,057.00
14	ASHLOK PASWAN	PTS/P&D-209	10839554247	8,692.00
15	MOTI SAW	PTS/P&D-192	10839198695	9,730.00
16	PREM KUMAR GUPTA 'PREM'	PTS/PWB-1374	10839380450	21,520.00
17	RUDAL RAJAK	PTS/P&D-64	10839198742	10,479.00
18	NAGENDRA KUMAR TIWARI	PTS/AGR-458	10839211801	20,448.00
19	NIWAS SINGH	PTS/COP-205	10839380165	25,178.00
20	VIJAY KUMAR SINHA	PTS/P&D-98	10839151384	20,936.00
21	JAGDISH PD.	PTS/REV-369	10839179988	18,534.00
22	VIDYABHUSHAN PRASAD	PTS/P&D-121	01190040109	15,215.00
23	DINESH PD.CHOUDHARY	PTS/P&D-109	10839288897	12,298.00
24	TAPESHWAR PD.	PTS/COP-397	10839503961	16,090.00
25	RAJ KISHORE TIWARY	PTS/P&D-217	10839452597	12,492.00
26	RAMJEE PRSAD	PTS/P&D-62	10839381680	5,412.00
27	MUNNI LAL	PTS/P&D-71	10839142585	9,595.00
28	VIKRAMA PANDIT	PTS/P&D-61	10839381590	9,730.00
29	NIRANJAN RAM	PTS/P&D-76	10839381567	9,723.00
30	SUDAMA P.D.	PTS/P&D-77	10839301943	7,386.00
31	NERANDRA KUMAR SINHA	PTS/POL-2136	10839381409	15,992.00
32	CHANDRIKA PRASAD	PTS/P&D-37	10839197023	15,606.00
33	MUSTAFA	PTS/P&D-82	10839197089	9,230.00
34	JITENDRA CHOUDHARY	PTS/P&D-38	10839206890	17,936.00
35	ANIL KUMAR JHA	PTS/P&D-36	10839199847	12,097.00
36	GANGA BISHNU RAJAK	PTS/P&D-88	10839201597	9,230.00
37	RADHE SYAM DAS	PTS/P&D-65	10839381556	7,417.00
38	ARVIND KUMAR	PTS/TPPD-18	10839197817	11,134.00
39	SANT KUMAR SINHA	PTS/PAR-1179	10839381421	18,576.00
40	AKSHAYLAL MAHTO	PTS/HC-120	10839199520	18,450.00
41	ARUN KUMAR SRIVASTAVA	PTS/P&D-194	10839218535	16,763.00
42	SHASHI BHUSHAN PRASAD	PTS/PAR-808	10839353539	24,730.00

43	SMT MAMTA	PTS/P&D-219	01190115440	7,204.00
44	HARDWAR PRASAD	PTS/P&D-204	10323497818	9,494.00
45	BIMAL PRASAD SINGH	PTS/P&D-103	10323496075	13,315.00
46	PREM KUMAR SINHA	PTS/P&D-47	10839235866	17,469.00
47	SUBODH KUMAR VERMA	PTS/P&D-178	10839189498	21,195.00
	Total :			**6,75,091.00**

Grand Total- Rupees Six Lac Seventy Five Thousand Ninety One Only.

2052-Secretariat-General Services
090-SECRETARIAT
Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 / 182

Sl.no.	Emp name	GPF Number	Bank Account	Net Pay
1	SIVA DAS RAM	PTS/P&D-75	10839381589	9,230.00
2	PRAMOD KUMAR	PTS/P&D-03	10839136092	13,349.00
3	HARI KISHUN RAM	PTS/P&D-59	10839201621	10,239.00
4	RAM PUKAR PRASAD	PTS/P&D-78	10839381613	9,730.00
5	NAGENDRA THAKUR	PTS/PAND-07	10839272819	5,794.00
6	AJIT KUMAR KARNA	PTS/PAR-496	10839381114	19,562.00
7	KAMESHWAR SINGH	PTS/P&D-136	10839381624	8,230.00
8	DEVENDRA KUMAR	PTS/P&D-215	10839426395	6,611.00
9	ARBIND KUMAR SINHA	PTS/P&D-163	10839381545	9,872.00
	Total :			**92,617.00**

Grand Total- RupeesNinety Two Thousand Six Hundred Seventeen Only.

2052-Secretariat-General Services

090-SECRETARIAT

Bank Statement Schdule for (September'2008)

BILL NO : 2008/ PTS / PLA001 /188

Sl.no.	Emp name	CPF Number	Bank Account	Net Pay
1	SATISH KUMAR	200710100372	10839290634	9,385.00
2	AJAY KUMAR	200710100373	30203108354	9,385.00
3	MANOJ KR SINHA	200710100374	30203109890	9,385.00
4	MUKESH KUMAR	200710101044	30204894639	5,936.00
5	SANJAY KUMAR	200810101422	30392909184	5,890.00
6	VIJAY PASWAN	200710101043	30280424628	5,815.00
	Total :			**45,796.00**

Grand Total- Rupees Fourty Five Thousand Seven Hundred Ninety Six only.

अध्याय - 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों एवं किये गये संवितरण पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ

योजना एवं विकास विभाग की विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन

(क) राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

राष्ट्रीय सम विकास योजना(जिला)

योजना एवं विकास विभाग राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़ा जिला पहल कार्यक्रम के समन्वय हेतु सरकार के द्वारा नोडल विभाग के रुप में नामित है । यह कार्यक्रम अब बैकवार्ड रिजन ग्रांट फंड में रुपांतरित हो चुका है, जिसका नोडल विभाग राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग को बनाया गया है। इस योजना के लिए शतप्रतिशत राशि भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होता है ।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत पिछड़े जिलों के अधीन राज्य के 21 जिलों का चयन किया गया था । ये जिलें हैः– गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णियॉ, कटिहार, अररिया, जमुई एवं लक्खीसराय । उपर्युक्त जिलों का जिला योजना प्रारुप मार्गदर्शन के आधार पर तैयार कर एवं योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर उसके आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 72750.00 लाख रुपये की राशि जिलों को विमुक्त की गई है । जिसके तहत कुल 10225 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 4028 योजनाओं को पूर्ण कराया जा चुका है तथा 6339 योजनाऍ प्रगति के विभिन्न चरणों में है । अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अनुलग्नक के रुप में संलग्न है ।

(ख) मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

राज्य के जिन 17 जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना में शामिल नहीं किया गया हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जिला विकास योजना दो चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है । प्रथम चरण के जिले हैं– अरवल, बक्सर, सीतामढ़ी, सारण, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं गोपालगंज । द्वितीय चरण में भागलपुर, बॉका, शेखपुरा, मुँगेर, खगड़िया, बेगुसराय, सहरसा एवं किशनगंज जिले सम्मिलित किये गये हैं । इन जिलों के जिला योजना प्रारुपों की स्वीकृति प्रति जिला 30 करोड़ रू0 की दर से, राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है । इनके कार्यान्वयन हेतु प्रति जिला को विमुक्त की गई राशि एवं व्यय की अद्यतन विवरणी अनुलग्नक पर संलग्न है ।

(ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बिहार राज्य में वर्ष 1999–2000 से कार्यान्वित है। पूर्व में यह गृह विभाग के माध्यम से होता था , 2002–03 में इस विभाग को इसका दायित्व सौपा गया । यह योजना बिहार और नेपाल के सीमा पर पड़नेवाले कुल 7 जिलों के 31 प्रखंडों में कार्याधीन है, जिनकी सूची अनुलग्नक पर दी गयी है। यह शत–प्रतिशत केन्द्रीय योजना की परियोजना है।

इस कार्यक्रम अंतर्गत योजना आयोग/गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से कुल 11824 लाख रू0 का उद्व्यय तथा 9774.67 लाख रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध कुल अद्यतन व्यय 6719.94 लाख रू0 है ।वर्षवार कर्णांकित उद्व्यय एवं प्राप्त राशि की विवरणी अनुलग्नक पर दी गयी है ।

अभीतक प्राप्त राशि से पथ, ऊर्जा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला संस्कृति एवं युवा, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, समाज कल्याण, नगर विकास तथा मत्स्य एवं पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं ।

विगत चार वर्षों में इस कार्यक्रम अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की प्रक्षेत्रवार आवंटित राशि एवं व्यय विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	प्रक्षेत्र का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		आवंटित राशि	व्यय की राशि	आवंटित राशि	व्यय की राशि	आवंटित राशि	व्यय की राशि	आवंटित राशि	व्यय की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	**पथ**	349.545	349.545	378.00	378.00	483.00	0.00	765.00	1195.05
2	**शिक्षा**	178.000	178.000	100.00	100.00	146.00	145.78	100.00	----
3	**ऊर्जा**	44.000	44.000	150.00	150.00	----	----	----	----
4	**स्वास्थ्य**	100.000	100.000	100.00	100.00	----	----	----	----
5	**कला एवं संस्कृति**	31.030	31.030	----	----	188.00	0.00	----	----
6	**पशु पालन**	25.425	25.425	----	----	----	----	----	----
7	**नगर विकास**	----	----	----	----	176.00	176.00	----	----
8	**ग्राम्य अभियंत्रण संगठन**	----	----	----	----	500.00	82.95	802.00	517.36
9	**समाज कल्याण**	----	----	----	----	200.00	0.0	----	187.00
10	**जिला प्रशासन**	----	----	----	----	----	----	952.00	952.00
कुल		**728.00**	**728.00**	**728.00**	**728.00**	**1693.00**	**404.73**	**2619.00**	**2851.41**

वर्ष 2007-08 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागवार निम्न प्रकार से राशि कर्णाकित की गयी है:-

(रुपये लाख में)

क्रमांक	**विभाग**	**कर्णाकित राशि**
1	**2**	**3**
1	पथ निर्माण विभाग	842.97
2	ग्रामीण कार्य विभाग	700.01
3	योजना एवं विकास विभाग	407.65
4	उर्जा विभाग	100.00
5	गृह विभाग	207.82
6	समाज कल्याण विभाग	199.07
7	किशनगंज जिला में क्लस्टर एप्रोच के साथ विशिष्ट योजना के दायित्व हेतु	149.00
8	एस0एस0बी0 बार्डर आउट पोस्ट को जोड़ने वाले पथों के दायित्व हेतु	565.48
	योग	**3172.00**

जिला एवं प्रखंडों की सूची

कमांक	जिला का नाम	प्रखंडों का नाम
1	मधुबनी	माधवापुर, हरलाखी, वासोपट्टी, जयनगर, लदनियाँ, शुतौना, लोकही
2	सीतामढ़ी	बरगैनियाँ, सुरसंड, परिहार, मेजरगंज, सोनवरसा
3	किशनगंज	ठाकुरगंज, दीघलबैंक, टेढ़ागाछ
4	सुपौल	निर्मली, वसंतपुर
5	अररिया	नरपतगंज,फारबिसगंज,कुरसेला,सिकटी
6	पूर्वी चम्पारण	रक्सौल, अदापुर, छौड़ादानो, घोड़ासहन, ढाका
7	पश्चिमी चम्पारण	बगहा, रामनगर, गौनाहा, मैनाटॉड, सिकटा

अनुलग्नक –

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	कर्णांकित उद्व्यय	प्राप्त राशि	व्यय की राशि
1999-2000	700.00	700.00	700.00
2000-01	728.00	364.00	364.00
2001-02	728.00	100.00	100.00
2002-03	728.00	728.00	728.00
2003-04	728.00	728.00	728.00
2004-05	728.00	728.00	728.00
2005-06	1693.00	1693.00	404.73
2006-07	2619.00	2619.00	2851.41
2007-08	3172.00	2114.67	115.80
कुल योग	**11824.00**	**9774.67**	**6719.94**

राष्ट्रीय सम विकास योजना

अनुलग्नक–6.1

अगस्त, 2007

क्र. सं.	जिला का नाम	2006–07 के पूर्व आवंटन	2006–07 में आवंटन	कुल आवंटन	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित राशि	वि.अ.यो. की राशि	स्वीकृत योजनाओं राशि	कुल विमुक्त राशि	कुल व्यय की राशि	भौतिक उपल	
												पूर्ण	कार्यरत्
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13
1	गया	2250.00	1500.00	3750.00	1471	1354	4500.00	872.92	3802.04	2863.38	1659.10	973	377
2	जहानाबाद	1500.00	1500.00	3000.00	971	780	4500.00	305.92	3754.14	2822.23	1590.27	129	651
3	औरंगाबाद	2250.00	1500.00	3750.00	203	198	4500.00	780.21	3189.58	2790.42	1806.46	113	63
4	नवादा	2250.00	1500.00	3750.00	497	424	4524.00	1079.93	3803.67	2473.32	1282.47	148	276
5	पटना	2250.00	1500.00	3750.00	676	643	4500.00	681.91	4532.28	3749.97	2758.45	401	242
6	नालन्दा	2250.00	1500.00	3750.00	374	352	4523.90	564.40	3202.89	2553.85	1517.89	167	185
7	भोजपुर	2250.00	1500.00	3750.00	476	475	4500.00	604.54	4377.70	3136.21	2245.81	185	290
8	रोहतास	2250.00	1500.00	3750.00	766	751	4500.00	1076.16	4341.77	3146.19	1902.27	218	533
9	कैमूर	2250.00	1500.00	3750.00	449	396	4500.00	707.40	3559.23	2813.79	1441.70	202	194
10	मुजफ्फरपुर	2250.00	1500.00	3750.00	706	568	4500.00	710.32	4279.50	3055.60	2123.42	198	370
11	वैशाली	2250.00	1500.00	3750.00	190	189	4500.00	561.33	4501.26	3467.02	2709.52	137	51
12	शिवहर	1500.00	750.00	2250.00	192	125	4493.75	537.37	2730.58	2028.26	902.97	91	34
13	दरभंगा	2250.00	1500.00	3750.00	286	272	4500.13	714.75	4124.47	3181.20	2083.17	137	135
14	मधुबनी	2250.00	1500.00	3750.00	687	654	4500.00	832.19	4048.38	2901.41	2107.01	164	490
15	समस्तीपुर	2250.00	1500.00	3750.00	401	386	4500.00	437.06	3973.73	2935.32	1446.44	109	276
16	सुपौल	2250.00	750.00	3000.00	329	329	4500.00	0.00	4502.55	3074.78	1834.18	98	231
17	पूर्णिया	1500.00	1500.00	3000.00	315	311	4501.06	734.48	4412.68	2974.90	1970.77	86	225
18	कटिहार	2250.00	750.00	3000.00	861	773	4509.28	707.92	4483.55	2950.14	1915.08	248	525
19	अररिया	2250.00	750.00	3000.00	902	365	4500.00	260.00	3986.46	2666.64	1234.96	8	353
20	जमुई	2250.00	1500.00	3750.00	962	857	4500.00	621.50	3988.51	2572.20	1952.20	184	673
21	लक्खीसर	1500.00	1500.00	3000.00	301	226	4500.00	374.03	3833.78	2516.93	1283.59	32	193

	राय												
	कुल योग	**44250.00**	**28500.00**	**72750.00**	**12015**	**10428**	**94552.12**	**13164.34**	**83428.74**	**60673.75**	**37767.72**	**4028**	**6367**

क्र. सं.	जिला का नाम	2006-07 के पूर्व आवंटन	2006-07 में आवंटन	कुल आवंटन	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित राशि	वि.अ.यो. की राशि	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत योजनाओं राशि	कुल विमुक्त राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	पू0 चम्पारण(मोतिहारी)	1500.00	0.00	1500.00	215	3000.00	366.50	93	1653.59	1081.43	
2	सारण(छपरा)	820.00	680.00	1500.00	388	3000.00	217.00	189	1736.96	979.19	
3	मधेपुरा	1500.00	0.00	1500.00	124	2938.34	260.75	22	922.50	599.52	
4	गोपालगंज	850.00	650.00	1500.00	565	3000.00	113.00	171	1215.79	808.72	
5	अरवल	1500.00	0.00	1500.00	264	2999.50	478.48	162	1315.60	851.43	
6	सिवान	1500.00	0.00	1500.00	327	2999.93	16.96	124	1649.19	1147.28	
7	प0 चम्पारण(बेतिया)	1500.00	0.00	1500.00	243	2988.99	0.00	113	1663.32	1076.52	
8	बक्सर	1500.00	750.00	2250.00	167	3000.00	201.50	144	2284.24	1486.77	
9	सीतामढ़ी	750.00	750.00	1500.00	300	3000.00	0.00	65	1025.02	611.01	
10	भागलपुर	750.00	750.00	1500.00	231	2892.35	194.70	96	1357.99	711.43	
11	बाँका	750.00	750.00	1500.00	423	3000.00	464.00	275	1562.31	1003.25	
12	शेखपुरा	750.00	0.00	750.00	97	3000.00	0.00	6	268.97	184.65	
13	खगड़िया	750.00	0.00	750.00	139	3000.00	0.00	39	911.04	386.82	
14	सहरसा	750.00	0.00	750.00	326	3000.00	41.80	56	747.04	485.23	
15	बेगूसराय	750.00	750.00	1500.00	183	3000.00	0.00	76	1088.80	673.52	
16	मूँगेर	750.00	750.00	1500.00	167	3118.46	0.00	126	1996.70	804.47	
17	किशनगंज	750.00	0.00	750.00	521	2925.68	0.00	435	1406.23	648.29	
कुल योग		17420.00	5830.00	23250.00	4680	50863.25	2354.68	2192	22805.27	13539.54	

अध्याय-12

सहाय्य (Subsidy) कार्यक्रम

योजना एवं विकास विभाग के द्वारा राज्य सामाजिक विकास योजना के अंतर्गत पिछडा़ जिला पहल के तहत राज्य के कई जिले चयनित है जहॉ इस कार्यक्रम के अंतर्गत Beneficiary Oriented योजनाऍं भी कार्यरत है, जिसमें योजना लागत का कुछ अंश पर Subsidy का भी प्रावधान है । अनुदान प्रतिशत नियत नही है ।

अध्याय–13

विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों को प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

ये विषय योजना एवं विकास विभाग से संबंधित नही है ।

अध्याय –14
किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरा

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में कार्यान्वित योजनाओं की विवरणी से संबंधित वेवसाइट तैयार किया गया है जो की जानकारी के लिए है ।

अध्याय–15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ

नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु योजना एवं विकास विभाग, पटना में एक सूचना कोषांग का गठन किया गया है । उप सचिव(स्थापना), योजना एवं विकास विभाग इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी हैं जन्हे इस विभाग के लिये लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है ।

पता: **उप सचिव,**
योजना एवं विकास विभाग,
मुख्य सचिवालय, पटना ।

फोन न0 – 0612–2217977
फैक्स न0 – 0612–2212699
ई–मेल– pio-plan-bih@mail.nic.in

अध्याय–16

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना एवं इसके अधीनस्थ कार्यरत कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत नामित लोक प्राधिकरण का विवरण

क्रमांक	पदनाम	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र	नामित पद का नाम	अधि0 सं0 एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान सचिव/सचिव	पटना	योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय), सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय जिला योजना कार्यालय	अपीलीय प्राधिकारी	395/ 07.02.06
2	उप सचिव (स्थापना)	पटना	योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय),	लोक सूचना पदाधिकारी	395/ 07.02.06
3	उप निदेशक सह योजना पदाधिकारी	पटना	योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय),	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	3453/ 16.10.07
4	जिला योजना पदाधिकारी (प्रभारी सहित)	क्षेत्रीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिला	क्षेत्रीय लोक सूचना पदाधिकारी	395/ 07.02.06
5	निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	पटना	सभी क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के लिए	अपीलीय प्राधिकारी	395/ 07.02.06
6	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	पटना	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय (मुख्यालय)	लोक सूचना पदाधिकारी	911/ 04.05.07
7	आहरण एवं व्यनन पदाधिकारी, सांख्यिकी	पटना	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	911/ 04.05.07

	एवं मूल्यांकन निदेशालय		(मुख्यालय)		
8	प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), प्रभारी सहित	क्षेत्रीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रमंडल	क्षेत्रीय लोक सूचना पदाधिकारी	911/ 04.05.07
9	प्रमंडलीय सहायक निदेशक (मूल्यांकन), प्रभारी सहित	क्षेत्रीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रमंडल	क्षेत्रीय लोक सूचना पदाधिकारी	911/ 04.05.07
10	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (प्रभारी सहित)	क्षेत्रीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिला	क्षेत्रीय लोक सूचना पदाधिकारी	395/ 07.02.06
11	सदस्य-सचिव	पटना	बिहार राज्य योजना पर्षद्	अपीलीय प्राधिकारी	2438/ 24.07.07
12	अवर सचिव	पटना	बिहार राज्य योजना पर्षद्	लोक सूचना पदाधिकारी	615/ 25.05.07

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

का0आ0सं0- यो0स्था01/1-1/06-1878 /यो0वि0,पटना, दिनांक 5 जून,2008

कार्यालय आदेश

निदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना एवं इसके अधीनस्थ कार्यरत कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत पूर्व से नामित अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारियों की सूची को संशोधित करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को क्रमानुसार अंकित लोक प्राधिकरणों के लिए तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नामित किया जाता है :-

1. सहायक लोक सूचना पदाधिकारी

क्र मां क	लोक प्राधिकरण	नाम/पदनाम	दूरभाष/ मोवाईल नम्बर
1	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	श्री अखिलेश कुमार सिन्हा, उप निदेशक सह योजना पदाधिकारी	0612-2200984 9430458128
2	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना	उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी	0612-2215035
3	बिहार राज्य योजना पर्षद्, बिहार, पटना	अवर सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद	
4	प्रमंडलीय सांख्यिकी कार्यालय	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	
5	प्रमंडलीय मूल्यांकन कार्यालय	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	
6	जिला योजना कार्यालय	वरीय सांख्यिकी सहायक	
7	जिला सांख्यिकी कार्यालय	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	

2. लोक सूचना पदाधिकारी

क्रमांक	लोक प्राधिकरण	नाम/पदनाम	दूरभाष/ मोवाईल नम्बर
1	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	श्री कमलेश्वर गिरि, उप सचिव	0612-2200984 / 9835124630
2	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	0612-2215035 9334155278
3	बिहार राज्य योजना पर्षद्, बिहार, पटना	उप सचिव	0612-2231565
4	प्रमंडलीय सांख्यिकी कार्यालय	उप निदेशक,सांख्यिकी	
5	प्रमंडलीय मूल्यांकन कार्यालय	सहायक निदेशक, मूल्यांकन	
6	जिला योजना कार्यालय	जिला योजना पदाधिकारी	
7	जिला सांख्यिकी कार्यालय	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	

3. अपीलीय पदाधिकारी

क्रमांक	लोक प्राधिकरण	नाम/पदनाम	दूरभाष/ मोवाईल न0
1	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	श्री रामेश्वर सिंह, सचिव	0612-2217977 9835020477
2	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना	संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग	
3	बिहार राज्य योजना पर्षद्, बिहार, पटना	सदस्य सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्	0612-2217977 / 9835020477
4	प्रमंडलीय सांख्यिकी कार्यालय	संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	
5	प्रमंडलीय मूल्यांकन कार्यालय	संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	
6	जिला योजना कार्यालय	संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग	
7	जिला सांख्यिकी कार्यालय	उप निदेशक, (सांख्यिकी) संबंधित प्रमंडल	

(कमलेश्वर गिरि)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः योसथा01/1-1/06-1878 /यो0वि0,पटना, दिनांक 5 जून,2008

प्रतिलिपिः महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना / सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य सूचना आयोग/ सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः यो0स्था01/1-1/06-1878 /यो0वि0,पटना, दिनांक 5 जून,2008

प्रतिलिपिः निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/ उप सचिव , योजना पर्षद/ सभी जिला योजना पदाधिकारी/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, सांख्यिकी /मूल्यांकन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

अध्याय–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ।

1. वार्षिक योजना प्रारूप 2008–09
2. राज्य योजना का वार्षिक व्यय प्रतिवेदन
3. बिहार: एक झलक
4. Bihar Through Figures

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF BORDER MANAGEMENT

Border Area Development Programme (BADP): Revised Guidelines (2008)

1. **Introduction:**

1.1 Development of border areas is a part of the comprehensive approach to Border Management. The Border Area Development Programme (BADP) was started during the VII Five Year Plan (FYP) with the twin objectives of balanced development of sensitive border areas in the Western region through adequate provision of infrastructure facilities and promotion of a sense of security amongst the local population. The programme was revamped during the VIII FYP and extended to states, which have an international border with Bangladesh. The nature of the BADP was changed from a schematic programme with emphasis on education to a state level programme with emphasis on balanced development of border areas. During the IX FYP, the programme has been further extended to states, which border Myanmar, China, Bhutan and Nepal. The BADP at present, covers all the seventeen states, which share an international land border with India's neighbouring countries.

1.2 In the XI FYP, the emphasis would be optimal utilization of funds allocated by the Centre, dove-tailing of other on-going schemes and adopting a bottom-up planning approach, so as to augment the resources and upgrade the infrastructure and socio-economic services on lines recommended by the Task Force on comprehensive development of Border Areas.

2. **Coverage:**

2.1 The BADP would cover 362 border blocks, which are located along the international border and come under 96 border districts of 17 States viz Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

2.2 The border block will be the spatial unit for the programme and all the schemes should be implemented within the border blocks only.

2.3 Under BADP the activities should be first taken up in the villages/hamlets, which are closer to the border. Once the States Governments are satisfied that a minimum level of development in terms of infrastructure, civic amenities, essential services, livelihood etc has taken place, they could

move to the villages deeper inside. State Government should make the Annual Action Plan in such a way that villages/hamlets closer to the border are given priority. The villages/hamlets dislocated due to construction of fencing, roads and flood lighting on the border and those, which fall between fencing and zero lines, should be given top priority. Rural areas should be given priority over the urban areas.

3. Objective:

3.1 The main objective of the BADP will be to meet the special developmental needs of the people living in remote and inaccessible areas situated near the international border and to bridge the divide in the physical and social infrastructure of such areas. The aim is to transform the border areas by ensuring multifaceted development and to saturate the border areas with all the essential infrastructure through convergence of schemes and participatory approach.

4. Guiding principles of planning:

4.1 As recommended by the Task Force on comprehensive development of border areas, Border Management in the changed context has to be seen as serving the best interests of the nation and the border areas should have a high standard of living to serve as a demographic buffer. The infrastructure should not only cater to current needs but also include scope for further expansion.

4.2 The border area plan i.e. village/block level plan should be a part of the comprehensive District plan based on the following cardinal principles:

(i) Planning and implementation on participatory basis by Panchayati Raj Institutions/Autonomous Councils/Other local bodies.

(ii) Convergence of all Centrally Sponsored Schemes with BADP funds for filling critical gaps in infrastructure and for providing livelihood opportunities to the local population.

(iii) Implementing the process of decentralized planning as given in the Report of the Expert Group on Planning at the Grassroots Level(Ministry of Panchayati Raj, 2006).

(iv) Preparation of a participatory plan for border villages and blocks by the respective States keeping in view the instructions of the Planning Commission prescribed for the formulation of District Plans.

(v) Earmarking of due share of State resources in the process of border area planning.

(vi) Carrying out baseline surveys in remote border villages in order to assess the gaps in physical and social infrastructure and felt needs of the border population. A strategic assessment should be made and appropriate strategy evolved.

(vii) Development of Schemes through consultation with the community PRIs, district councils, traditional councils and district planning committees (DPCs) and giving due priority to the needs of population living closest to the border.

5. **Preparation of Action Plan:**

5.1 Preparation of village and block level plans as part of District plan would be a comprehensive and time bound approach incorporating the following:

(i) Saturation of border areas with all essential infrastructure and ensuring the convergence of schemes of the State Governments and the flagship schemes of Government of India.

(ii) The development of basic infrastructure may be followed side by side with investments in social infrastructure, namely education, health, drinking water, sanitation etc.

(iii) Initiating projects for the development of infrastructure on a mega scale, which include construction of border highways, link roads, extension of railway services and air links network of transmission lines for power, communication infrastructure etc.

(iv) Infrastructure and services may be provided in such a way that these attract investments locally and from outside. This would require strengthening of banking facilities (NABARD/ Rural/Cooperative banks) and increasing the stake of the community. The community may be involved in sharing of 10-15% of the cost of social infrastructure, as far as possible.

(v) Such of those projects and schemes, which act as a trigger for multifaceted activities in the border area may be selected. Minor irrigation, warehouses, storages, rural marketing, processing of local produce, education, sports and tourism schemes may be explored.

(vi) To ensure economies of scale, it would be necessary to adopt the area specific approach and ensuring value addition to the local produce, taking into account the availability of local raw material traditional expertise etc..

(vii) The stake of the State Government in development of border areas should be increased by way of investments, ownership and commitment.

5.2 The village/block level plans should be prepared strictly as part of the District Plan as per the prescribed guidelines of the Planning Commission. A base line survey should be conducted for each border village/block and a base line expenditure plan also finalized for each border block specifying source of funds from the State's financial resources, funds under Centrally Sponsored Schemes and the BADP allocations. The releases under BADP for the Annual Action Plan from the financial year 2009-10 onwards would be conditional subject to meeting these requirements by the State Governments. Accordingly, the State Governments will prepare comprehensive plans for border areas i.e. village and block wise by converging all the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and State Government's Schemes with BADP and showing the fund share of each component.

6. Selection of Schemes:

6.1 The desired levels of development in border areas cannot be achieved by tinkering with the existing programme and the allocations. The smaller schemes, which are for the direct benefit to specific villages, need to be addressed by the State Government under their normal developmental initiatives. On the other hand, gap funding of larger projects/ schemes would be funded under BADP. Schemes, which address problems such as inadequacies relating to provision of essential needs, strengthening of the social infrastructure, filling up of critical gaps in the road network etc. may be taken up under the programme. Emphasis must be laid on schemes for employment generation, production oriented activities and schemes, which provide for critical inputs in the social sector.

6.2 Normally the infrastructure raised under BADP should be maintained by the State Governments out of their own resources. However, State Governments, wherever necessary, may keep a provision not exceeding 15% of the allocation made to the State for maintenance of assets created under the BADP subject to the condition that such expenditure can be made only after three (3) years from the date of issue of completion certificate in respect of the asset.

6.3 An illustrative list of schemes, which can be taken up under BADP, is at **Annexure-I.** An illustrative list of schemes not permissible under BADP is at **Annexure-II**. Schemes of the development nature can also be taken up under BADP by Border Guarding Forces (BGFs)/local police. However, expenditure on such schemes should not exceed 10% of the total allocation in a particular year. (10% of the funds earmarked out of the allocation of the States will be in addition to the funds the security forces are allocated for civic action programme from other sources) A list of permissible and non-permissible schemes to be taken up under security related scheme is at **Annexure-III**.

6.4 The focus will be on the effectiveness of the programme and overall development of border areas so that border areas become equally developed as other parts of the country. Therefore, in order to enhance the effectiveness of the programme the institutional arrangements for planning and staffing of the planning and implementing departments in border blocks need to be strengthened. The staff engaged in this field should be properly trained and their orientation towards the special need of the border areas must be facilitated. For this purpose, the State Governments can reserve an amount of 1% (subject to a maximum of Rs. 25 lakh) for the purpose of monitoring, training of staff at block level and evaluation of the BADP.

7. Empowered Committee:

7.1 The policy matters relating to the scope of the programme, prescription of geographical limits of areas in the States within which schemes will be taken up, allocation of funds to the States and modalities for proper execution of the programme will be laid down by an Empowered Committee constituted under the Chairmanship of the Secretary (Border Management) in the Ministry of Home Affairs. The Committee, among others, will comprise the Secretary, Department of Expenditure, Adviser (MLP), Planning Commission, Additional Secretary, Department of Border Management, Additional/Special Secretary & FA (Home), Ministry of Home Affairs, Chief Secretaries of all 17 BADP States as its members and Joint Secretary(K), Joint Secretary(NE) in the Ministry of Home Affairs alongwith Joint Secretary(DONER) as Special Invitee. Joint Secretary (Border Management) will be the Member Secretary of the Committee. The Committee may invite the representatives (not below the rank of I.G.) of the Border Guarding Forces (BGFs), where necessary, to discuss the security related schemes. Constitution of the Committee is at **Annexure-IV**. The Committee shall meet, at least, twice in a financial year. The Committee is empowered to relax the guidelines as may be necessary from time to time, if required and also take appropriate decisions for arriving at a formula for allocation of funds to States.

8. **Screening Committee:**

8.1 Subject to such general or special directions as may be given by the Empowered Committee, individual schemes for each State will be approved by a Screening Committee chaired by the Chief Secretary of the State. The Screening Committee will also include representatives of the Ministry of Home Affairs, Department of Border Management, representative of the Border Guarding Force, if any, operating on the State border, Planning Commission of India, State Planning Secretary, Secretaries in Departments of Home, Finance, Rural Development and Tribal Development of the State and Secretary in nodal Department as Convener. The State Chief Secretary may co-opt such members in the Screening Committee where considered necessary.

8.2 The Screening Committee may execute the schemes through any of the executing agencies mentioned in the following Para. The Screening Committee shall meet at least once in a year preferably before March in order to finalize the schemes for the following year and assess the progress of schemes under the programme. The notice for the meeting as well as the agenda should be sent in advance. The schemes/projects once approved by the State Level Screening Committee (SLSC) and included in the Action Plan for a particular year and concurred by the Ministry of Home Affairs, Govt. of India shall ordinarily be not changed. However, the same will be considered with the prior approval of the SLSC and the Ministry of Home Affairs, Govt. of India in exceptional circumstances.

8.3 State Government will furnish the Annual Action Plan of BADP as approved by the State Level Screening Committee (SLSC) to the Ministry of Home Affairs, Department of Border Management, Government of India latest by May every year in the Proforma given at **Annexure-V, Annexure-V (a) and Annexure-V (b)**. The information called for in Proforma at annexure-V(a) and Annexure-V(b) should be furnished alongwith the Annual Action Plan.

9. **Project Executing Agencies:**

9.1 To provide flexibility, schemes under the BADP can be executed by any of the following agencies:-

(i) State Government;
(ii) Central Government;
(iii) Central Para-Military Forces (CPMFs) located in the state;
(iv) Voluntary Agencies (Voluntary Agencies would comprise of local NGOs/ Self Help Groups which are not receiving foreign aid/assistance and engage local population for carrying out BADP works). NGO should be approved by Central/State Government.; and

(v) Panchayati Raj Institutions/ District Councils/ Traditional Councils

9.2 Due emphasis should be given to effective involvement of local people/local institutions/Voluntary agencies in order to inspire mutual trust and confidence between the Government and the people. State Governments may also include the elected councils/Autonomous District Councils as one of the implementing agencies in their areas and the State Governments may continue to monitor & review the progress made by these councils in execution of the schemes.

10. Flexibility in Execution of Programme

10.1 Because of the difficult terrain, the programmes are generally not completed as per the time schedule by the State executing agencies. It may, therefore, be necessary to involve the border guarding forces in execution of such schemes, which directly benefit the area of their deployment. It may also be considered to involve non-Governmental organizations, give contractual assignments, out source the services and to explore the franchise system. This may be resorted to only where the State Government agencies will not be in a position to complete the projects because of manpower or other constraints. Such measures can be adopted by the State Level Screening Committees on the recommendations of the District Magistrate/Nodal Department and thereafter with the approval of the Ministry of Home Affairs.

10.2 State Government may also consider exploring the possibility of partnership between the government and the community having a joint stake in the services. It will help in improving the quality of work and delivery of public services.

11. Funds Flow:

11.1 The Border Area Development Programme will continue to be a 100% centrally funded programme. Funds will be provided to the States as Special Central Assistance for execution of approved schemes on a 100% grant basis and allocated amongst the 17 beneficiary States on the basis of (i) length of international border (ii) population of border blocks and (iii) area of border blocks. Each of these criteria will be given equal weightage. Besides 15% weightage will be given to hilly, desert and Rann of Kutchh areas because of difficult terrain, scarcity of resources and the relatively higher cost of construction.

11.2 Before the commencement of the financial year, the Department of Border Management in the Ministry of Home Affairs would convey the quantum of funds allocated to the States during the next year under the BADP.

A list of schemes proposed to be executed within the ceiling communicated, would have to be sent to the Department of Border Management for release of funds to the State. The State Government will forward the schemes, duly approved by State Level Screening Committee (SLSC), in the Proforma at **Annexure-V**.

11.3 Funds will be released to States in two installments – the first installment of 90% to be released on receipt of the schemes approved for the year (based on block level plans) by the State Level Screening Committee and the balance 10% when 70% of the funds released during the preceding year have been utilized. Funding for the subsequent year will be based on confirmation of expenditure and receipt of approved list of schemes

11.4 Funds should be released by the State Governments to the implementing agencies within 15 days of receipt from Government of India.

11.5 The 1st installment of 90% of the allocation of the State, will be released to the State only after furnishing of Utilization Certificates (UCs) for the entire amount released in the previous years except the preceding year;

11.6 If there is a shortfall in furnishing the UCs for the amount released during the previous years, except the preceding year, the same would be deducted from the release of the 1st installment.

11.7 The 2nd installment of the remaining 10% of the allocation of the State, will be released to the State only after

(i) Furnishing of UCs to the extent of not less than 70% of the amount released during the previous year; and
(ii) Furnishing of Quarterly Progress Reports (Physical & Financial) up to the quarter ending September. (i.e. 2nd quarter of the current financial year).

11.8 To the extent of submission of pending UCs pertaining to the previous years, deduction, if any, made in the release of 1st installment for non-submission of UCs will be made good at the time of release of 2nd installment

11.9 State Governments are required to have a separate budget head for the programme. As per directions of Government of India, Ministry of Finance parking of funds at any level is strictly prohibited

12. **Monitoring and Review:**

12.1 The State Government would closely monitor the implementation of the works/schemes being undertaken under the BADP. They must carry out inspections from time to time so as to ensure quality and timely completion of the works. The reports of the inspections carried out by the officers of the State Government should be sent to the Ministry of Home Affairs on quarterly basis.

12.2 Periodical monitoring of the schemes will be done by the Department of Border Management and a review of the programme will be made at least twice a year by the Empowered Committee.

12.3 Quarterly progress reports (Proforma at **Annexure-VI**) should be submitted scheme-wise to the Department of Border Management giving actual physical and financial achievements. The quarterly progress reports should be sent as soon as possible latest by 15th day of closure of the quarter so as to enable Department of Border Management to recommend the release of Special Central Assistance. The year-wise consolidated utilization certificates should be sent in the prescribed Proforma (GFR-19A) of the General Financial Rules (Proforma at **Annexure-VII**) within one month of the closure of the financial year.

13. **Inspection of BADP Works**

13.1 Besides, monitoring and reporting of the programme, inspection is very crucial. Programme monitoring system should be institutionalized. Each border block should be assigned to a high-ranking State Government Nodal Officer who should regularly visit the block and take responsibility for BADP schemes. The District Magistrates should also inspect the projects being carried out in their district from time to time. A half –yearly report should be sent to the Ministry of Home Affairs indicating the number of inspections conducted and highlighting the important achievements/lacunae pointed out in the reports of the inspecting officers.

13.2 The inspection of works would also be carried out by the officers of Government of India, Department of Border Management as and when considered necessary. Third party inspection should also be commissioned by the States for an independent feed back on the quality of work and other relevant issues..

14. **Introduction of Management Information System(MIS):**

14.1 An appropriate "Management Information System (MIS)" will be developed by treating villages as the basic unit. The MIS will be web enabled for regular up-date by the respective States. The system would be designed in

such a way that the required reports are generated for policy decision so that mid stream corrections are made wherever required. The National Informatics Centre (NIC) is preparing an appropriate MIS on BADP with the inputs of States and the same will be made available to all concerned.

14.2 Information & communication technology would be used alongwith an imaginative media policy to ensure that information related to the programme is made available to all stake holders. Local culture and dialects may be used as far as possible so as to make the local population feel part of the developmental initiatives under the BADP.

Annexure-I

BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

Illustrative List of Schemes/Projects permissible under the Border Area Development Programme.

It is of utmost importance to undertake construction of border roads to provide connectivity to all villages. Network of connecting roads and link roads including construction of bridges, culverts etc. needs to be the first priority. Stand-alone power generation facility using both conventional as well as locally available new and renewable sources of energy with associated distribution network may also be promoted. Lack of facilities in border areas restricts flow of tourists and the possibility of private investment in tourism and culture sectors may be explored.

The schemes/projects that can be taken up under BADP sectors are as illustrated below:

1) Education:

(i) Primary/Middle/Secondary/Higher secondary school buildings (including additional rooms)
(ii) Development of play fields
(iii) Construction of hostels/dormitories
(iv) Public libraries and reading rooms

2) Health

(i) Building infrastructure (PHC/CHC/SHC)
(ii) Provision of medical equipments of basic/elementary Type. X-Ray, ECG machines, equipment for dental clinic, pathological labs. etc. can also be purchased.
(iii) Setting up of mobile dispensaries in rural areas by Govt./ Panchayati Raj Institutions including Tele medicine.

3) Agriculture and allied sectors

(i) Animal Husbandry & Dairying
(ii) Pisciculture
(iii) Sericulture
(iv) Poultry farming/Fishery/Pig/Goat/Sheep farming.
(v) Farm forestry, horticulture/floriculture.
(vi) Public drainage facilities.
(vii) Construction of irrigation embankments, or lift irrigation or water table recharging facilities(including minor irrigation works).
(viii) Water conservation programmes
(ix) Soil conservation- protection of erosion-flood protection.
(x) Social Forestry, JFM, parks, gardens in government and community lands or other surrendered lands including pasturing yards.
(xi) Use of improved seeds, fertilizers and improved technology
(xii) Veterinary aid Centres, artificial insemination Centres and breeding Centres.
(xiii) Area specific approach keeping in view the economy of Scale – Backward-Forward integration.

4) Infrastructure

(i) Construction and strengthening of approach roads, link roads(including culverts & bridges)

(ii) Industries – Small Scale with local inputs viz handloom, handicraft, furniture making, tiny units, black smith works etc. and food processing industry

(iii) Provisions of civic amenities like electricity, water, pathways, ropeways, foot bridges, hanging bridges, public toilets in slum areas and in SC/ST habitations and at tourist centers, bus stands etc.

(iv) Development of infrastructure for weekly haats/bazaars and also for cultural activities etc. in border areas.

(v) Construction of buildings for recognized District or State Sports Associations and for Cultural and Sport Activities or for hospitals (provision of multi-gym facilities in gymnastic centers, sports association, physical education training institutions, etc.)

(vi) Construction of houses for officials engaged in education sector and health sector in remote border areas.

(vii) Tourism/Sports/Adventure Sports Scheme – creation of world class infrastructure for tourism and sports in border block where ever feasible- like rock climbing, mountaineering, river rafting, forest trekking, skiing and safaris (car/bike race, camel safaris, yak riding, boating in Rann of Kutchh.

(viii) Creation of new tourist centers.

(ix) Construction of mini open stadium/ indoor stadium./auditoriums.

(xiv) New & Renewable electricity- Bio gas/Biomass gasification, Solar & Wind energy and Mini Hydel Projects - systems/devices for community use and related activities.

5. Social Sector

(i) Construction of community centers

(ii) Construction of Anganwadis.

(iii) Rural Sanitation blocks.

(iv) Cultural Centres /Community Halls

(v) Construction of common shelters for the old or Handicapped

(vi) Capacity building programme by way of vocational studies &training for youth for self employment and skill up gradation of artisans and weavers.

6. Miscellaneous:

i) Development of Model villages in border areas.

ii) E-chaupals/agrishops/mobile media vans/market yards.

iii) Cluster approach wherever feasible.

iv) Maintenance of assets created under BADP subject to the condition that such expenditure can be made only after three (3) years from the date of issue of completion certificate in respect of the asset. (State Goverments can spend not more than 15% fund of the allocation of the State for this purpose).

v) Training of staff engaged for making BADP plan at block level, monitoring of schemes, evaluation and analysis of works completed under BADP (An amount of 1% ,not exceeding Rs.25 lakh of the allocation of the State, can be utilized for the purpose) .

Annexure-II

List of the works which are not permissible under the Border Area Development Programme:

The desired level of development in border areas cannot be achieved by tinkering with the existing programme and the allocations. The smaller schemes which are for the direct benefit to specific villages/individuals need to be addressed by the State Government under their normal developmental initiatives. On the other hand, funding of larger projects/schemes will be funded under BADP. Following Schemes/ Projects/ Works may not, therefore, be taken up under BADP.

1. Education:
   - i) Buying of school dresses/ books.
   - ii) Adult Education.
   - iii) Books/Journals
   - iv) TV/Dish antennas

2. Health:
   - i) Health Awareness Programme.
   - ii) Eye Camps.
   - iii) RCH Programme
   - iv) Blood banks
   - v) Control of Malaria, Filaria, Leprosy, AIDS etc.
   - vi) Fist aid kit for midwives.

3. Agriculture and allied sectors.:
   - i) Desilting of ponds in villages, towns and cities.

4. Infrastructure:
   - i) Any schemes of individual benefit (such as roads to dera's and dhanies etc.)
   - ii) Small works like brick paving/ CC paving/ metalling of small streets in villages, towns and cities and also small drains for disposal of sullage water.
   - iii) Boundary walls and construction of cremation sheds in graveyards/samsan ghats.
   - iv) Cleaning of cools/nalas/khalas.
   - v) Boundary/retaining walls of ponds.
   - vi) Phirni/ring path around the villages.
   - v) Construction of building for Offices of local bodies, patwarkhana, panchayat ghar, BDOs, DCs, and residences for officials (except the official engaged in education and health sector) etc.
   - vi) Drain/Gutters.

Annexure-III

List of permissible and non-permissible items of works to be undertaken under BADP by the Border Guarding Forces/State Police:

Following schemes of a developmental nature are permissible under Border Area Development Programme (BADP) by the Border Guarding Forces (BGFs) and State Police in the hilly and inaccessible areas:

(a) Construction of Link roads to BOPs
(b) Construction of BOPs
(c) Construction of offices/ residential units for Police Stations/ Police Posts (State Police).
(d) Any other work raising the infrastructure regarding drinking water supply/ electricity generation (New & Renewable Energy). etc.

Following works/activities are not permissible under BADP by BGFs/Local police:-

(a) Any type of Civic Action Programme for which funds are released by the Ministry of Home Affairs MHA or the States Government – like purchase of medicines, eye camps etc.
(b) Purchase of vehicles/night vision devices/ other equipments etc.

Annexure-IV

EMPOWERED COMMITTEE ON BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME (BADP):

The Empowered Committee of Border Area Development Programme (BADP) under the Chairmanship of the Secretary, Department of Border Management, Ministry of Home Affairs, Government of India is constituted as under:

Composition:

1.	Secretary (BM), Department of Border Management-	Chairman
2.	Secretary, Department of Expenditure -	Member
3.	Adviser (MLP), Planning Commission -	Member
4.	Additional Secretary(BM), Deptt. of Border Management-	Member
5.	Additional/Special Secretary & F.A. (Home), MHA -	Member
6-22	Chief Secretaries of the 17 BADP States or their nominees (not below the rank of JS to GOI in their respective States).	Members
23.	Joint Secretary (K), MHA-	Special Invitee
24.	Joint Secretary (NE), MHA-	Special Invitee
25.	Joint Secretary, Ministry of DONER-	Special Invitee
26.	Joint Secretary (BM), MHA-	Member Secretary

The Committee will be responsible for policy matters relating to the scope of the BADP including finalisation of guidelines, prescription of geographical limits of areas in the States within which the programme will be implemented and modalities for programme implementation. It will also be responsible for arriving at a formula for allocation of funds to States. Suitable changes from time to time in the guidelines will also be made by the Committee. The Committee shall meet at least twice in a financial year and the Committee may co-opt such members, considered as necessary to facilitate its deliberations.

Annexure-V(a)

Ministry of Home Affairs
Department of Border Management
Border Area Development Programme

ANNUAL ACTION PLAN FOR THE YEAR:_____

*Name of the State:*_____

Meeting of the State Level Screening Committee (SLSC) held on:_____

Name of the District:_____

Name of the Block_____

Scheme- wise Break up of Funds to be utilized in the border block:

Sl. No.	Name of the Scheme	Amount to be utilized in the Block	Remarks.
1.	**Out of State Resources** (Specify sectors in which funds will be utilized during the year.)		
	a. State-Plan		
	b. District Plan		
2.	**Flagship Scheme of Government of India** (Specify the scheme-wise amount to be utilized in the block during the year)		
	a) Bharat Nirman		
	i) Prime Minister Gram Sadak Yojana (PMGSY)		
	ii) Indira Vikas Yojana (IVY)		
	iii) Accelerated Rural Water Supply (ARWS)		
	iv) Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)		
	v) Rural Telephony		
	vi) Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana (RGGVY)		
	Total Bharat Nirman		
	b) National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)		
	c) Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)		
	d) Total Sanitation Campaign (T&C)		
	e) National Rural Health Mission (NHRM)		
	f) Sarva Siksha Abhiyan (SSA)		
	g) Mid-day meal Programme		
	h) Integrated Child Development Scheme (ICDS)		
	i) Backward Regions Grant Fund (BRGF)		
3.	**Other Centrally Sponsored Schemes (CSS)** such as sports and tourism. (Specify the name of the scheme and amount to be utilized)		
4.	Any other source (such as loans etc.)		
5.	**Border Area Development Programme (BADP)**		

Annexure-V(b)

Ministry of Home Affairs
Department of Border Management
Border Area Development Programme

ANNUAL ACTION PLAN FOR THE YEAR:_____

*Name of the State:*_____

Meeting of the State Level Screening Committee (SLSC) held on:_____

Name of the District:_____

Name of the Block_____

Sector-wise break of funds utilized under Border Area Development Programme (BADP) in the Annual Action Plan.

S. No.	Name of the Sector	Amount utilized.
	i) Education **ii) Health** **iii) Agriculture & allied sector.** **iv) Infrastructure** (a) Roads. (b) Bridges/culverts (c) Buildings (d) Industry (e) Tourism (f) Sports (g) Others **v) Social Sector;** (a) Community centers (b) Cultural centers (c) Vocational studies/ training (d) Rural Sanitation (e) Drinking water. (f) Others **vi) Miscellaneous:** (a) Model villages (b) Mobile dispensary (c) Training of staff, monitoring and evaluation. (d) Maintenance of assets created under BADP. (e) Others **vii) Security Sectors.** (Schemes taken up by Border Guarding Forces (BGFs) and other security forces in above sectors may be shown separately sector-wise.)	

Annexure-VI

Border Area Development Programme (BADP)

BADP QUARTERLY PROGRESS (FINANCIAL AND PHYSICAL) REPORT FOR THE QUARTER ENDING_____

Name of the State:

Sl.No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Year of commence-ment of the scheme	Approved outlay	Physical Target with date for completion of the work	Expenditure till now (Year-wise)	Expenditure during the quarter	Commulative expenditure upto the quarter	Physical progress		Remarks
		District	Block	Village							During the quarter in %age	Commul-ative upto the quarter in %age	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	A. EDUCATION												
1	Primary/ School Building(Additional Rooms)												
2	Middle School Building(Additional Rooms												
3	Secondary/Higher Secondary School Building (Additional Rooms)												
4	Construction of Residential accommodation for Teachers and allied staff												
5	Construction of												

	hostels/dormitories												
6	Development of play fields												
7	Public Libraries and reading rooms												
	B. HEALTH												
8	Provision of medical equipments of basic/elementary Type. X.Ray, ECG machines etc.												
9	Provision of equipment for Dental Clinic												
10	Building infrastructure for (PHC/CHC)												
11	Setting up of mobile dispensaries in rural areas by Govt./Panchayat Raj Institutions including telemedicine.												
	C. AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS												
12	Animal Husbandry												
13	Pisciculture												

14	Sericulture												
15	Poultry farming/Fishery/pig/Goat/ Sheep farming.												
16	Farm forestry, horticulture/ floriculture												
17	Desiling of ponds in villages, towns and cities.												
18	Public drainage facilities.												
19	Construction of irrigation embankments, or lift irrigation or water table recharging facilities												
20	Minor irrigation works.												
21	Soil conservation-protection of erosion-flood protection.												
22	Water conservation programmes.												
23	Social Forestry, JFM, parks , gardens in government and community lands or other surrendered lands including pasturing yards.												

24	Use of improved seeds, fertilizers and improved technology												
25	Veterinary aid Centres, artificial insemination Centres and breeding Centres												
26	Area specific approach keeping in view the economy of Scale-Backward-Forward integration.												
	D. INFRASTRUCTURE												
27	Construction and strengthening of approach roads, link roads (including culvers & bridges)												
28	Industries-Handloom, tiny units, handicraft, furniture making,tiny units, black smith works etc. and food processing industry.												

29	Provisions of civic amenities like electricity, water, pathways, ropeways , foot bridges, hanging bridges,public toilets etc. in slum areas in SC/ST habitations and at tourist centers, bus stands etc.												
30	Development of infrastructure for weekly haats/bazaars and also for cultural activities etc. in border areas.												
31	Construction of buildings for recognized district or State Sports Associations and for Cultural and Sport Activities or for hospitals(provision of multi-gym facilities in gymnastic centers, sports association, physical education training institutions etc.												
32	Construction of houses for officials engaged in education sector and health sector in remote border areas.												

33	Tourism/Sports /Adventure Sports Scheme-creation world class infrastructure for tourism and sports in border block where ever feasible-like rock climbing, mountaineering, river rafting, forest trekking, skiing and safaris(car/bike race, camel safaris, yak riding, boating in Rann of Kutchch.												
34	Creating of new tourist centers.												
35	Construction of mini open stadium/indoor stadium/auditoriums												
36	New & Renewable electricity-Bio gas/Biomass gasification, Solar & Wind energy-systems/devices for community use and related activities.												
	E. SOCIAL SECTOR												
37	Construction of community centers												
38	Rural Sanitation blocks												
39	Cultural Centres/Community Halls												
40	Construction of common shelters for the old or Handicapped												

41	Capacity building programme by way of vocational studies & training for youth for self employment and skill up gradation of artisans and weavers.												
	MISCELLANEOUS												
42	Development of Model villages in border areas.												
43	E-chaupals												
	/agrishops/mobile media vans/market yards.												
44	Cluster approach wherever feasible												
	Total												

Annexure-V

Border Area Development Programme (BADP)

ANNUAL ACTION PLAN OF BADP FOR THE YEAR _____

B. Name of the State: _____

C. Meeting of the SLSC held on: _____

No.	Name of the Sector and Schemes/Project	Location			Approved outlay of the scheme for current year	Target for completion of the scheme	Whether scheme is new	Whether scheme is on-going from the previous years		Funds required in the current year	Remarks
		District	Block	Village				Year of commen -cement	Funds already utilized (Year-wise)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A. EDUCATION										
1.	Primary/ School Building(Additional Rooms)										
2.	Middle School Building(Additional Rooms										
3.	Secondary/Higher Secondary School Building (Additional Rooms)										

4.	Construction of Residential accommodation for Teachers and allied staff										
5.	Construction of hostels/dormitories										
6.	Development of play fields										
7.	Public Libraries and reading rooms										
	B. HEALTH										
8.	Provision of medical equipments of basic/elementary Type. X.Ray, ECG machines etc.										
9.	Provision of equipment for Dental Clinic										
10.	Building infrastructure for (PHC/CHC)										
11.	Setting up of mobile dispensaries in rural areas by Govt./Panchayat Raj Institutions including telemedicine.										
	C. AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS										
12.	Animal Husbandry										
13.	Pisciculture										
14.	Sericulture										
15.	Poultry farming/Fishery/pig/Goat/										

	Sheep farming.										
16.	Farm forestry, horticulture, /floriculture										
17.	Desiling of ponds in villages, towns and cities.										
18.	Public drainage facilities.										
19.	Construction of irrigation embankments, or lift irrigation or water table recharging facilities										
20.	Minor irrigation works.										
21.	Soil conservation-protection of erosion-flood protection.										
22.	Water conservation programmes.										
23.	Social Forestry, JFM, parks , gardens in government and community lands or other surrendered lands including pasturing yards.										
24.	Use of improved seeds, fertilizers and improved technology										
25.	Veterinary aid Centres, artificial insemination Centres and breeding Centres										
26	Area specific approach keeping in view the economy of Scale-Backward-Forward integration.										

	D. INFRASTRUCTURE										
27.	Construction and strengthening of approach roads, link roads (including culvers & bridges)										
28.	Industries-Handloom, tiny units, handicraft, furniture making,tiny units, black smith works etc. and food processing industry.										
29.	Provisions of civic amenities like electricity, water, pathways, ropeways , foot bridges, hanging bridges,public toilets etc. in slum areas in SC/ST habitations and at tourist centers, bus stands etc.										
30.	Development of infrastructure for weekly haats/bazaars and also for cultural activities etc. in border areas.										
31.	Construction of buildings for recognized district or State Sports Associations and for Cultural and Sport Activities or for hospitals(provision of multi-gym facilities in gymnastic centers, sports										

	association, physical education training institutions etc.										
32.	Construction of houses for officials engaged in education sector and health sector in remote border areas.										
33.	Tourism/Sports /Adventure Sports Scheme-creation world class infrastructure for tourism and sports in border block where ever feasible-like rock climbing, mountaineering, river rafting, forest trekking, skiing and safaris(car/bike race, camel safaris, yak riding, boating in Rann of Kutchch.										
34.	Creating of new tourist centers.										
35	Construction of mini open stadium/indoor stadium/auditoriums										
36	New & Renewable electricity-Bio gas/Biomass gasification, Solar & Wind energy-systems/devices for community use and related activities.										
	E. SOCIAL SECTOR										

37	Construction of community centres										
38.	Rural Sanitation blocks										
39.	Cultural Centres/Community Halls										
40.	Construction of common shelters for the old or Handicapped										
41.	Capacity building programme by way of vocational studies & training for youth for self employment and skill up gradation of artisans and weavers.										
	MISCELLANEOUS										
42	Development of Model villages in border areas.										
43	E-chaupals /agrishops/mobile media vans/market yards.										
44	Cluster approach wherever feasible										

BORDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME(BADP)

D. Form GFR 19 A

(See Government of India's Decision (1) below Rules (150)

E. FORM OF UTILIZATION CERTIFICATES

Sl.No.	Letter No. and date	Amount	
	(give number of letter of letter of Government of India sanctioning the fund with date)	(give amount and year for which sanctioned)	Certified that out of Rs-------- of grants-in-aids sanctioned during the year ---------- in favour of ---------- under Ministry/ Department letter No. given in the margin and Rs.---------on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.---------has been utilized for the purpose of ---------- for which it was sanctioned and that the balance of Rs.---------- remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Government (vide No.----------dated--------) will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year-----.
	TOTAL		

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised:

1.
2.
3.

Signature----------
Designation----------
Date----------